राष्ट्रीय हरित अधिकरण
NATIONAL GREEN TRIBUNAL
पूर्वी क्षेत्र पीठ, कोलकाता / Eastern Zone Bench, Kolkata

मूल आवेदन संख्या / O.A. No. — 107/2025
(पूर्व मूल आवेदन संख्या 206/2025, मुख्य बेंच, नई दिल्ली)

मंटू सोनी .....आवेदक

–बनाम–

झारखंड राज्य एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

प्रतिउत्तर (REJOINDER)

प्रतिवादी संख्या 02 (MoEF&CC, रांची) के दिनांक 20.03.2026 के अतिरिक्त हलफनामे के विरुद्ध नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) विशेषतः "Audi Alteram Partem" (दोनों पक्षों को सुना जाए) के अंतर्गत

(माननीय न्यायाधिकरण के दिनांक 26.02.2026 के आदेश के आलोक में)

आवेदक **मंटू सोनी उर्फ शनि कांत**, पुत्र श्री राजेश कुमार, निवासी ग्राम+पोस्ट बड़कागांव, जिला हजारीबाग (झारखंड) द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) OA No 107/2025 (EZ) के दिनांक - 26.02.2026 के आदेश के आलोक में प्रतिवादी 02 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & Cc) द्वारा दायर दिनांक - 20.03.2026 को अतिरिक्त हलफनामा (Additional Affidavit) के विरुद्ध REJOINDER दिया जा रहा है।

भाग-I : प्रस्तावना एवं प्रारंभिक कथन

1. यह कि आवेदक ने प्रतिवादी संख्या 02 (MoEF&CC) के उप महानिरीक्षक (वन) श्री शशि शंकर, क्षेत्रीय कार्यालय रांची, द्वारा माननीय न्यायाधिकरण में दाखिल दिनांक **20.03.2026 के अतिरिक्त हलफनामे (Additional Affidavit)** को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। उक्त हलफनामे में **FC शर्त संख्या 09 की मूल भावना और उद्देश्य (Ratio Legis)** के विपरीत कन्वेयर सिस्टम की ***'छह मीटर ऊंचाई'*** को आधार बनाकर प्रतिवादी 04 (NTPC) को FC शर्त 09 एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन में संरक्षण प्रदान करने हेतु वन्य जीव-मानव द्वंद एवं FC शर्त 09 का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के दौरान दुर्घटना में आमलोगों की मौत ,वन्य जीवों के प्राकृतिक आवागम को बाधित करने एवं प्रास्थितिकी असंतुलन जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों/तथ्यों का दमन (Suppression of Material Facts) किया गया है।

2. उक्त हलफनामे में प्रतिवादी 02 (MoEF&CC) द्वारा किए गए आचरण को आवेदक निम्नलिखित विधिक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है —

- Suppression of Material Facts — प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण साक्ष्यों/दस्तावेजों का दमन
- Colorable Exercise of Power — वैधानिक कर्तव्यों का परित्याग करते हुए शक्ति का दुरुपयोग
- Abuse of the Process of Law — न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग

- ➤ Suppressio Veri, Suggestio Falsi — सत्य को छिपाना एवं असत्य को दर्शाना
- ➤ Interference with Administration of Justice — न्याय के प्रशासन में जानबूझकर हस्तक्षेप

भाग-II : FC उल्लंघन पर स्वयं MoEF&Cc की पूर्ववर्ती आधिकारिक रिपोर्ट को हलफनामे में छिपाना — Suppression of Material Facts & Rejoinder point 8-9

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 02 (MoEF&Cc) के उप महानिरीक्षक (वन) श्री शशि शंकर ने दिनांक 20.03.2026 के हलफनामे में, क्षेत्रीय कार्यालय (MoEF&CC) रांची द्वारा **दिनांक 25.11.2022, पत्रांक-717** के माध्यम से, जिस स्थल निरीक्षण में श्री शशि शंकर **स्वयं उपस्थित थे,** श्री चरणजीत सिंह, वैज्ञानिक 'डी' (FC Division) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली- 110003 को प्रेषित आधिकारिक रिपोर्ट [804570/2022/RO-ECZ-271, पृष्ठ 06] को जानबूझकर छिपाया है। उक्त रिपोर्ट के अंतिम पैराग्राफ में स्पष्ट उल्लेख है —

> ***"प्रयोक्ता अभिकरण NTPC, कन्वेयर सिस्टम के अतिरिक्त सड़क मार्ग द्वारा कोयले का परिवहन कर रहा है, जो FC स्टेज-2 F.No. 8-56/2009-FC की शर्त संख्या 9 का आंशिक उल्लंघन है।"***
>
> *— MoEF&CC, क्षेत्रीय कार्यालय रांची की आधिकारिक रिपोर्ट दि. 25.11.2022*

(संलग्न अनुलग्नक-01)

4. अपने ही Official Record में दर्ज सत्य को माननीय न्यायाधिकरण से हलफनामे में छिपाना वह भी उस परिस्थिति में जब पूर्व में आवेदक द्वारा उक्त रिपोर्ट को माननीय न्यायाधिकरण में दिनांक 17.09.2025 को अपने प्रतिउत्तर के (कंडिका 01C पेज 47-58) में संलग्न किया था जिसका एक प्रति प्रतिवादी 02 को भी प्रेषित किया था। उसके बावजूद उक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य को छुपाना गंभीर **'Gross Administrative Misconduct'** की परिभाषा में आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***Dhananjay Sharma v. State of Haryana [(1995) 3 SCC 757]*** में स्पष्ट निर्धारित किया है कि —

> ***"गलत हलफनामा दायर करना 'कानून के शासन पर हमला' (Assault on the Rule of Law) है। यह न्याय की धारा को दूषित करने जैसा है, जो 'आपराधिक अवमानना' (Criminal Contempt) की श्रेणी में आता है।"***

5. यह कार्य 'Suppressio Veri, Suggestio Falsi' (सत्य को छिपाना, असत्य को दर्शाना) एवं 'सत्य निष्ठा के सिद्धांत' (Doctrine of Utmost Good Faith) का उल्लंघन का सुस्पष्ट उदाहरण है। यह ***audi alteram partem*** एवं fair play in action के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन है। एक लोक सेवक द्वारा शपथपत्र पर असत्य बोलना या पूर्ण सत्य को छिपाना **'Perjury' (मिथ्या साक्ष्य)** का अपराध है, जो माननीय न्यायाधिकरण को गलत निष्कर्ष पर पहुँचाने तथा न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप (Interference with the Administration of Justice) हेतु किया गया 'न्यायिक छल' है।

भाग-III : FC शर्त 09 का Ratio Legis एवं कन्वेयर बेल्ट का '6 मीटर ऊंचाई' का तर्क ..तथ्यों का विद्रूपण— (Distortion of Factse)

6. FC शर्त 09 का एकमात्र उद्देश्य — Zero Road Transport I- यह स्थापित करना आवश्यक है कि **FC शर्त संख्या 09**, जो FOREST CLEARANCE Stage-II, F.No. 8-56/2009-FC दिनांक 17.09.2010 में FAC विशेषज्ञ समिति द्वारा क्षेत्र भ्रमण के पश्चात् अधिरोपित की गई, का **एकमात्र एवं अविभाज्य उद्देश्य 'शून्य सड़क परिवहन' (Zero Road Transport)** सुनिश्चित करना था। शर्त में सड़क मार्ग से कोयला परिवहन **पूर्णतः प्रतिबंधित** है और किसी भी परिस्थिति (उत्पादन क्षमता आदि) में इसकी अनुमति का उल्लेख तक नहीं है क्योंकि उद्देश्य था — वन्यजीवों के पारिस्थितिक तंत्र वन्यजीव मानव द्वंद को रोकते हुए अपरिवर्तनीय क्षति से बचाना।

7. प्रतिवादी 02 दिनांक 20.03.2026 के हलफनामे की कंडिका 08 एवं 09 में यह कथन कहा गया है कि —

> ***"कन्वेयर बेल्ट का निर्माण 6 मीटर से अधिक ऊंचाई पर किया गया है, जिससे वन्यजीवों के आवागमन हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, तथा कोयले का परिवहन आंशिक रूप से सड़क मार्ग एवं आंशिक रूप से कन्वेयर बेल्ट द्वारा किया जा रहा है।"***

8. उक्त कथन में **कई स्तरों पर विधिक दृष्टि से दोषपूर्ण विधिक प्रपंच (Legal Subterfuge) है। जिसका— विस्तृत विश्लेषण**

माननीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक **26.02.2026** की मूल भावना यह थी कि प्रतिवादी 04 (NTPC) द्वारा FC शर्त 09 के अनुपालन की वर्तमान स्थिति स्पष्ट की जाए। किन्तु प्रतिवादी 02 ने इस आदेश के प्रत्युत्तर में ***"6 मीटर ऊंचाई "*** का तर्क देकर —*वह भी तब जब प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन्य जीव प्रबंधन का कोई कार्य नहीं किया गया है सिर्फ वर्ष 2023 में राशि जमा किया गया हैं। जिसका विवरण कंडिका 14 में वर्णित है।*

- वास्तविक FC शर्त उल्लंघन (सड़क परिवहन जारी रहना) को छुपाने का प्रयास किया;
- माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक भ्रामक एवं अपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत की;
- FC शर्त 09 के Ratio Legis को विफल करने की सोची-समझी रणनीति अपनाई;
- Suppression of Material Facts के माध्यम से जानबूझकर प्रायोजित तरीके से Non-Application of Mind का परिचय दिया ।

क्र.	दोष का स्वरूप	विधिक वर्गीकरण
(i)	FC शर्त 09 का उद्देश्य 'Zero Road Transport' है, कन्वेयर की ऊंचाई नहीं — 6 मीटर ऊंचाई का तर्क पूर्णतः अप्रासंगिक है	Irrelevant Defence — अप्रासंगिक बचाव; Heydon's Rule का उल्लंघन
(ii)	सड़क परिवहन जारी रहने पर कन्वेयर की ऊंचाई स्वतः 'निरर्थक' (Redundant) हो जाती है — वन्यजीवों को खतरा ऊंचाई से नहीं, भारी वाहनों की आवाजाही एवं शोर से है	Distortion of Facts — Perverse Finding; Wednesbury Unreasonableness
(iii)	न्यायाधिकरण का ध्यान 'सड़क परिवहन उल्लंघन' से हटाकर 'इंजीनियरिंग डिजाइन' पर ले जाने का कुत्सित प्रयास	Legal Subterfuge — Colorable Exercise of Power; Abuse of Process

9. ***<u>यहां यह भी गंभीर प्रश्न उत्पन्न होता है कि</u>*** जब किसी न किसी बहाने सड़क मार्ग से कोयला परिवहन जारी रखना ही था/है तो —

- ➤ सैकड़ों करोड़ के सरकारी राजस्व से निर्मित कन्वेयर सिस्टम का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
- ➤ FC शर्त 09 को अधिरोपित करने वाली FAC विशेषज्ञ समिति का संपूर्ण उद्देश्य ही निरर्थक हो जाता है ।
- ➤ यह राष्ट्रीय राजकोष की घोर क्षति एवं Public Trust Doctrine का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।
- ➤ 'सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत' (Public Trust Doctrine) का उल्लंघन एवं FC शर्त 09 वैध ठहराने का एक 'संगठित प्रयास' (Collusive Attempt) प्रतीत होता है।

10. प्रतिवादी 02 (MoEF&Cc) ने यह स्वीकार किया है कि सड़क परिवहन 'आंशिक रूप से' जारी है, किन्तु उसे FC 'उल्लंघन' न मानकर सामान्य प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। जबकि यह **MoEF&Cc की अपनी रिपोर्ट दि. 25.11.2022 (अनुलग्नक** 01) के प्रत्यक्ष विरुद्ध है। एक नियामक संस्था द्वारा उल्लंघनकर्ता को निजी लाभ के लिए विधिक संरक्षण प्रदान करना **<u>'Criminal Breach of Trust' (आपराधिक विश्वासघात)</u>** एवं 'प्रशासनिक कदाचार' की श्रेणी में आता है।

<u>"6 मीटर कन्वेयर ऊंचाई" तर्क का जैविक (Biological) आधार पर खंडन</u>

यह कि प्रतिवादी द्वारा कन्वेयर बेल्ट की "6 मीटर ऊंचाई" को वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन हेतु पर्याप्त बताया गया है, जो वैज्ञानिक एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भ्रामक एवं अपूर्ण है।

(i) Habitat Connectivity बनाम Physical Clearance

वन्यजीवों के लिए केवल भौतिक ऊंचाई (vertical clearance) पर्याप्त नहीं होती, बल्कि **Habitat Connectivity** (आवासीय निरंतरता) अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी गलियारे (corridor) में निरंतर मानवीय गतिविधि, सड़क परिवहन, शोर एवं प्रकाश प्रदूषण मौजूद हो, तो वह क्षेत्र व्यवहारिक रूप से (functionally) अवरुद्ध हो जाता है, भले ही भौतिक रूप से खुला प्रतीत हो।

(ii) Disturbance Ecology (व्यवधान पारिस्थितिकी)

वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, बड़े स्तनधारी वन्यजीव जैसे हाथी अत्यधिक संवेदनशील होते हैं:

- निरंतर ध्वनि (noise pollution)
- भारी वाहनों की आवाजाही
- कंपन (vibration)
- मानव उपस्थिति

इन कारकों के कारण वे ऐसे क्षेत्रों से बचते हैं, भले ही वहाँ भौतिक मार्ग उपलब्ध हो। अतः केवल "6 मीटर ऊंचाई" वन्यजीवों के वास्तविक उपयोग (actual usage) को सुनिश्चित नहीं करती।

(iii) Barrier Effect (व्यवहारिक अवरोध)

सड़क मार्ग से निरंतर कोयला परिवहन के कारण:

- corridor का "Barrier Effect" उत्पन्न होता है
- वन्यजीव उस क्षेत्र को "risk zone" के रूप में पहचानते हैं

- परिणामस्वरूप वे मार्ग बदलते हैं या मानव बस्तियों की ओर विचलित होते हैं

यही स्थिति मानव–वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict) को जन्म देती है।

(iv) Species-Specific Behavior (विशेषकर हाथी)
अनुसूची-I के अंतर्गत संरक्षित एशियाई हाथी (Elephas maximus):

- शांत, अविच्छिन्न एवं कम-व्यवधान वाले मार्गों को प्राथमिकता देते हैं
- उच्च शोर एवं गतिविधि वाले क्षेत्रों से बचते हैं

इस प्रकार, केवल ऊंचाई पर्याप्त नहीं, बल्कि **"Disturbance-free corridor"** आवश्यक होता है।

(v) Functional Failure of Mitigation Measure
यदि कन्वेयर बेल्ट के नीचे:

- सड़क परिवहन जारी है
- भारी वाहन, शोर एवं गतिविधि बनी हुई है

(vi) "6 मीटर ऊंचाई" तर्क की वैज्ञानिक विफलता

प्रतिवादी का तर्क निम्न कारणों से असफल है:

1. यह केवल **engineering parameter** है, ecological parameter नहीं
2. यह **disturbance factors** (noise, traffic, vibration) को नजरअंदाज करता है
3. यह "usage by wildlife" के वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता
4. यह corridor की **functional integrity** सुनिश्चित नहीं करता

(vii) Cause–Effect Chain (कारण–परिणाम संबंध)

- सड़क परिवहन → शोर/कंपन/गतिविधि →
- Wildlife avoidance →
- Corridor abandonment →
- Habitat fragmentation →
- Human-Wildlife Conflict →
- Ecological imbalance

अतः यह स्पष्ट है कि:

- कन्वेयर बेल्ट की 6 मीटर ऊंचाई केवल एक **दिखावटी भौतिक अनुपालन (illusory compliance)** है

- वास्तविकता में सड़क परिवहन के कारण पूरा क्षेत्र **"Biological Barrier"** में परिवर्तित हो चुका है।
- यह FC शर्त संख्या 09 के मूल उद्देश्य—वन्यजीवों के निर्बाध आवागमन को पूर्णतः विफल करता है

इसलिए प्रतिवादी का तर्क वैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय एवं विधिक दृष्टि से अस्थिर (untenable) है और यह mitigation measure (उपशमन उपाय) **functional failure** की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह अपने मूल उद्देश्य—वन्यजीवों के निर्बाध आवागमन—को पूरा नहीं करता। अतः यह स्पष्ट है कि "6 मीटर ऊंचाई" का तर्क केवल एक भौतिक (engineering) मानदंड है, जबकि वन्यजीव संरक्षण एक व्यवहारिक (behavioral) एवं पारिस्थितिकीय (ecological) विषय है। सड़क परिवहन जारी रहने की स्थिति में यह तर्क वैज्ञानिक दृष्टि से अप्रासंगिक एवं भ्रामक है।

भाग-IV : वन्यजीव प्रबंधन के तथ्यों का दमन एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष परिणाम

11. प्रतिवादी 04 द्वारा Wildlife Management Plan (WLMP) के अभाव एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष के तथ्य जानबूझकर छिपाए गए - यह कि प्रतिवादी 04 (NTPC PBCMP) द्वारा दिनांक 17.09.2010 को Stage-2 वन स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् **वर्ष 2016 से खनन एवं परिवहन प्रारंभ कर दिया गया** —इससे वन्यजीव संरक्षण पर दोहरा नकारात्मक असर यह पड़ा है । क्योंकि एक तरफ सड़क मार्ग से कोयला परिवहन कर FC शर्त 09 का उल्लंघन किया जा रहा है और दूसरी तरफ आज तक वन्यजीव प्रबंधन योजना (Wildlife Management Plan — WLMP) को धरातल पर क्रियान्वित नहीं किया गया है। प्रतिवादी 02 ने इस गंभीर तथ्य को जानबूझकर अपने हलफनामे से बाहर रखा है। *सिर्फ यही नहीं क्षेत्र में संचालित अन्य परियोजनाओं द्वारा वन्य जीव प्रबंधन पर कोई कार्य धरातल पर नहीं किया गया* है । इतने गंभीर तथ्य को प्रतिवादियों द्वारा जानबूझकर माननीय न्यायाधिकरण से छुपाया गया है। जो एक अत्यंत आपत्तिजनक एवं गंभीर विषय हैं।

12. ***पारिस्थितिकी तंत्र पर आघात एवं 'सावधानी का सिद्धांत' (Precautionary Principle) का उल्लंघन -*** FC शर्त 09 के निरंतर उल्लंघन एवं WLMP के अभाव के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के अंतर्गत संरक्षित **एशियाई हाथियों (Asian Elephants)** सहित संरक्षित प्रजातियों के प्राकृतिक गलियारे (Natural Corridors) बाधित हुए हैं। वन्यजीव भटककर मानवीय बस्तियों में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे मानव जीवन, संपत्ति एवं कृषि को अपूरणीय क्षति हो रही है।जो FC शर्त 09 के उल्लंघन एवं WLMP की अनुपस्थिति के ***'अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति'*** का प्रत्यक्ष प्रमाण है —

—वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग, पत्रांक 5813, दिनांक 11.10.2023 की रिपोर्ट के अनुसार मानव-वन्यजीव संघर्ष का विवरण (वर्ष 2019-2024) —। **(अनुलग्नक 02):**

क्षति का प्रकार	मामले	प्रभावित मात्रा	मुआवजा राशि (₹)	कालावधि
मानव मृत्यु (हाथी आक्रमण)	32	—	**₹1,00,00,000**	2019–2024
मानव घायल	7	—	₹5,30,000	2019–2024
फसल क्षति	1,560	228.8 हे./557120 क्विं.	₹43,40,772	2019–2024
भंडारित अनाज क्षति	290	618.44 क्विंटल	₹98,950	2019–2024
मकान क्षति	576	—	₹1,01,10,000	2019–2024
पशु क्षति	23	18,000 क्विंटल	₹3,14,000	2019–2024
कुल संचयी क्षति	**2,488+**	—	**₹2,53,93,722**	2019–2024

FC शर्त 09 उल्लंघन के दौरान सड़क दुर्घटना में आम नागरिकों की मृत्यु के तथ्य माननीय न्यायाधिकरण से छुपाया गया -

यह कि प्रतिवादी 04 प्रयोक्ता अभिकरण NTPC के द्वारा FC अनिवार्य शर्त संख्या 09 का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के दौरान सड़क दुर्घटना में आम लोगों की मौत हो रही है । जो माननीय NGT में दायर वाद OA 107/2025 (EZ) का मुख्य विषय था। उसका भी जवाब प्रतिवादी 02 के द्वारा नहीं दिया गया है और NTPC द्वारा FC शर्त 09 उल्लंघन से होने वाले मानवीय जीवन के नुकसान को छिपाने का कार्य किया है। FC शर्त 09 के उल्लंघन का मानवीय मूल्य समाचार पत्रों में प्रकाशित घटनाक्रम से प्रमाणित होता है:

- दैनिक भास्कर, 02.12.2022: त्रिवेणी सैनिक ट्रांसपोर्टिंग (NTPC MDO) के हाइवा वाहन की चपेट में आने से चेपाकला निवासी सुनील भुइया की मृत्यु।
- दैनिक भास्कर, 02.11.2022: सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजन को NTPC की सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक द्वारा नौकरी एवं ₹6 लाख मुआवजा।
- दैनिक भास्कर, 09.02.2023: कोयला क्षेत्र में OB डंप में दबकर महिला की मृत्यु।
- दैनिक भास्कर, 18.01.2026: मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को हाइवा ने टक्कर मारी — मृत्यु; 12 घंटे सड़क जाम।
- दैनिक भास्कर, 23.02.2026: बड़कागांव ट्रांसपोर्टिंग रोड पर हाइवा-बाइक टक्कर — एक युवक की मृत्यु; 9 घंटे सड़क जाम।

ये मानवीय क्षतियाँ ***'अपूरणीय क्षति' (Irreparable Harm)*** की श्रेणी में आती हैं, जिनका उल्लेख प्रतिवादी 02 ने हलफनामे में जानबूझकर नहीं किया।

— सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के दौरान दुर्घटना में मौत का खबर संकलन

(संलग्न अनुलग्नक-03)

13. उपरोक्त आंकड़े सिद्ध करते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन (Ecological Balance) पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। यह संविधान के **अनुच्छेद 48A** एवं 'सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत' (Public Trust Doctrine) का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। **ये समस्त क्षतियाँ अपरिवर्तनीय हानि (Irreversible Harm)** की श्रेणी में आती हैं, जिनकी पूर्ति किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति से संभव नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India [(1996) 3 SCC 212]*** में स्पष्ट किया है कि पर्यावरणीय क्षति के मामलों में 'सावधानी का सिद्धांत' (Precautionary Principle) लागू करते हुए तत्काल संरक्षणात्मक आदेश पारित करने का अधिकार है।

भाग-V : क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं द्वारा वन्य जीव प्रबंधन का अभाव एवं संस्थागत विफलता तथा संगठित प्रशासनिक मिलीभगत

14. **क्षेत्र में बिना Wildlife Plan/CAT Plan के विभिन्न परियोजनाओं द्वारा खनन — वन प्रमंडल पदाधिकारी की रिपोर्ट** - तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग द्वारा प्रतिवादी 04 NTPC सहित क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं द्वारा वन्य जीव प्रबंधन असफलता/अभाव के संदर्भ में दिनांक 21.12.2023 के पत्र में NTPC PBCMP के संबंध में अभिलेखबद्ध किया गया है —

> ***"एन०टी०पी०सी० पकरी बरवाडीह (1026.438 हे0): Stage-II स्वीकृति 2010 में हुई थी। Site Specific Wildlife Management Plan 2023 में जमा किया गया जिसकी स्वीकृति PCCF (Wildlife) द्वारा आदेश संख्या 33, ज्ञापांक 1006 दिनांक 03.08.2023 को प्रदान की गई, जबकि Mining 2016 से ही चालू है। स्वीकृति के बाद भी CAMPA से Mitigation के लिये अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं है।"***
>
> —प्रतिवादी 04 के साथ क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के संदर्भ में वन्य जीव प्रबंधन रिपोर्ट
>
> ***(संलग्न अनुलग्नक-04)***

15. इसी रिपोर्ट के अंतिम पैराग्राफ में स्पष्ट मंतव्य दिया गया है कि —

> ***"Mining Start हो जाने में वन्यप्राणियों पर दुष्प्रभाव प्रारम्भ हो जाता है एवं Soil Erosion भी होने लगता है। विलम्ब से Wildlife Plan/CAT Plan के लागू होने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है।"***

16. इस प्रकार खनन प्रारंभ होने के **7-8 वर्षों पश्चात् WLMP को स्वीकृति देना** केवल एक 'औपचारिक खानापूर्ति' है। तब तक वन्यजीवों के प्राकृतिक गलियारे एवं पारिस्थितिकी संतुलन पूर्णतः ध्वस्त हो चुके होते हैं। CAMPA से अभी तक कोई mitigation राशि प्राप्त न होना यह सिद्ध करता है कि संरक्षणात्मक उपाय केवल कागजों तक सीमित हैं।

17. प्रतिवादी 02 ने इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर अपने हलफनामे से बाहर रखकर 'Public Trust Doctrine' का घोर उल्लंघन किया है। यह **निजी लाभ, पद का दुरुपयोग एवं न्याय को प्रभावित करने का संगठित प्रयास (Collusive Attempt)** है ताकि माननीय न्यायाधिकरण के दिनांक 26.02.2026 के आदेश की मूल भावना को विफल किया जा सके।

भाग - VI : वन मंजूरी (FC) एवं पर्यावरणीय मंजूरी (EC) की शर्तों का परस्पर निरंतर उल्लंघन

---

18. *FC शर्त संख्या 9 के उल्लंघन में EC शर्त 2A(ix) की वैधता हेतु कोई सरकारी निर्देश/अभिलेख अनुपस्थित:* यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करना है कि प्रतिवादीगण **(01.03.04.05.06) का यह तर्क/समर्थन पूर्णतः आधारहीन और भ्रामक है कि** FC स्टेज-2 (F.No. 8-56/2009-FC, दि. 17.09.2010) की शर्त संख्या 9 के स्पष्ट उल्लंघन में EC (दि. 09.05.2009) की Specific Condition No. 2A(ix) को मान्य ठहराने का दावा कर रहे हैं। इन दोनों ही अनिवार्य शर्तों के अनुसार, कोयले का परिवहन केवल ***'कन्वेयर सिस्टम' (Conveyor System)*** के माध्यम से किया जाना था। किन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) या राज्य सरकार द्वारा अद्यतन तक कोई पत्र, मेमोरेंडम, निर्देश या नियमावली जारी नहीं की गई है, जो उक्त उल्लंघन के प्रकाश में EC शर्त को FC शर्त के अधीन मान्य/शिथिल या प्रतिस्थापित घोषित करे।

RTI के माध्यम से प्राप्त तथ्य (महत्वपूर्ण साक्ष्य)

19. यह कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत MoEF&CC के (IA Division और FC Division) जानकारी मांगी गई सूचना के अनुसार, मंत्रालय के वन संरक्षण प्रभाग (Forest Conservation Division) ने RTI आवेदन (पंजीकरण संख्या MOENF/R/E/25/01465,

दि. 02.10.2025; FC Division में अंतरित: MOENF/R/E/25/01465/1) से हुई है। बिंदु संख्या 3 में स्पष्टतः मांगा गया:

> "झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोल परियोजना हेतु MoEF&CC द्वारा दि. 09.05.2009 को प्रदत्त EC की Specific Condition No. 2A(ix) को FC स्टेज-2 (दि. 17.09.2010) की शर्त संख्या 9 के अधीन मान्य लागू करने संबंधी मंत्रालय द्वारा जारी पत्र/मेमोरेंडम/नियमावली की सत्यापित प्रति।"

FC Division का उत्तर: "3. मांगी गई सूचना के उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा गया:

> *" No information in respect of point no. 3 of RTI application is available in the Forest Conservation Division."*
>
> ---*संबंधित सूचनाधिकार का उत्तर* ***(अनुलग्नक 05)***

अतः यह प्रमाणित होता है कि.

यह कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत MoEF&CC से जानकारी मांगी गई सूचना के अनुसार, मंत्रालय के वन संरक्षण प्रभाग (Forest Conservation Division) ने स्पष्ट किया है कि उनके पास ऐसा कोई अभिलेख या निर्देश उपलब्ध नहीं है, जो EC शर्त 2A (ix) को FC शर्त 09 में संशोधित/शिथिल करने संबंधी किसी भी प्रकार की मान्यता या छूट प्रदान करता हो।

- यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि ***"What is not on record, does not exist in the eyes of law."***
- कानूनन, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत दी गई शर्तें स्वतंत्र होती हैं। प्रतिवादीगणों के पास FC शर्त संख्या 09 के उल्लंघन के बचाव में कोई वैधानिक आधार या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में संशोधन न किया जाए, तब तक मूल शर्तें पूर्णतः प्रभावी एवं बाध्यकारी रहती हैं।
- अतः प्रतिवादीगण द्वारा EC संशोधन का हवाला देकर FC शर्त का उल्लंघन न्यायसंगत ठहराना अल्ट्रा वायर्स ***(Ultra Vires)*** एवं मनमाना है।

EC संशोधन का दुरुपयोग (Misuse of EC Amendment)-

20. प्रतिवादी 04 NTPC द्वारा FC शर्त 09 के उल्लंघन EC द्वारा प्रदत्त दिनांक 09.05.2009 की Specific Condition No. 2A(ix) के शर्त संशोधन (दि. 02.01.2025 अधिसूचना, बिंदु 6) का हवाला दिया जा रहा है, जो मात्र "electrification and signalling work, Integrated commissioning एवं additional conveyor streams" हेतु सीमित था। जैसे सीमित एवं तकनीकी कारणों के आधार पर अस्थायी संशोधन किया गया। यह संशोधन न तो स्थायी था न ही खनन स्थल से सड़क मार्ग से रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन की सामान्य अनुमति देता है, न होना चाहिए ।इसके बावजूद NTPC द्वारा खनन स्थल से रेलवे साइडिंग तक निरंतर एवं व्यापक रूप से सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा रहा है,*जो EC एवं FC दोनों शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है । बल्कि यह जानबूझकर किया गया एक 'नियामक उल्लंघन' (Regulatory Default) है।*

---EC शर्त संशोधन, **(अनुलग्नक-06)**

EC शर्त संशोधन समयावधि समाप्ति उपरांत निरन्तर हठधर्मिता और 'Doctrine of Absolute Liability'

21.प्रयोक्ता अभिकरण NTPC प्रतिवादी 04 की हठधर्मिता इस तथ्य से स्व-प्रमाणित है कि EC संशोधन की निर्धारित समयावधि 31.03.2026 (अनुलग्नक 06) तक ही सीमित थी। इसके साथ रेलवे साइडिंग तक कन्वेयर सिस्टम का निर्माण पूर्ण होने के बावजूद, एनटीपीसी द्वारा समानांतर रूप से सड़क मार्ग से परिवहन जारी रखना ***'Precautionary Principle'*** *और* ***'Sustainable Development'*** *के सिद्धांतों की*

खुली अवहेलना है। कन्वेयर उपलब्ध होने के बाद भी सड़क मार्ग का उपयोग केवल निजी आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा है, जिससे स्थानीय जन-स्वास्थ्य वन्य जीव - मानव द्वंद और जानमाल,कृषि फसल आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।यह जानबूझकर किया गया उल्लंघन (Wilful Violation) है।

—सड़क मार्ग से कोयला परिवहन एवं रेलवे सेंडिंग तक कन्वेयर निर्माण का फोटोग्राफ्स,

(अनुलग्नक-07)

भाग-VII : विधिक आधार (Grounds of Law)

प्रतिवादी 02 का दिनांक 20.03.2026 का हलफनामा निम्नलिखित सुस्थापित विधिक सिद्धांतों एवं न्यायिक दृष्टांतों के विरुद्ध है:

क्र.	विधिक सिद्धांत / न्यायिक दृष्टांत	FC शर्त 09 के संदर्भ में प्रयोज्यता
1.	Heydon's Rule / Mischief Rule — किसी शर्त की व्याख्या उसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु	FC शर्त 09 का Ratio Legis 'Zero Road Transport' है; 6 मीटर ऊंचाई का तर्क इस उद्देश्य को विफल करता है
2.	Wednesbury Unreasonableness — Associated Provincial Picture Houses v. Wednesbury Corp. [1948]	6 मीटर ऊंचाई का बचाव किसी भी विवेकशील व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं — Perverse Finding
3.	Colorable Exercise of Power — विधिक आवरण में वास्तविक आशय छुपाना Ultra Vires है	इंजीनियरिंग डिजाइन को बहाना बनाकर सड़क परिवहन उल्लंघन से ध्यान हटाना — Legal Subterfuge
4.	Dhananjay Sharma v. State of Haryana [(1995) 3 SCC 757] — गलत हलफनामा 'Assault on Rule of Law'	MoEF&CC की अपनी आधिकारिक रिपोर्ट दि. 25.11.2022 को हलफनामे में जानबूझकर छिपाना — Perjury एवं Criminal Contempt
5.	Precautionary Principle — Rio Declaration, Principle 15; NGT Act 2010, Section 20	Wildlife Corridor में अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय क्षति को रोकने का दायित्व — WLMP का अभाव उल्लंघन है
6.	Indian Council for Enviro-Legal Action v. UoI [(1996) 3 SCC 212] — पर्यावरणीय क्षति में तत्काल संरक्षणात्मक आदेश	32 जनहानि, ₹2.53 करोड़ की क्षति — Irreversible Harm की श्रेणी में; तत्काल हस्तक्षेप अपरिहार्य
7.	Public Trust Doctrine — M.C. Mehta v. Kamal Nath [(1997) 1 SCC 388] — राज्य प्राकृतिक संसाधनों का Trustee है	प्रतिवादी 02 ने Trustee के रूप में कर्तव्य का परित्याग कर उल्लंघनकर्ता NTPC को संरक्षण दिया
8.	Suppressio Veri, Suggestio Falsi — सत्य को छिपाना एवं असत्य को दर्शाना — न्यायिक अवमानना	MoEF&CC की स्वयं की रिपोर्ट में 'आंशिक उल्लंघन' दर्ज, हलफनामे में 'अनुपालन' दिखाना — Fraud on Court

9	Animal Welfare Board vs. A. Nagaraja (2014	पशुओं को 'गरिमा के साथ जीने' और 'पांच स्वतंत्रताओं' का अधिकार दिया गया। पशुओं के प्रति क्रूरता और उनके अधिकारों का हनन।
10	Subhash Kumar vs. State of Bihar (1991)	प्रदूषण मुक्त जल और वायु के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया। पर्यावरण को क्षति पहुँचाना और जन स्वास्थ्य से खिलवाड़।
11	T.N. Godavarman Thirumulpad Case	वनों के संरक्षण के लिए 'सतत विकास' और 'सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत' लागू किया गया। वन भूमि का अवैध दोहन या गैर-कानूनी उपयोग।

भाग-VII : प्रार्थना / Prayer

माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदक उपरोक्त तथ्यों, अभिलेखों एवं विधिक आधारों के परिप्रेक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण से विनम्र निवेदन करता है कि प्रतिवादी संख्या 02 (MoEF&CC) कानून वन एवं पर्यावरण शर्तों (FC/EC Conditions) के 'कस्टोडियन' (संरक्षक) हैं, जिनका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है। वहीं, प्रतिवादी संख्या 04 भारत सरकार का एक उपक्रम होने के नाते 'आदर्श नियोक्ता/संस्था' (Model Employer/Entity) की श्रेणी में आता है, जिससे कानून के अक्षरशः पालन की अपेक्षा की जाती है। किंतु वर्तमान प्रकरण में, इन अधिकारियों ने अपने विधिक दायित्वों का परित्याग कर 'कॉर्पोरेट हितों' को 'लोक हितों' से ऊपर रखा है। यह विडंबना ही है कि जिन्हें पर्यावरण का कवच बनना था, वे ही उसके विनाश के मूक गवाह और सहभागी बन गए हैं—अर्थात 'रक्षक ही भक्षक' की भूमिका में हैं। अधिकारियों ने सरकारी स्वामित्व का दुरुपयोग करते हुए निजी/सामूहिक लाभ के लिए क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र का विध्वंस, संरक्षित वन्यजीवों का प्राकृतिक आवागमन अवरुद्ध करना, तथा वन्यजीव-मानव संघर्ष से उत्पन्न होने वाली अपूरणीय जान-माल हानि को संरक्षण प्रदान किया है। विशेष रूप से, MoEF&CC द्वारा निर्धारित FC/EC शर्तों का निर्मम उल्लंघन एवं दुरुपयोग करते हुए प्रतिवादियों द्वारा साक्ष्यों को जानबूझकर छिपाना और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि माननीय न्यायाधिकरण की 'सत्य की खोज' (Quest for Truth) की प्रक्रिया में एक गंभीर बाधा है। यह 'न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप' (Interference in the Administration of Justice) का स्पष्ट मामला है। जब सरकारी तंत्र ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर न्यायालय को गुमराह (Mislead) करने का प्रयास करे, तो न्यायालय का दायित्व और भी अधिक 'पवित्र' (Sacred) एवं 'कठोर' हो जाता है।जब कार्यपालिका (Executive) अपने कर्तव्यों में विफल हो जाए, तब न्यायालय का 'Parens Patriae' (अभिभावक के रूप में) उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। ऐसी असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ राज्य/केंद्र की एजेंसियां अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रही हों, वहां माननीय न्यायालय से 'पेरेंट्स पैट्रिया' (Parens Patriae - देश का संरक्षक) के रूप में हस्तक्षेप की अपेक्षा है। न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि "न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए।" जब रक्षक ही विधिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगें, तो समाज की अंतिम आशा केवल माननीय न्यायालय की निष्पक्षता और उसकी दृढ़ता पर टिकी होती है। अतः प्रार्थना है कि माननीय न्यायाधिकरण इस मामले में 'Substantive Justice' (ठोस न्याय) प्रदान की अपेक्षा रखता हूं । आवेदक श्रद्धापूर्वक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण से निम्नलिखित राहत/करवाई प्रदान करने का निवेदन करता है ।

1. यह आदेश दिया जाए कि FC स्टेज-II, F.No. 8-56/2009-FC दिनांक 17.09.2010 की शर्त संख्या 09 का तत्काल एवं पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा NTPC PBCMP द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए.

2. क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण एवं आवागमन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावित क्षेत्र में Wildlife Corridors की बहाली, संरक्षित प्रजातियों की सुरक्षा एवं मानव–वन्यजीव संघर्ष को न्यूनतम करने हेतु वर्तमान भौतिक आकलन कर ठोस एवं वैज्ञानिक उपाय लागू करने के लिए बाध्यकारी निर्देश पारित किए जाएँ।
3. भविष्य वन्य जीव प्रबंधन शर्त अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निगरानी तंत्र (Monitoring Mechanism)— FC एवं EC शर्तों के कठोर अनुपालन हेतु एक प्रभावी निगरानी एवं ऑडिट प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिए जाएँ, जिससे भविष्य में इस प्रकार के उल्लंघनों की पुनरावृत्ति और वन्य जीव - मानव जीवन,कृषि,फसल मकान आदि के अपूरणीय क्षति पर रोक से संबंधित आदेश पारित किया जाए।
4. पर्यावरणीय प्रतिपूरक क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation)— पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवों एवं स्थानीय समुदाय को हुई जान-माल को क्षति के आकलन हेतु विशेषज्ञ निकाय गठित कर, 'Polluter Pays Principle' के अंतर्गत प्रतिवादियों से उपयुक्त क्षतिपूर्ति वसूल की जाए।
5. उत्तरदायित्व निर्धारण (Fixation of Accountability)— संबंधित अधिकारियों एवं प्रतिवादियों की भूमिका का निर्धारण कर, उनके विरुद्ध विधि सम्मत दंडात्मक एवं विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
6. प्रतिवादियों के विरुद्ध जानबूझकर भ्रामक गुमराह हलफनामा दायर करने हेतु Perjury एवं Criminal Contempt of Court न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 229 (न्यायालय की अवमानना) और धारा 236 (न्यायालय की अवमानना की दंडात्मक प्रावधान) के उल्लंघन एवं CrPc 340 एवं IPC 193, 195 के तहत कार्रवाई की कृपा की जाए।
7. वर्ष 2019-2024 के मध्य मानव-वन्यजीव संघर्ष में हुई 32 मानव मृत्यु एवं ₹2.53 करोड़ से अधिक की संचयी क्षति हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण एवं उचित क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाए; एवं
8. उक्त उल्लंघनों के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं NGT अधिनियम 2010 एवं BIO DIVERSITY Act 2002 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई किया जाए
9. माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश (SUO-MOTU CONTEMPT PETITION (CIVIL) NO.3 OF 2021 dated 11.07.2022),माननीय सुप्रीम कोर्ट ABCD बनाम भारत संघ (Union of India) 2019 माननीय सुप्रीम कोर्ट धनंजय शर्मा बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 2 मई, 1995 आदि मामलों के आदेशों/विचारों के आलोक में अपराधिक अवमानना की कार्रवाई किया जाए।
10. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मामले में भारत सरकार,कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या - F No 228/58-2023-AVD III के आलोक में सीबीआई से जांच और PC ACT 1988 के तहत कार्रवाई कराया जाए।

उपर्युक्त सभी बिंदुओं पर आवश्यक आदेश जारी करने का माननीय न्यायालय से प्रार्थना है ।

आपका विश्वासी

आवेदक, NGT (EZ) OA No 107/2025

मंटू सोनी उर्फ शनि कांत 07/05/2026

मंटू सोनी उर्फ शनि कांत

पुत्र- श्री राजेश कुमार

बड़कागांव, जिला- हजारीबाग (झारखंड)

पिन कोड - 825311, मोबाईल - 9504268699

अनुलग्नक सूची (List of Annexures):

- अनुलग्नक-01 : MoEF&CC क्षेत्रीय कार्यालय रांची की आधिकारिक रिपोर्ट दि. 25.11.2022, पत्रांक-717 [804570/2022/RO-ECZ-271 पेज 06]
- अनुलग्नक-02 : वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग, पत्रांक 5813, दि. 11.10.2023 — मुआवजा विवरण 2019-2024
- अनुलग्नक-03 : सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के दौरान दुर्घटना में मौत का खबर संकलन
- अनुलग्नक-04 : वन प्रमंडल पदाधिकारी का पत्र दि. 21.12.2023 क्षेत्र में प्रतिवादी 04 सहित अन्य परियोजनाओं द्वार बिना Wildlife Plan/CAT Plan खनन की रिपोर्ट
- अनुलग्नक-05 : FC शर्त उल्लंघन में EC शर्त मान्य/दस्तावेज नहीं होने से संबंधित सूचनाधिकार का उतर.
- अनुलग्नक -06 : EC शर्त संशोधन पत्र
- अनुलग्नक -07- EC समयावधि समाप्ति के बाद सड़क मार्ग से कोयला परिवहन एवं रेलवे साइडिंग तक कन्वेयर निर्माण का फोटोग्राफ्स.
- अनुलग्नक -08 : वन्य जीव - मानव द्वंद एवं वन्यजीव आवागमन प्रभावित से संबंधित पेपर कटिंग

भारत सरकार
Government of India

शनि कान्त
Shani Kant
जन्म तिथि / DOB : 05/06/1985
पुरुष / Male

3510 2988 3792

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता
आत्मज: राजेश कुमार, 645, रेंज ऑफिस के पास, बड़कागाँव, हजारीबाग, बड़कागांव, झारखण्ड, 825311

Address
S/O: Rajesh Kumar, 645, near range office, Barkagaon, Hazaribagh, Barkagaon, Jharkhand, 825311

3510 2988 3792

1947

मन्टु सोनी उर्फ शनि कान्त
07/05/2026

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regn. No.
308/2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

804570/2022/RO-ECZ

भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय/Integrated Regional Office
पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in

मिसिल सं0 FP/JH/min/38798/2019/717 दिनांक 25.11.2022

सेवा में,

श्री चरणजीत सिंह,
वैज्ञानिक 'डी' (FC Division)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः पकरी–बरवाडीह कोल माईन नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट, मेसर्स नेशल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड जिला हजारीबाग स्थित का स्थल निरीक्षण एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा किए जाने के संबंध में।

सन्दर्भः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8–56/2009–एफ.सी-(vol) दिनांक 07/07/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् के संदर्भित पत्र के आलोक में परियोजना से संबंधित वांछित स्थल निरीक्षण किया जाकर तैयार प्रतिवेदन को मार्गदर्शिका के पारा 1–21-(III) के आलोक में विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरांत क्षेत्रीय सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करा उनकी संस्तुति के साथ संलग्न प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः यथा उक्त

भवदीय

25/11/22
(शशि शंकर)
सहायक वन महानिरीक्षक
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

In this fresh proposal for diversion of 331.198 Ha, the proposed forest-area is located in the North-Western side of the already diverted area (1026.438 Ha; S-II vide letter dated 17/9/2010, as depicted in the following imagery: -

It is seen that the proposed forest area is contiguous to the already diverted area. The area has fairly good vegetative density and undulating terrain. The forest officials present there apprised that occasional movement of elephant herds too is reported in the area.

The proposed area (331.198 ha; FP/JH/Min/38798/2019) is separated from the existing mines (1026.438 Ha area; FP/JH/MIN/693/2009) by a

tributary of the Khora Nala which constitutes the western boundary of the lease area (as depicted below).

The total lease hold of the North-West Project is 485.16 Ha which includes 113.56 Ha of tenancy land, 19.71 Ha of GM Land and 351.189 Ha Forest land which includes 20.692 Ha already diverted forest land 9from 1026.438 Ha) apart from the applied 331.198 Ha forest land.

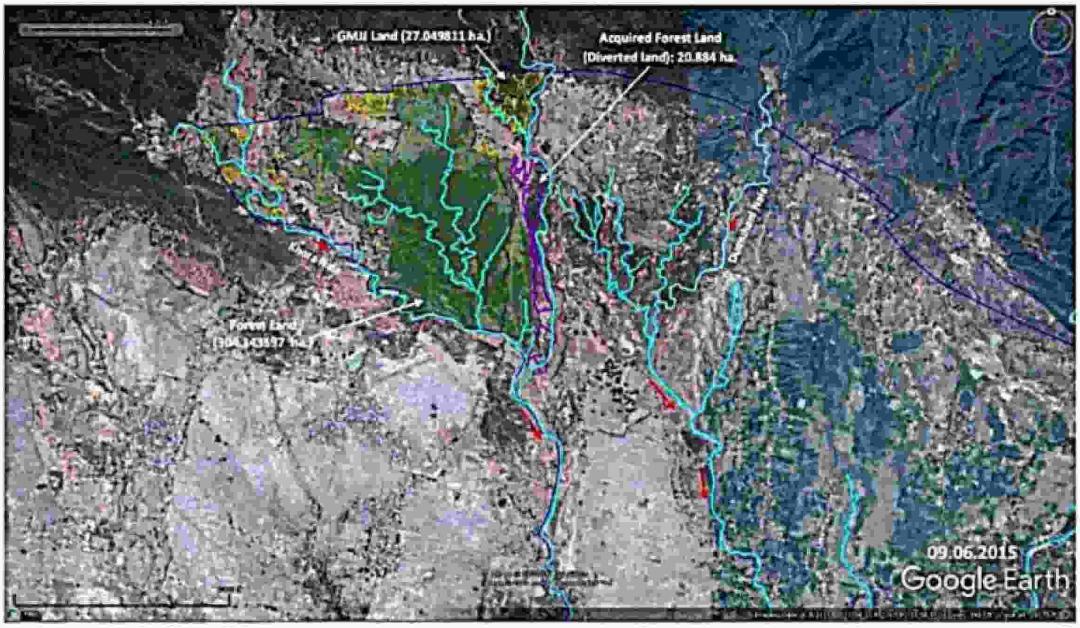

The total coal bearing area is 471.06 Ha which has mineable reserve of 138.96 MT. with a production capacity of 3 MTPA, the total project life is planned for 52 years.

The project proponent has emphasized that the 15 mtr. safety zone at the boundary of proposed and existing area has been incorporated in the mining plan and therefore 33.18 MT of mineral reserve shall be kept as Barrier & Batter. The trapezoid form of the earth below the undisturbed surface accounts for such staggering occluded minable mineral resource – about 30% of total. Upon further enquiry on the matter, the representatives of user agency apprised that this trapped mineral shall be mined in 2nd phase of project – some 40 years later.

User agency, in attempt to capitalize the discussion, tried to justify the violation of condition No. 8 imposed in final approval of 1026 Ha area.

The condition No. 8 of the final approval dated 17/09/2010 for 1026.438 Ha (adjacent forest area, to same user agency) demanded, *"User agency will take up programme for at least 50m greenbelt along the sides of the Pakwa Nallah and Dumuhani Nallah from the initial years under the supervision of the State Forest Department."*

The situation of Pakwa Nallah & Dumuhani Nalla (Khora Nalla too) is shown in the imagery below.

User agency tried to explain that since Dumuhani Nalla was running almost through the middle of the project area, leaving 50m belts on both sides of it would have resulted in unviable mining operation as massive reserve would have left unutilized. Therefore, they resorted to mining there too.

The inspecting team of IRO asked the project proponent that if such massive was the implication why appropriate representation in time was not made by user agency considering the fact that conditions under S-II were issued in 2010 whereas actual mining started six years later in 2016.

Situation portray least botheration of user agency towards the compliance of conditions mentioned in final approval of Forest clearance while implementing the project.

Further project proponent apprised that Dumuhani nalla was to be diverted as per the approved mine plan (Chapter 5.2.11) of CWPRS Pune. Even then U/A gave consent to develop greenbelt around it for sake of processing hurried Forest clearances. (Stage-I issued on 11/5/2010, S-II on 17/9/2010).

They also informed that user agency has procured required permission to divert the Nallah from water Resource Department, Govt. of Jharkhand vide letter dated 19.3.2013. State Forest Department officials were asked to clarify whether or not the water Resources department is empowered to accord such permission in forest area or not; the officials responded in negative.

In such a scenario it is evident that user agency's prime concern was revenue generation only with least care towards the compliance of conditions by which the very approval of mining in the area was conveyed.

The drainage system of Dumuhani Nalla prior to mining operation commencement (in 2015) and post mining operation (2019) are shown in the below two satellite imageries.

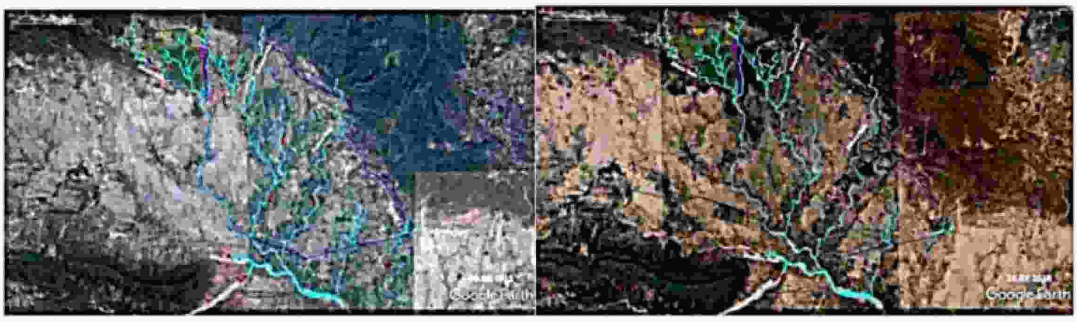

From the two satellite imagers it is quite clear that the mining operation has destroyed the very region from where the Dumuhani Nalla was rising/originating. Since the source region itself is completely dug out, the nalla course now receivers almost no water in itself.

The following photo shows the amount of water in Nalla at Point 'A' at the time of visit.

Therefore, it becomes hence clear that user agency has not complied with the condition no. 8 of final FC approval.

Further condition No. 9 demands that coal evacuation should be done through high speed conveyor of 20 m width. During site inspection it was found that coal is being transported through conveyor partially, coal was seen being transported by road too. This apparently tantamount to partial violation of condition no. 9.

User agency has done considerable compliance related to soil, moisture and water conservation in the area including other conditions imposed in the final approval of 1026.438Ha.

Site inspection to proposed CA (DFL) area:-

The proposed CA in Degraded Forest Land (DFL) for the extant proposal is proposed over 665.237Ha of Degraded Forest land in Barkatha Forest Range, Hazaribagh (West) Forest Division. During the visit to the proposed CA DFL area, the following officials/representative were present:

- Sh. Shailendra Kumar, IFS, Hazaribagh (West) Forest Division
- Sh. Kamalesh Singh, Range Officer of Barhi/Barkatta.
- Sh. Rajendra Kumar, SBO.
- Sh. Deb Chand Mahto Kumar, SBO.
- Sh. Pavan V. Khandwe, Addl. General Manager (Mining), PB, NTPC Ltd.
- Sh. Birendra Kumar, Addl. General Manager (Envt. Mgmt.) PB, NTPC Ltd.

The CA DFL area is constituted/identified in 7 patches spread across 8 villages. Most of the area was found suitable for raising compensatory afforestation. Few patches were found to have considerable amount of vegetation and the forest officials and the representatives of user agencies were asked to deduct the dense areas from the net workable extents. Considering the huge spatial extent of the patches, it may be difficult to completely replace the patches, hence gross area and net area consideration was asked for incorporation. Absence of existing boundary pillars, kuccha/pakka encroachments and less staff in position were few ubiquitous impediments observed which officials ensured to take care off.

The entire proposed CA (DFL) is situated in 8 villages, the details provided in the following table:

Name	Area in ha.	Observation (During Site Visit)
Patch 1	36.459	-
Patch 2	126.282	-
Patch 3	119.112	-
Patch 4	92.011	Encroachment small (village) has been observed
Patch 5	39.856	-
Patch 6	68.433	-

Patch 7	183.082	Encroachment (small village at Pandanatanr & Brick kiln at Bero) has been observed.

Assessment of Violation in context with para 1.21 of FC Handbook:-

Since the user agency has violated the condition No. 8 of final FC approval for approved 1026.438 Ha forest land in the lease, the para 1.21 (III) is applicable to assess the violation.

Further, as the violation has been done by way of mining in the otherwise greenbelt, the situation of *fait-accompli* has been created and hence now user agency can not comply with the condition anyways.

This fait-accompli situation is the result of user agency's urge to extract more mineral & hence revenue generation.

As per condition no. 8, user agency was supposed to maintain greenbelt of 50 meters width on the both sides of the stream (Nalla). Considering the total length of the Nalla, 12KM (12000 meters) within the lease area, and average width of 30 meters, the user agency was supposed to establish & maintain greenery (and not mining) in 12000X130= 1560000 m^2 or 156 Ha area.

Considering the Angle of Repose (AoR) of a relaxed 45^0, and average depth of mining as 300meters;

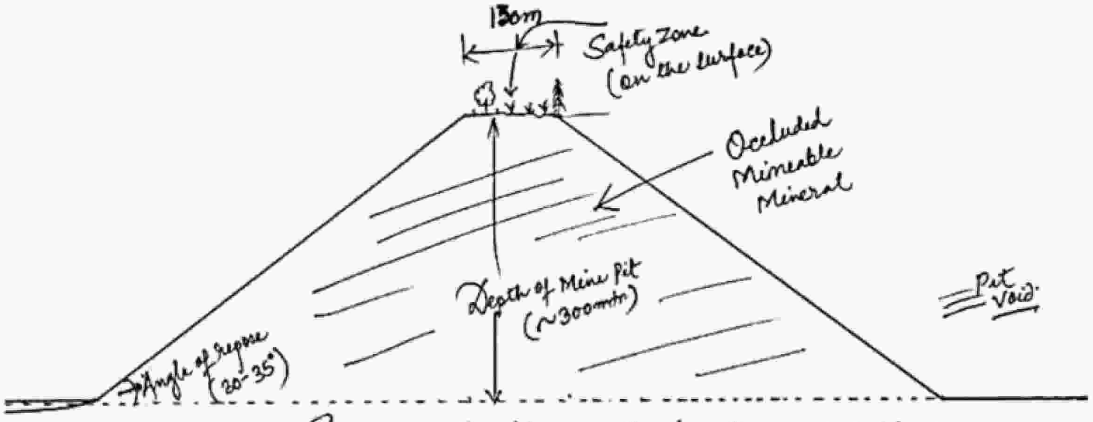

-: Representative diagram showing the cross-sectional view:-

Considering a more relaxed AoR of 45°; and Average stream bed width = 30mtr

Cross-sectional Area = $\frac{130+730}{2} \times 300$

$= 129000\ m^2$

A Total Earth of 129000 m^2 X12000m = 1548 million m^3 would have left undistributed throughout the course of Dumuhani Nalla within the lease (as depicted in the symbolic diagram below).

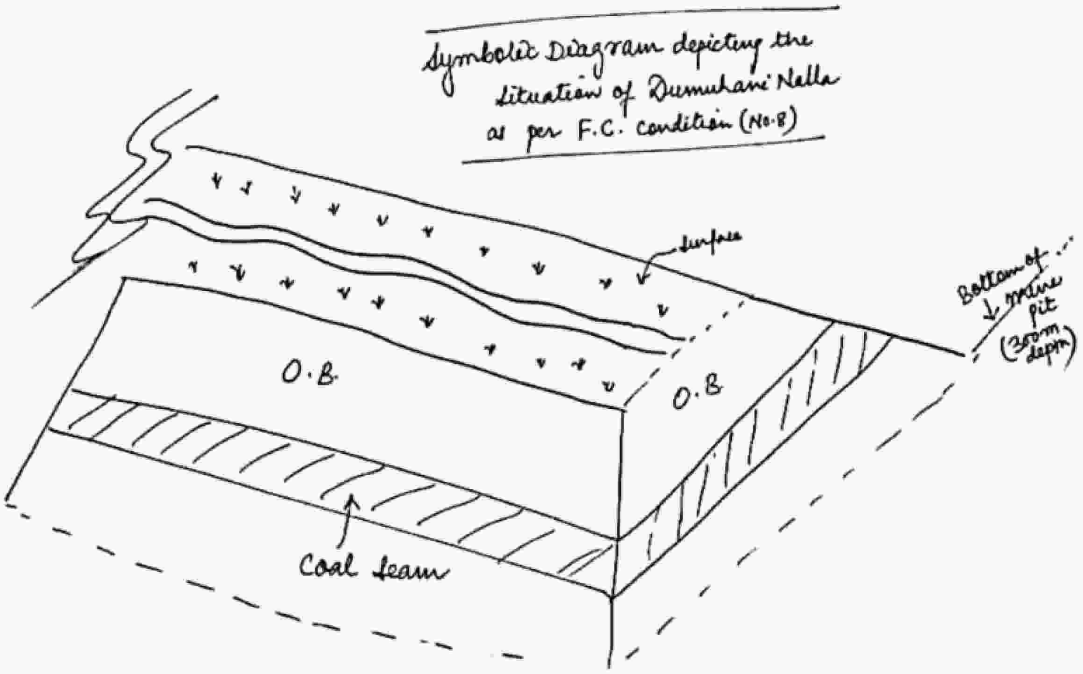

Considering a minimal 10% of total earth as useful mineral, the volume of Coal would be 154.8 million m^3.

Therefore, considering the specific gravity of 1.8 for these coal, the total amount of Coal mined by violating the FC Condition is 278MT.

Hence, for mining this staggering amount of mineral the user agency has violated the condition of FC and the area involved in violation is 156 Ha.

Also, by mining in the otherwise postulated green area, the user agency has saved itself upon the cost of Afforestation too which was expected on the violated land.

Therefore, in assessment of the quantum of violation, the following points are considered (in accordance to the ministry's guideline dated 1/8/2017): -

1. Penal NPV: - 2 times of the Normal NPV as per para 1.21(iii) of the FC Guidelines Handbook.
2. Loss of Eco-system services that the green belt would have provided: - Equal to the NPV.
3. The greenbelt along the Nalla would have served as a good Habitat for avian fauna and other several biodiversity. Therefore, 50% of NPV is accounted for Habitat Destruction as per the guideline dated 1/8/2017.
4. Compensatory afforestation and soil moisture conservation cost that the user agency should have borne as per the laid condition. Since afforestation was to be done in linear patches, considering the increased fencing the rate of Afforestation is considered as Rs 5 Lakh per Ha.

Therefore, the Penalty assessed for the Fait-accompli violation is:

156 X (3.5 times NPV+ Afforestation cost)

=156 X (3.5X1357110+500000) Eco class-III, Density=.8

=Rs 818982060/-.

804570/2022/RO-ECZ

Recommendations of IRO Ranchi:

The extant case was discussed in the REC meeting in light of the violation done by the user agency in the adjacent/contiguous area of the same mining lease.

REC members took serious note of the apathetic attitude of project proponent towards the conditions on which the very Forest Clearance was accorded towards the mining in forests.

Therefore, REC unequivocally recommended that the extant proposal of project proponent in the same lease area should only be considered after the penalty of Rs 818982060/- (Rupees Eighty One Crore Eighty Nine Lakh Eighty Two Thousand and Sixty only) is realized from user agency for violating the FC conditions and creating fait-accompli situation at the site against the guidelines of Hon'ble Supreme Court of India also.

25/11/22

Shashi Shankar

AIGF, IRO Ranchi.

Santosh Tewari

Dy. DGF, IRO Ranchi.

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग
☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmal.com & dfo-hazaribaghwest@gov

पत्रांक 5813 दिनांक 11/10/23

सेवा में,

परियोजना पदाधिकारी,
सी0सी0एल0, आम्रपाली–चन्द्रगुप्त एरिया,
आकाशदीप , मेन रोड, डकरा,
जिला– राँची, (झारखण्ड), 829201

विषयः– हजारीबाग जिला के केरेडारी प्रखण्ड अन्तर्गत चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना निर्माण हेतु हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 298.42 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– परियोजना पदाधिकारी, चन्द्रगुप्ता खुली खदान परियोजना आम्रपाली चन्द्रगुप्त क्षेत्र सी0सी0एल0 का पत्रांक 187 दिनांक 05.10.2023, पत्रांक 191 दिनांक 05.10.2023 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना में भा सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-24/2023-FC दिन 22.09.2023 द्वारा पन्द्रह विन्दुओं पर पृच्छा की गई है। जिसमें पृच्छा के कम संख्या Viii. & Xiv के सदभ हाथियों का मृत्यु तथा हाथियों के द्वारा क्षति/मुआवजा से संबंधित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्र कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

विश्वासभाजन

10/11/23
वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

PROJECT OFFICER
CHANDRAGUPT OPEN CAST PROJECT
AMRAPALI-CHANDRAGUPT AREA, CCL

हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 (अबतक) में जंगली हाथियों द्वारा मृत एवं घायल व्यक्तियों से संबंधित मुआवजा राशि का भुगतान की विवरणी

क्र. सं.	विवरण	2019–20		2020–21		2021–22		2022–23		2023–24		कुल	
		मामला	राशि	मामला	राशि	मामला	राशि	मामला	राशि	मामला	राशि	मामला	राशि
1	मृत्यु	2	800000	8	3200000	9	3600000.00	5	2000000.00	1	400000	25	10000000.00
2	घायल	1	100000			3	130000.00	2	200000.00	1	100000	7	530000.00
	कुल	3	900000.00	8	3200000.00	12	3730000.00	7	2200000.00	2	500000.00	32	10530000.00

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल
10/10/23

PROJECT OFFICER
AMRAPALI CHANDRAGUPT AREA, CCL

Elephant Compensation 2019-20 ... xls

10-10-2023death

हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 (अद्यतन) में जंगली हाथियों द्वारा फसल, भंडारित अनाज, मकान क्षति एवं पशु क्षति से संबंधित मुआवजा राशि का भुगतान की विवरणी

क्र.सं.	विवरण	2019–20				2020–21				2021–22				2022–23				2023–24				कुल			
		मामला	हे0	क्विंटल	राशि	मामला	हे0	क्विंटल	राशि	मामला	हे0	क्विंटल	राशि	मामला	हे0	क्विंटल	राशि	मामला	हे0	क्विंटल	राशि	मामला	हे0	क्विंटल	राशि
1	फसल क्षति	106	16.86		337524	665	80.887	0	1617728.00	273	39.596	557120	557120.00	371	65.616		1312520.00	145	25.804		516080.00	1560	228.8	557120	4340772.00
2	भंडारित अनाज	19		43.5	69600	105		265.6	424960.00	76		133.75	214000.00	62		135	215984.00	28		40.60	64960.00	290	0	618.44	989504.00
3	मकान क्षति	35			588000	498			4380000.00	133			2230000.00	144			2220000.00	46			690000.00	576	0	0	10110000.00
4	पशु क्षति	2			8000	13			180000.00	2		18000	18000.00	3			43000.00	3			65000.00	23	0	18000	314000.00
	कुल	162	16.86	43.5	1003124	981	80.887	265.6	6602688	504	39.596	575253.75	3019120	580	65.616	135	3793304	222	25.804	40.6	1336042.00	2449	228.8	575738	15754276.00

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल
10/10/23

PROJECT OFFICER
CHANDRAGUPT OPEN CAST PROJECT
PALI-CHANDRAGUPT AREA, CCL

Elephant Compensation 2019-20, 2022-23, 2023-24

विगत 5 (पाँच) वर्षों मे इस प्रमंडल मे मानव एवं हाथियों की मृत्यु की विवरण।

क्रम संख्या	वर्ष	मानव की मृत्यु	हाथी की मृत्यु
1	2019–20	–	–
2	2020–21	–	–
3	2021–22	03	–
4	2022–23	01	–
5	2023–24	–	–

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

14/10/23

दैनिक भास्कर हजारीबाग 02-12-2022

बड़कागांव के एमसीसी बिल्डिंग 2 के समीप शाम साढ़े 5 बजे की घटना, आक्रोश

काम से घर लौट रहे युवक की हाइवा की चपेट में आने से मौत...सड़क जाम

भास्कर न्यूज | बड़कागांव

त्रिवेणी सैनिक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के एक हाइवा ने गेट नंबर चार के निकट एमसीसी बिल्डिंग 2 के समीप शाम को काम कर वापस घर लौट रहे कामगार चेपाकला निवासी 28 वर्षीय सुनील भुइयां को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में सुनील भुइयां की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना शाम साढ़े पांच की है। इस घटना के बाद हाइवा लेकर चालक घटनास्थल से फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर कोयला ट्रांसपोर्टिंग को पूर्ण रूप से बाधित कर दिया। घटना पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि पानी का छिड़काव नहीं होने के कारण काफी धूलकण उड़ता है और सामने का आदमी या गाड़ी नहीं दिखाई देता है। चौपाड़ पर कंपनी के द्वारा किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्रहरी की व्यवस्था नहीं है और ना ही सुरक्षा के मानकों को अपनाया गया है। ट्रांसपोर्टिंग की गाड़ियां मनमाने तरीके से आवागमन करती हैं। उन्हें सुरक्षा नियमों का भी कोई ख्याल नहीं रहता है। लापरवाही पूर्ण वाहनों के परिचालन के कारण आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बड़कागांव थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। पुलिस ने घटना की जानकारी लेने के बाद माना कि लापरवाही पूर्ण वाहनों के परिचालन ही इस घटना का मुख्य कारण है।

मृतक अपने पीछे माता पिता पत्नी और तीन पुत्र छोड़ गया। समाचार लिखे जाने तक जाम लगा हुआ था।

हमेशा धूल उड़ने से सामने नहीं दिखता, नियमों का पालन नहीं

मुआवजा की मांग को लेकर सड़क जाम करते ग्रामीण।

चौपारण : न्यू गंगोत्री फैमिली ढाबा पर गिरा विशाल पेड़, बचे लोग

चौपारण | प्रखंड के जीटी रोड के समीप सिमरकोनी में वन भूमि पर संचालित न्यू गंगोत्री फैमिली ढाबा में गुरुवार की दोपहर अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया। जिससे न्यू गंगोत्री फैमिली ढाबा एवं पान गुमटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक पेड़ गिरने समय संचालक पान गुमटी में था। जिसके चपेट में आकर घायल हो गया। इस सम्बंध में न्यू गंगोत्री फैमिली ढाबा के मालिक सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि प्रतिदिन की भांति होटल बुधवार को संचालित था और सभी स्टाफ भी मौजूद थे। अचानक दोपहर में होटल से सटा एक विशाल पेड़ होटल पर गिर गया। जिससे होटल में लगा एसबेस्टस सहित कई समान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं सामने खड़ी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में हजारों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं होटल के साथ पान गुमटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया बताया जाता है कि वन भूमि में संचालित होटलों को तोड़ने का हाईकोर्ट का आदेश है। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।

दैनिक भास्कर

हजारीबाग 01-11-2022

बड़कागांव में हाइवा की चपेट में आने से युवक की मौत, जाम

बड़कागांव | बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत हजारीबाग रोड स्थित 13 माइल के पास हाइवा ने बाइक सवार युवक 40 वर्षीय राम कुमार महतो (पिता लाल देव महतो) को अपनी चपेट में ले लिया जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक बड़कागांव पश्चिमी पंचायत विधायक मोहल्ला का रहने वाला था। बड़कागांव पश्चिमी पंचायत मुखिया रंजीत कुमार ने बताया कि रामकुमार अपने बेटे के साथ अपने रिश्तेदार हजारीबाग के यहां से छठ पूजा कर घर वापस आ रहा था। परंतु तेज रफ्तार में आ रही त्रिवेणी सैनिक का हाइवा ने धक्का मार दिया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हाइवा धक्का मारकर फरार हो गया। बैचिंग प्लांट की तरफ घुस गया। घटना सोमवार रात्रि 8:00 बजे की है। समाचार लिखे जाने तक घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आवागमन पूर्ण रूप से बाधित कर दिया है। जानकारी मिलते ही बड़कागांव थाना प्रभारी विनोद तिर्की एवं डाड़ी कला थाना प्रभारी मणिलाल सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया।

दैनिक भास्कर

हजारीबाग 02-11-2022

मृतक के परिजन को ₹6 लाख और नौकरी देगी त्रिवेणी सैनिक कंपनी

कंपनी के हाइवा की चपेट में आने से हुई थी रामकुमार महतो की मौत

भास्कर न्यूज|बड़कागांव

सोमवार देर शाम हजारीबाग रोड स्थित 13 माइल के पास त्रिवेणी सैनिक कंपनी के हाइवा की चपेट में आने से विधायक मोहल्ला बड़कागांव निवासी 40 वर्षीय राम कुमार महतो के घटनास्थल पर ही मौत हो जाने को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने 6 घंटा सड़क जाम रखा। देर रात लगभग 1:00 बजे पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, पश्चिमी पंचायत मुखिया सह संघ अध्यक्ष रंजीत कुमार, जिला परिषद प्रतिनिधि मोहम्मद इब्राहिम, पूर्वी मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार साव, सांसद प्रतिनिधि बालेश्वर कुमार, कंपनी के अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में समझौते के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेजा गया। इस दौरान हाईवा से हो रही कोयले की ट्रांसपोर्टिंग कार्य को 19 घंटा तक बंद रहा, एनटीपीसी साइट कार्यालय सिकरी में जन प्रतिनिधि मंडल एवं कंपनी के अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद ट्रांसपोर्ट इन कार्य शुरू कर दिया गया। इस दौरान कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कंपनी के अधिकारी जनरल मैनेजर सयक पाल ने बताया कि मुआवजा के तौर पर मृतक के परिजन को 6 लाख का चेक बुधवार को दे दिया जाएगा एवं उनके परिजन के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

रामकुमार महतो।

दैनिक भास्कर
हजारीबाग 09-02-2023

कोयला चुनने गई महिला की ओबी से दबकर मौत, मुआवजे के लिए 9 घंटे सड़क जाम किया

त्रिवेणी कंपनी मृतक के परिवार को 6 लाख और नौकरी देगी, ग्रामीणों ने हटाया जाम

भास्कर न्यूज | बड़कागांव

जलावन के लिए त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग डंप एरिया सोनबरसा में बुधवार सुबह 4:00 बजे कोयला चुनने गई बड़कागांव बसरिया मुहल्ला निवासी 37 वर्षीय महिला सुनीता देवी (पति भुनेश्वर प्रजापति) की ओबी से दबने के कारण मौत हो गई। इससे आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने शव को लेकर बड़कागांव-हजारीबाग मुख्य पथ को 13 माईल के पास सड़क जाम कर मुआवजे व रोजगार की मांग करने लगे। मिली जानकारी के अनुसार सुनीता अपने पति भुनेश्वर के साथ घर से सुबह 4:00 बजे त्रिवेणी सैनिक डंपिंग एरिया में कोयला चुनने के लिए सोनबरसा गांव गई थी। चश्मदीद बताते हैं कि सुनीता ऊपर चढ़कर कोयला चुनने लगी और इसी दौरान बड़ा पत्थर का कुछ हिस्सा खिसक गया। उसके ऊपर आ गिरा और दब गई। ग्रामीणों के प्रयास से बाहर निकाला गया परंतु तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक का परिवार अत्यंत ही गरीब है। वे अपने पीछे पति समेत तीन पुत्री एवं एक पुत्र छोड़ गई। सूचना पाकर बड़कागांव थाना के एसआई अभय कुमार व प्रशांत कुमार दलबल के साथ स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शांति व्यवस्था में जिला परिषद प्रतिनिधि मोहम्मद इब्राहिम, पंचायत समिति सदस्य रितेश ठाकुर, मुखिया तकरिमुल्लाह खान, सुरेश राणा व अन्य प्रबुद्ध लोग लगे रहे। मृतक के परिजन एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मुआवजे और नौकरी को लेकर सुबह 6:00 बजे से तकरीबन 9 घंटा तक सड़क जाम रखा गया। जिसके कारण भारी संख्या में वाहन रोड के किनारे लगे हुए देखे गए। विधायक अंबा प्रसाद के प्रयास से कंपनी द्वारा मृतक के परिजन को ₹6 लाख एवं एक नौकरी देने की शर्त पर जाम हटाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेजा गया।

एक महीना से सोनबरसा में ओबी का काम बंद है

मामले को लेकर त्रिवेणी सैनिक के अधिकारियों का कहना है कि एक महीना से सोनबरसा में ओबी डंपिंग का काम बंद है। कई बार ग्रामीणों को कोयला चुनने से मना किया गया है। फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। जागरूकता के लिए एनटीपीसी के द्वारा पंफलेट भी बंटवाया गया है, ग्रामीणों को जागरूक होने की जरूरत है।

दैनिक भास्कर हजारीबाग 18-01-2026

आठ लाख मुआवजा और दो नौकरी पर समझौता, 10 वर्षों में 25 लोगों की हुई है मौत

मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को हाइवा ने मारी टक्कर, मौत, 12 घंटे सड़क जाम

भास्कर न्यूज | बड़कागांव

बड़कागांव के बरवाडीह गांव में सुबह 5:30 बजे एक अज्ञात हाइवा वाहन ने मॉर्निंग वॉक करने को निकली महिला 50 वर्षीय तेतरी देवी (पति तोलोंकी महतो) को अपने चपेट में ले लिया। जिसके कारण उसकी मौत

उसके घर से लगभग 200 फीट की दूरी पर हो गई। घटना के बाद चालक हाइवा को लेकर फरार हो गया। इस दौरान हाइवा ने भागने के क्रम में नाली व स्ट्रीट लाइट को भी तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने 13 माइल के पास शव के साथ सड़क जाम कर दिया। वे मुआवजा की मांग करने लगे। सड़क जाम होने के कारण एनटीपीसी की हाइवा से कोल ट्रांसपोर्टिंग कार्य भी ठप रहा। यह जाम शाम 5:30 बजे तक 12 घंटे तक जारी रहा।

सदर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडेय, बड़कागांव प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार मंडल, सीओ मनोज कुमार, बड़कागांव थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता सड़क जाम स्थल पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से बात कर उनकी समस्याओं एवं उनकी मांगों को सुना। एसडीओ के आश्वासन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग ले जाया गया। अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि एनटीपीसी के द्वारा मृतक के परिजन को ₹800000 का चेक सोमवार को दिया जाएगा और दो नौकरी भी दी जाएगी। वहीं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, आजसू पार्टी केंद्रीय सदस्य संदीप कुशवाहा के अलावा कई विशिष्ट प्रबुद्ध लोग सड़क जाम स्थल पर पहुंचकर मृतक के परिजन से मिले एवं मुआवजा राशि दिलाने के लिए प्रयासरत रहे। अंबा प्रसाद ने कहा कि परिजन को सभी मुआवजा राशि मिलाकर साढ़े 10 लाख रुपया मिलेगा।

सड़क दुर्घटना के बाद वाहनों की लगी लंबी कतार।

वाहनों की लंबी कतार लगी रही

सड़क जाम होने के कारण कंपनी व आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं कोयला परिवहन कर रहे हाइवा वाहनों की लंबी कतार देखी गई लगभग 125 हाइवा 12 घंटे तक सड़क पर खड़ा रहे। सभी वाहन दिन भर में चार ट्रिप करते हैं। एनटीपीसी को लगभग 45 करोड़ रुपया का नुकसान होने का अनुमान है। कोयला ट्रांसपोर्टिंग फिलहाल प्रकाश रोडवेज के द्वारा करवाया जा रहा है।

भास्कर इनसाइट

बरवाडीह में 10 वर्षों में हुई दुर्घटनाएं

बरवाडीह गांव के ग्रामीणों का कहना है कि बरवाडीह गांव में वाहनों की चपेट में आने से विगत 10 वर्षों में लगभग 20 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है।

अक्टूबर 2025: चरही-घाटो मार्ग पर अज्ञात वाहन ने जीजा-साले को कुचला, दोनों की मौत।

दिसंबर 2025: चरही घाटी में कंटेनर-बस टक्कर, 3 की मौत, घंटों जाम।

जनवरी 2026: चरही घाटी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत, दो घायल, जिससे जाम लगा।

जनवरी 2026: चरही चौक पर मोड़ कोहरे में बस-ट्रक की टक्कर, कंडक्टर समेत कई यात्री घायल।

जनवरी 2026: चरही घाटी यूपी मोड़ पर कार ब्रेकडाउन ट्रक से टकराई, चालक घायल।

दैनिक भास्कर हजारीबाग 23-02-2026

बड़कागांव ट्रांसपोर्टिंग रोड पर हाइवा ने बाइक को मारी टक्कर एक युवक की मौत, मुआवजे की मांग के लिए 9 घंटे सड़क जाम

भास्कर न्यूज | बड़कागांव

पैसाकला गाँव में एनटीपीसी कोयला ट्रांसपोर्टिंग रोड चार नंबर गेट पास के पास बीती शनिवार रात 10:30 बजे एक हाइवा ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें सवार तीनों लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एंबुलेंस के सहारे घायलों को बड़कागांव अस्पताल लाया गया। वहां 28 वर्षीय राजू महतो ग्राम बड़कागांव बसरिया टोला डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एक का इलाज रांची हॉस्पिटल में किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों ने रविवार सुबह 9:00 बजे लाश को 13 माइल हजारीबाग रोड सड़क पर रखकर कंपनी से मुआवजे की मांग करने लगे। सड़क जाम रहने के कारण लगभग 400 हाईवा प्रभावित हुआ इसमें कंपनी को लाखों रुपया का नुकसान उठाना पड़ा। सड़क जाम हटाने के लिए प्रशासन की ओर से अंचलाधिकारी मनोज कुमार, पुलिस निरीक्षक ललित कुमार थाना प्रभारी कृष्णा कुमार गुप्ता, डाड़ीकला थाना प्रभारी सतीश मुर्मू दिनभर व्यस्त रहे। इससे पूर्व 6 फरवरी को हुई थी घटना जिसमें परिजनों की जान चली गई थी।

सात लाख रुपया व पत्नी को नौकरी का आश्वासन

मुआवजे राशि की मांग को लेकर कंपनी के खिलाफ लगभग 9 घंटे तक सड़क जाम रखा। पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, अंबा प्रसाद, सांसद प्रतिनिधि रंजीत कुमार व अन्य प्रबुद्ध लोगों की मशक्कत के बाद सड़क जाम को हटाया जा सका। मृतक के परिजन को कंपनी के द्वारा ₹7लाख , मृतक के पत्नी को नौकरी दी जाएगी एवं हीट एंड रन के तहत सरकार के द्वारा ₹2लाख दी जाती है।

पृच्छा संख्या–1 का अनुपालन प्रतिवेदन।

प्रमंडल में उपलब्ध सूचना के अनुसार वैसी परियोजनाओं जिसमें बिना Wildlife Plan/CAT Plan के खनन कार्य शुरू कर लिया गया है की विवरणी निम्नवत् है :–

i. मेसर्स एन0एम0डी0सी0 लिमिटेड (पूर्व आवंटी मेसर्स एस्सार पावर लिमिटेड के टोकीसूद नार्थ सब ब्लॉक) 374.87 हे0 :– वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.12.2011 द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है जिसे राज्य सरकार के पत्रांक 3145 दिनांक 09.07.2014 द्वारा परियोजना में सन्निहित वनभूमि को विमुक्त किया जा चुका है। जबकि स्टेज–II के शर्त संख्या–09 एवं स्टेज–I के शर्त संख्या–14 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण को Conservation Plan का कार्यान्वयन करना था जो अभी तक नहीं हुआ है।

ii. एन0टी0पी0सी0 पकरी बरवाडीह (1026.438 हे0) :– वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव में इसका स्टेज–II 2010 में हुआ था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Site Specific Wildlife Management Plan योजना 2023 में जमा किया गया, जिसकी स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या– 33, ज्ञापांक 1006 दिनांक 03.08.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि Mining 2016 से ही चालू है। स्वीकृति के बाद भी कैम्पा से Mitigation के लिये अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं है।

iii. चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के अन्तर्गत मगध ओ0सी0पी0 परियोजना (96.72 हे0) :– इस परियोजना में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.10.2010 से अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है तथा राज्य सरकार के पत्रांक 3276 दिनांक 22.06.2015 द्वारा परियोजना में सन्निहित वनभूमि विमुक्त की गई है। इस परियोजना के शर्त संख्या–18 "The user agency to bear the cost of implementation of conservation plan to be prepared in consultation with the CWLW of the State for the Hazaribagh National Park and its buffer zone adjoining CCL mining zone." में उल्लेखित है। उक्त शर्त का अनुपालन खनन कार्य प्रारम्भ होने के बावजूद लंबित था। जब सी0सी0एल0 द्वारा मगध ओ0सी0पी0 के नयी परियोजना 192.36 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव भारत सरकार को समर्पित किया गया जिसमें भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गई जिसमें तीन बिन्दु मगध ओ0सी0पी0 96.72 हे0 के WLMP से संबंधित था। तब जाकर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार कर समर्पित की गई जिसकी स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या– 39, ज्ञापांक 1473 दिनांक 29.11.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि खनन कार्य 2016 से ही जारी है।

उपरोक्त अनुभव के आधार पर यह Site Inspection Report में उल्लेख किया गया है। क्योंकि Mining Start हो जाने में वन्यप्राणियों पर दुष्प्रभाव प्रारम्भ हो जाता है एवं Soil Erosion भी होने लगता है। विलम्ब से Wildlife Plan/CAT Plan के लागू होने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसी के मद्देनजर यह मंतव्य दिया गया है कि Mining के साथ Wildlife Plan/CAT Plan का कार्य भी प्रारम्भ करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल।

दिनांक 02.10.2025

(अनुलग्नक - 05)

सेवा में

लोक सूचना पदाधिकारी (**I.A Division**) वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली ।

विषय - सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन ।

महाशय

सविनय लोक सूचना पदाधिकारी महोदय से निवेदन है कि सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुझे निम्न बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराया जाए।

1. यह कि मेरे द्वारा ईमेल के माध्यम से दिनांक 14 दिसम्बर 2024 को सचिव,वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार से किए गए शिकायत पर हुई कार्रवाई/पत्राचार की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराया जाए।
2. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (कोलकाता) के **अपील संख्या 20/2023/EZ (मूल आवेदन संख्या 63/2023/EZ के दिनांक 21 जनवरी 2025 के आदेश** के आलोक में लिए गए निर्णय/कार्रवाई की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराया जाए ।
3. झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.05.2009 को दिए गए पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के Specific Condition No.- 2A (ix) को एनटीपीसी को मिले FOREST CLEARANCE (FC) स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC दिनांक- 17.09.2010 के शर्त संख्या 9 में भी मान्य/लागू होने से संबंधित मंत्रालय द्वारा जारी पत्र/मेमोरेंडम या नियमावली की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराया जाए ।
4. झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में **एनटीपीसी के चट्टी बरियातू एवं केरेडारी कोल परियोजना** हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एनटीपीसी को **सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने** हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के (EC) शर्त में वर्ष 2025 में हुए संशोधन से संबंधित पत्र एवं उसके निर्णय के लिए हुए मीटिंग/फाइल नोटिंग के विवरण का सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध किया जाए ।
5. झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना एवं केरेडारी कोल परियोजना तथा पकरी बरवाडीह कोल परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के (EC) के शर्तों का अनुपालन रिपोर्ट और जांच **(compliance report & audit)** का सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराया जाए।

नोट - मेरे द्वारा मांगी गई सूचना वेबसाइट/परिवेश पोर्टल में सर्च करने पर नहीं मिला/देखा जा सका । इसलिए लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया जाए कि सम्बन्धित सूचना वेबसाइट/परिवेश पोर्टल पर देखी जा सकती है। ऐसा कहने पर यह माना जाएगा कि जानबूझकर पद का दुरुपयोग कर,संबंधित पक्षों से संपर्क कर,उनके

प्रभाव में आकर सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसे बतौर सबूत/आरोप प्रयोग किया जा सकता है।

अतः जनसूचना पदाधिकारी महोदय से उम्मीद है कि आप अपने कर्तव्यों दायित्वों का निष्पक्षता से निर्वहन करते हुए मुझे मेरे द्वारा मांगी गई सूचना एवं सूचना से सम्बंधित शुल्क आदि की सूचना मुझे मेरे मेल आईडी **shanikant699@gmail.com** पर उपलब्ध कराएंगे। जिसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा।

आपका विश्वासी

शनि कांत उर्फ मंटू सोनी

शनि कांत उर्फ मंटू सोनी
पिता श्री राजेश कुमार
बड़कागांव, जिला हजारीबाग (झारखंड)
पिन - 825311
मो० - 9504268699
मेल आईडी - shanikant 699@gmail.com

Enter OTP (ओटीपी दर्ज करें)

OTP has been sent to the Email address.

Enter Registration Number	MOENF/R/E/25/01465/1
Name	Shani kant
Received Date	02/10/2025
Public Authority	Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Status	REQUEST DISPOSED OF
Date of action	17/10/2025
Reply :- Kindly refer to your application made under RTI Act, 2005. In this connection, it is to inform the following information: 1. Information related to point No. (1) of your application has already been provided by the CPIO on 21.04.2025 (copy enclosed) in response of RTI application No. MOENF/R/E/25/00365. There is no change in the status of the information. 2. Information in respect of point No. 2 has already been furnished by the CPIO on 21.04.2025. Subsequent information for the duration 21.04.2025 to 17.10.2025 is available in the public domain and the same may kindly be accessed at https://forestsclearance.nic.in/search.aspx by following the path as mentioned below: Steps involved to access details of proposals: https://parivesh.nic.in/ ---- Login tab ---- Login PARIVESH 1.0 ----- Track Your Proposals ---- PARIVESH 1.0 (Proposals received upto 14th July 2014) ---- Enter Proposal Number/area/keyword/File number ---- Proposal Number ---- Search. (Login is not required) The CPIO, under the RTI Act, is required to furnish information/documents as available on record and is not supposed to collect and collate information in the manner it is sought by the applicant. 3. No information in respect of point no. 3 of RTI application is available in the Forest Conservation Division. 4. As regard to point no. 4 and 5, the application has already been forwarded to the concerned CPIO of IA Division of the Ministry to furnish information directly to the applicant.	
View Document	
CPIO Details :-	Charan Jeet Singh (FC) Phone: 011-24695459 c[dot]jsingh1[at]gov[dot]in
First Appellate Authority Details :-	S[dot]Sundar (FC) Phone: 011-20819310 am207[at]ifs[dot]nic[dot]in
Nodal Officer Details :-	
Telephone Number	011-24695302
Email Id	us[dot]rti-mef[at]nic[dot]in

Print RTI Application

Print Status | Go Back

Copyright © 2025 All rights reserved | Website designed, developed, and hosted by National Informatics Centre, New Delhi | Content owned and managed

सत्यमेव जयते

File No.: J-11015/692/2007-IA-II(M)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
IA Division
***

Dated **02/01/2025**

To,

Sh. Navin Kumar
M/s NTPC Mining Limited
Ntpc Bhawan, Core-7, 7 Institutional Area, Lodhi Road, South East Delhi- 110003
E-mail: env-mines@nml.co.in

Subject: **Pakri Barwadih Coal Mining Project (area 3319.42 Ha having capacity 18 MTPA) by M/s NTPC Mining Limited located at Villages: Barkagaon, Itij, Chiruadih, Urub, Chepa, Kalan, Nagri, Jugra, Sinduari, Churchu, Carahara, Sonbarsa, Pakri – Barwadih; District: Hazaribagh; State: Jharkhand – Grant of Amendment in Environmental Clearance – regarding**

Sir/Madam,

This is with reference to your online application vide proposal No. IA/JH/CMIN/503899/2024 Dated 27.11.2024 along with CAF (Part A, B and C) seeking amendment in Environment Clearance accorded by the Ministry vide letter no. J-11015/692/2007-IA-II(M) dated 19.05.2009 and its subsequent amendment dated 30/10/2024, under the provisions of the EIA Notification, 2006 for the project mentioned above.

2. The particulars of the proposal are as below :

(i) EC Identification No.	EC24A0101JH5982710A
(ii) File No.	J-11015/692/2007-IA-II(M)
(iii) Clearance Type	Amendment in EC
(iv) Category	A
(v) Schedule No./ Project Activity	1(a) Mining of minerals
(vi) Sector	Coal Mining
(vii) Name of Project	Amendment in Environment Clearance (EC) of Pakri Barwadih Coal Mining Project, NTPC Mining Limited
(viii) Location of Project (District, State)	HAZARIBAGH, JHARKHAND
(ix) Issuing Authority	MoEF&CC
(x) EC Date	19/05/2009
(xii) Applicability of General Conditions	NO

(xiii) Status of implementation of the project

3. The proposal was considered by EAC (Coal) in its 19th meeting held during December 10-11th, 2024. The project activity is listed at schedule no. 1(a) - Mining of minerals under Category "A" of the schedule of the EIA Notification, 2006. The minutes of the meeting and all the project documents are available on PARIVESH portal which can be accessed at https://parivesh.nic.in.

4. The instant proposal is for seeking amendment in Environment Clearance granted to M/s NTPC Limited vide letter no. J-11015/692/2007-IA-II(M) dated 19.05.2009, later transferred to M/s NTPC Mining Limited vide letter no. J-11015/692/2007-IA-II(M) dated 02.05.2024 for Pakri Barwadih Coal Mining Project (area 3319.42 Ha having capacity 18 MTPA) located at Villages: Barkagaon, Itij, Chiruadih, Urub, Chepa, Kalan, Nagri, Jugra, Sinduari, Churchu, Carahara, Sonbarsa, Pakri – Barwadih; District: Hazaribagh; State: Jharkhand.

5. Details of all the prior ECs including the EC for which amendment is sought are summarized as below:

S. No.	Details of Letter No.	Details of EC/Expansion EC/ Amendment in EC/ Validity extension/ Transfer of EC	Capacity (MTPA)	Area (Ha)	Date of Issuance	Status of Implementation
1	J-11015/692/2007-IA.II(M)	**Fresh EC**	15 MTPA	3319.42	19.05.2009	Production of 15 MTPA achieved during the year 2023-2024
2	-do-	**Amendment in EC** [Road transportation granted till 28.06.2018]	15 MTPA	3319.42	29.06.2016	Implemented
3	-do-	**Amendment in EC** [Specific Condition nos (iii), (vi) & (ix) and General Condition nos (ix) & (xiii)]	15 MTPA	3319.42	07.12.2017	Being implemented
4	-do-	**Amendment in EC** [Road transportation granted till 28.06.2020]	15 MTPA	3319.42 Ha	14.08.2018	Implemented
5	-do-	**Amendment in EC** [Road transport granted till 28.06.2022 and auto extended to 28.06.2023 in line with Covid notification of MOEF&CC]	15 MTPA	3319.42 Ha	10.11.2020	Implemented
6	-do-	**Amendment in EC** [Road transport granted till 31.10.2023]	15 MTPA	3319.42 Ha	16.08.2023	Implemented
7	-do-	**Amendment in EC** [Road transport granted till 31.01.2024]	15 MTPA	3319.42 Ha	09.11.2023	Implemented
8	-do-	**Amendment in EC** [Road transport granted till 31.07.2024]	15 MTPA	3319.42 Ha	15.01.2024	Implemented
9	-do-	**Peak Rated Capacity (PRC) Enhancement (1st phase 20%) as per MoEF&CC guidelines dated 11/04/2022**	18 MTPA	3319.42 Ha	06.03.2024	Being implemented
10	-do-	**Transfer of EC**			02.05.2024	Transfer from NTPC

		[Transfer from NTPC Ltd to NTPC Mining Ltd]				Ltd to NTPC Mining Ltd
11	-do-	**Amendment in EC** [Road transport granted till 31.10.2024]			16.07.2024	Implemented
12	-do-	**Amendment in EC** [Road transport granted till 31.12.2024 only for 15 MTPA]			30.10.2024	Being Implemented

6. The PP has sought amendment in Environmental Clearance Letter dated 19.05.2009 in EC Specific Condition no. 2A(ix), seeking further amendment for extension of timeline regarding transportation of 4.5 MTPA coal by road using State Highway/ Service Road till 31.03.2025 and thereafter 3 MTPA coal by road using State Highway/ Service Road till 31.03.2026 to Bandag railway siding.

The amendment sought along with the justification furnished by the PP is as below:

Specific/General Condition No.	Details of Conditions as per EC	Amendment Sought	Justification
Specific Condition No.- 2A (ix) of EC dated 19.05.2009 and latest amended vide letter dated 30.10.2024	*The PP is permitted to use Service Road/ State Highway for transportation of* ***15 MTPA of Coal to Banadag railway siding till 31.12.2024*** *adopting all the mitigative measure to control dust pollution.*	***Mineral Transportation from CHP to Railway Siding shall be done by closed belt conveyor and Rapid Loading System. PP is permitted to use Service Road/ State Highways for transportation of 4.5 MTPA coal from 01.01.2025 till 31.03.2025 and thereafter 3.0 MTPA coal by road till 31.03.2026 to Banadag railway siding adopting all mitigative measure to control dust pollution."***	**Part II:** 3. Hon'ble Supreme Court had directed vide its order dated 29.01.2024 in Civil Appeal No 6249/2021 to complete the CHP system including RLS by 31.12.2024. In this regard it is pertinent to mention that RLS system which consists of two streams, stream 1 has been commissioned on 15.11.2024 and the stream 2 will be ready by 15.12.2024 in compliance of the Hon'ble Supreme Court direction. 4. The construction of siding being done by railways, consists of seven nos. of rail tracks out of which 3 are ready, also, the electrification and signalling work is under progress. It is likely that yard augmentation work by railways shall be completed by 31.01.2025. After yard augmentation and RLS completion, it shall require three months of time (till 31.03.2025) to synchronize the system with railways which is knowns as "Integrated commissioning". In other words, it may take three months for both RLS streams to reach its rated capacity of 15 MT. 5. Also, it is important to mention that the present design capacity of the CHP & RLS System, is of 15 MT per annum. To enhance the capability of the present system upto 18 MTPA certain modifications and additional conveyor Strems are required for which the action has already been taken and shall be completed by 31.03.2026. 6. The total production/ dispatch target for FY 2024-25 from PBCMP is 18 MMT. For last quarter i.e. Q4 starting from 01.01.2025 till 31.03.2025 the total coal to be dispatch shall be 5.5 MMT to 6.0 MMT. 7. Assuming that it may take 3 more months for both the streams of RLS to reach its rated capacity (15 MMT), the maximum quantity which may be transported through RLS shall be 13.5 MMT resulting

			in a shortfall of 4.5 MMT in Q4 which needs to be transported through road. (3.0 MMT due to design limitation and 1.5 MMT for stabilisation). 8. For FY 2025-26 the shortfall of 3.0 MMT will be there due to design limitation of the present CHP the enhancement of same shall be completed by 31.03.2026. In view of above, it is submitted to kindly grant permission for transportation of the coal by road for 4.5 MTPA (3.0 MTPA beyond CHP design Capacity and 1.5 MTPA for stabilisation of RLS) from 01.01.2025 till 31.03.2025 and thereafter, 3.0 MTPA of coal by road till 31.03.2026.

7. **Certified Compliance Report and Action Taken thereof**: The PP submitted that CCR from Regional office (RO), Ranchi was received on 19.06.2024 vide letter no. 103-425/376 and PP submitted ATR on the same on 26.08.2024.

With respect to the Condition for which amendment is sought, RO has given its observations and has mentioned that, " *during inspection on 30.05.2024 it was observed that coal transportation is still being done by road from Pakri Barwadih coal mine project to Banadag railway siding. It is observed that rapid loading system of the conveyor system is under construction near Banadag railway siding. PP informed that now full efforts are being made to complete the same before 31.12.2024.*"

8. **Details of the Court Cases**: Following court cases are pending on the said project.

Case No.	Court	Brief	Next date of hearing	Decision of court and its compliance
WP (C) 5732/2016	HC of Jharkhand	Writ Petition filed by Bhartiya Suraj Dal against State of Jharkhand and others regarding pollution and diversion of forest land without obtaining the consent of Gram Sabhas under the FRA Act 2006.	Next hearing scheduled on 03.01.2025.	
WP (C) 4036/2021	HC of Jharkhand	Writ Petition has been filed by NTPC against the State of Jharkhand and others against demand of transit fee on 100 % coal production under Jharkhand Forest Produce Transit (Regulation of Transport) Rules 2020 issued by State of Jharkhand.	Listed for hearing in first week of February 2024. No date showing for now. Next date is not given.	
WP (C) 1759/2023	HC of Jharkhand	Writ Petition filed by NTPC against the State of Jharkhand and others to stay the operation, implementation and execution of the letter No. 43, dated 03.01.2023 of Divisional Forest Officer (West), Hazaribagh by which the State of Jharkhand has demanded the payment of Transit Fee for the second time on the same load by stating that NTPC is liable to generate the challan for the second time when there is a change of mode of transportation.	Next hearing date is not given	Hon'ble court vide order dated 06.09.2024 directed not to charge NTPC twice for the same forest produce on the change of mode of transportation for transportation of any forest produce as transit fee. Hon'ble Court has stayed the order till next date of hearing to be held on 21/02/24.
WP (C) 3256/2023	HC of Jharkhand	Writ Petition filed by NTPC against the State of Jharkhand and others		The Hon'ble High Court granted stay on DFO letter vide order

		regarding quashing the letter No. 3426, dated 23.06.2023 of Divisional Forest Officer (West), Hazaribagh by which Forest Deptt. has denied Coal Transportation by Road.		dated 30.06.2023.
WP (C) 3614/2023	HC of Jharkhand	PIL filled by Shri Mantu Soni against State of Jharkhand and Others regarding FC granted to Pakri Barwadih Coal Mining Project on forged document (Consent letter of Van Prabandhan Samittee).	Next hearing date is not given.	· CA filled by NTPC on 18.06.2024. · Rejoinder filled by applicant on 27.06.2024. · Supplementary Counter Affidavit filed by NTPC on 07.08.2024. · Reply of affidavit filed by applicant on 20.08.2024. · Last hearing conducted on 27.09.2024.
OA no 63/2023/EZ (158/2023/PB)	NGT, Kolkata	Filed by Shri Anup Kumar against State of Jharkhand and Others regarding illegal mining in Pakri Barwadih Coal Mining Project. Vide order dated 11.08.2023, NTPC and its MDO (TSMPL) has been made party by the Hon'ble court.	Next hearing is scheduled on 03.01.2025.	· Due to similar nature hearings are being held with Appeal No. 20/2023/EZ filled by NTPC Ltd. · Last hearing held on 12.11.2024. Case to be further heard on 03.01.2025.
Appeal No 20/2023	NGT, Kolkata	Appeal filed by NTPC against State of Jharkhand & Others to stay on DFO's demand letter for payment of Penal NPV with interest in line with MOEF&CC amendment letter dated 25.05.2023 for amendment of condition no-8 of FC.	Next hearing is scheduled on 03.01.2025.	· 1st hearing done on 01.08.2023. Hon'ble NGT stayed on DFO's Demand letter. · Last hearing held on 12.11.2024, stay continued till further order.
W.P.(PIL) 4358/2024	HC of Jharkhand	PIL filed by Shri Ravikant Singh Vs Union of India and others regarding Mining beyond lease and regarding FC granted to Pakri Barwadih Coal Mining Project on forged document (Consent letter of Van Prabandhan Samittee).	Next hearing date not given.	· First Hearing held on 28.08.2024. · CA filled by NTPC on 02.09.2024. · Last hearing held on 20.09.2024.

In addition to the above, the Hon'ble Supreme Court had directed vide its order dated 29.01.2024 in Civil Appeal No 6249/2021 to complete the CHP system including RLS by 31.12.2024. In compliance to the said order, PP informed that RLS system which consists of two streams, stream 1 has been commissioned on 15.11.2024 and the stream 2 will be ready by 15.12.2024 in compliance of the Hon'ble Supreme Court direction.

Observations and deliberation of the Committee

9. The Committee deliberated on various aspects of the proposal submitted and the presentation made by PP. After detailed deliberation, the Committee noted the following:

i. MoEF&CC has granted EC for the Pakri Barwadih Coal Mining Project of M/s NTPC Limited vide letter no. J-11015/692/2007-IA.II(M) dated 19.05.2009 for capacity of 15 MTPA in an area of 3319.42 Ha. Subsequently, various amendments for the same were issued vide letters dated 29.06.2016, 07.12.2017, 14.08.2018, 10.11.2020, 16.08.2023, 09.11.2023, 15.01.2024, 16.07.2024 and 30.10.2024.

ii. Further the Peak Rated Capacity (PRC) enhancement for the project was issued vide letter dated 06.03.2024 for the

capacity of 18 MTPA from 15 MTPA in the existing area of 3319.42 Ha and the same was transferred to M/s NTPC Mining Limited vide letter dated 02.05.2024. Subsequently, an amendment in condition pertaining to transportation of coal was again issued vide letter dated 30.10.2024.

iii. It is observed by the EAC that the project involves total 643.9 Ha of forestland. Stage – II FC has been obtained by the proponent vide letter dated 17.09.2010.

iv. The above projects have been implemented and are already under operation.

v. Specific Condition no. – 2A (ix) of EC stipulated that the coal was to be transported from Coal Handling Plant (CHP) to railway siding by closed conveyor belt. The railway siding shall be provided with Silo Rapid Loading System. The timeline for this condition was extended till 31.12.2024, vide various amendments as stated above, subject to the order of Hon'ble Supreme Court w.r.t. Misc. Appeal (MA-001824 dated 18.08.2023) in the matter of Civil Appeal no 6249/2022 (NTPC vs Tripuri Singh Ors) filed by the Project Proponent. Now, the PP has again submitted the proposal for amendment in Specific Condition no. 2A(ix) of EC dated 19.05.2009 (last amended vide EC dated 30.10.2024).

vi. The PP submitted that the conveyor belt being constructed is only for the capacity of 15 MTPA and for another 3 MTPA (i.e., 18 MTPA), engineering designing had to be modified to make the changes in the conveyor and siding capacity for 18 MTPA. PP submitted that actions for the same has already been taken and same is proposed to be completed by 31.03.2026.

vii. Committee was informed that the total production target for FY 2024-25 from PBCMP is 18 MTPA. For last quarter i.e. Q4 starting from 01.01.2025 till 31.03.2025 the total coal to be dispatched shall be between 5.5 MTPA to 6 MTPA. Assuming that it may take 3 more months for both the streams of RLS to reach its rated capacity (15 MTPA), the maximum quantity which may be transported through RLS shall be 13.5 MTPA resulting in a shortfall of 4.5 MTPA in Q4 which needs to be transported through road. (3 MTPA due to design limitation and 1.5 MTPA for stabilisation).

viii. PP presented a drone vide to the Committee, of undergoing construction of CHP and Silo. Since, that area has a frequent movement of elephants, the height of conveyor is planned such that, it will give safe passage to elephants.

ix. Committee deliberated on the present scenario of coal transportation and was informed by the proponent, that presently the transportation of coal from mine pit to crusher installed at mine pit head is being done by the mine trucks for the entire quantity of coal being produced and the same is proposed to be done throughout the mine life. Further, some quantity of coal, from crusher installed at mine pit head to stacker/reclaimer, is being transported through closed belt conveyor of 8 km which is within the mine boundary and this will be further transported to Banadag Railway siding through road at a distance of 23 km. And rest of the quantity of coal is directly being transported from crusher to Banadag Railway Siding by road at a distance of 30 km.

x. The Committee deliberated on the actions taken by the PP on the recommendations of the EAC Sub-Committee made during the site visit 20-26th November, 2024. On the recommendation of the sub-committee, the PP has done the mapping of grassing and plantation on 30.11.2024, generated carbon footprint data for PBCMP, display boards highlighting the biodiversity initiatives are being installed, green agronets are being installed in the area of nearby villages, bidding for procurement of CAAQMS has been started and equipment for water testing lab has been procured and the same is under installation.

xi. The Committee opined that out of the 2 nos of CAAQMS being procured, 1 shall be installed in the core zone and another shall be installed in the habitation around the ML area, such as Sirka Village and the data of the same shall be displayed in HoP and EMG office, so that effective monitoring and corrective actions may be taken time to time.

xii. The Committee opined that the Mobile Environment Monitoring Van may be procured and used in the mines.

xiii. The Committee deliberated on the use of e-dumpers being explored and observed that the PP has converted all the diesel operated HEMMs into electrical HEMMs and feasibility of using e-dumper is being tested for now in PBCMP.

xiv. The Committee also deliberated on the plantation activities being done by the PP. Committee is of the opinion that

avenue plantation shall be instantly started and gap plantation on the OB dumps shall be done.

xv. The Committee also enquired about the status of court cases pending on the project. The PP submitted that there are total 6 nos. of cases pending at Hon'ble High Court of Jharkhand and total 2 nos. of cases pending at Hon'ble NGT (EZ), Kolkata. PP also displayed a copy of the Court Order during the presentation of the Court case in the matter of Misc. Appeal No. 1824 of 2023 in Civil Appeal No. 6249 of 2021 (NTPC Ltd v. Tripurari Singh and Others) regarding the extension of the timeline for completion of the closed conveyor belt system. PP submitted that the Hon'ble Supreme Court has extended the timeline for completion of the belt conveyor system till 31.12.2024, vide its order dated 29.01.2024 and the matter was disposed of.

xvi. The committee noted that Pakri Barwadih Coal Mining Project does not fall under critically polluted area and severely polluted area as per CEPI Assessment 2018.

xvii. The Committee took into cognizance that the existing EC of 18 MTPA was accorded for 20% expansion under para 7(ii) of EIA Notification, 2006 as per Ministry's OM dated 11.04.2022. The committee sought clarification regarding requirement of enhanced capacity of CHP and Silo, in case the PP seeks further expansion for the said project in future. The PP submitted that due to huge habitation in that area, it is not feasible for the proponent to go beyond 18 MTPA and PP informed that no further expansion is envisaged.

xviii. Vide Ministry's order dated 18/12/2024, a site visit was conducted by Sub-committee of EAC for Pakri Barwadih Coal Mining Project and submitted their observations/recommendations. Accordingly, M/s NML shall address and comply the following recommendations submitted by the Sub-committee.

a) There are sufficient spaces available at different sites in the mine lease area which needs immediate plantation. The mapping of the Pakri Barwadih mine for grassing and plantation shall be carried out on the stabilized OB and berms. The proponent is instructed to prepare time bound comprehensive plantation plan with native species for protection of the ecology of the surrounding area and post-mining ecological restoration plan. The proponent should submit the detailed plan in tabular format (year-wise for life of mine) for afforestation and green belt development in and around the mining lease area. The proponent should submit the number of saplings to be planted, area to be covered under afforestation and green belt, location of plantation, target for survival rate and budget earmarked for the afforestation & green belt development. In addition to this, the proponent should show on a surface plan (5-year interval for life of mine) of suitable scale the area to be covered under afforestation & green belt clearly mentioning the latitude and longitude of the area to be covered during each 5 years. The capital and recurring expenditure to be incurred needs to be submitted. Plantation plan should be prepared in such a way that 80% of the plantation to be carried out in first 5 years and for the remaining years the proposal for gap filling. The seedling of height not less than 2 meters to be selected and accordingly cost of plantation needs to be decided. In addition to this, plantation in the safety zone at lease boundary the plantation should be planned in such a way that it should be completed within 2 years only. Grassing/plantation as per the above mapping shall be started in February, 2025.

b) The biodiversity initiatives carried in and around the mine lease area shall be highlighted through display boards in the suitable places outside the mine lease area.

c) The proponent shall generate the carbon footprint data for the entire mine lease area.

d) The proponent shall prepare time bound comprehensive action plan for the diversion of nalla(s) from the mine lease area.

e) The proponent shall take adequate precautionary measures as per the MoEFCC OM dated 29.10.2014 to minimize the impact of mining activity on habitations.

f) Comprehensive risk management plan along with mitigation measures for fire events in the coal yards/dumps shall be prepared and complied with.

g) The environment laboratory shall be upgraded with all sophisticated instruments.

h) ETP in the mine area shall be upgraded with online effluent quality monitoring system.

i) No any meteorological data / environmental data recording instruments have been seen at and around mining site. Only one CAAQMS has been installed in the city site. More number of CAAQMS at different sites needs to be installed.

Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (CAAQMS) to monitor ambient air quality within the mining lease area shall be installed and connected with the servers of CPCB/SPCB. The proponent shall calibrate the instrument timely and display the monitored data on the digital board at Hop and in the EMG office for effective monitoring and corrective action.

Recommendations of the Committee

10. After deliberations, the Committee **recommended** the proposal for amendment in EC granted vide file no. J-11015/692/2007-IA.II(M) dated 19.05.2009 & its subsequent amendment dated 30/10/2024 as detailed below subject to stipulation of additional specific conditions (**Annexure-1**). Other terms and conditions prescribed in EC dated 19.05.2009 and its subsequent amendment shall remain unchanged:

Reference in EC letter dated 19.05.2009 & its subsequent amendment dated 30/10/2024	**Description as per approved EC & its subsequent amendment dated 30/10/2024**	**Amendment sought in EC**	**Recommendation of EAC**
Specific Condition No.- 2A (ix)	*The PP is permitted to use Service Road/ State Highway for transportation of* ***15 MTPA of Coal to Banadag railway siding till 31.12.2024*** *adopting all the mitigative measure to control dust pollution.*	Mineral Transportation from CHP to Railway Siding shall be done by closed belt conveyor and Rapid Loading System. PP is permitted to use Service Road/State Highways for transportation of 4.5 MMT coal from 01.01.2025 till 31.03.2025 and thereafter 3.0 MMT coal by road till 31.03.2026 to Banadag railway siding adopting all mitigative measure to control dust pollution."	**Agreed** With regard to the changes in specific condition 2A(ix), Committee recommended to amend specific condition 2A(ix) as follows: *"The PP is permitted to use service road/ state highway for transportation of 4.5 MTPA of coal to Banadag Railway Siding till 31.03.2025 only. Thereafter, only 3 MTPA of coal is permitted to transport via service road/ state highway till 31.03.2026 adopting all mitigative measures to control dust pollution. No road transportation of coal will be permitted beyond 31.03.2026."*

Decision of MoEF&CC

11. The undersigned is directed to inform that Ministry of Environment, Forest and Climate Change has examined the proposal in accordance with the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 & further amendments thereto and after accepting the recommendations of the Expert Appraisal Committee (Coal) hereby decided for grant of amendment in the EC dated 19.05.2009 & its subsequent amendment dated 30/10/2024; as detailed in para 10 above subject to the compliance of the additional terms & conditions / specific conditions at **Annexure-I**.

12. All other terms and conditions mentioned in the Environment Clearance letter no. J-11015/692/2007-IA.II(M) dated 19.05.2009 & its subsequent amendment dated 30/10/2024 shall remain unchanged.

13. The project proponent shall obtain fresh Environment Clearance in case of change in scope of the project, if any.

14. This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Sundar Ramanathan)
Scientist 'F'
Tel: 011- 20819378
Email- r.sundar@nic.in

Copy To

1. The Secretary, Ministry of Coal, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. The Secretary, Department of Environment & Forests, Government of Jharkhand, Secretariat, Ranchi.
3. Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office, 2nd Floor, Headquarter- Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand – 834 002.
4. The Chairman, Jharkhand State Pollution Control Board, TA building, HEC complex, PO Dhurwa, Ranchi.
5. The Member Secretary, Central Pollution Control Board, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi – 32.
6. The Chairman, Central Ground Water Authority, Ministry of Water Resources, Curzon Road Barracks, A-2, W-3 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi
7. The Regional Director, Central Ground Water Board, Mid-Eastern Region, 6th& 7th Floor, Lok Nayak Jai Prakash Bhawan, Frazer Road, Dak Banglow, Patna- 800011, Bihar.
8. The District Collector, Hazaribagh, Government of Jharkhand.
9. PARIVESH Portal.

Annexure 1

Specific EC Conditions for (Mining Of Minerals)

1. Additional Specific Conditions:

S. No	EC Conditions
1.1	1 nos of CAAQMS must be installed in the core zone and 1 nos of CAAQMS must be installed in the Sirka Village in consultation with JSPCB within 6 months from the date of grant of EC amendment.
1.2	A full-fledged Environment Laboratory must be established by 30.06.2025, which should cater the needs of all three mines of NTPC Mining Limited, i.e., Pakri Barwadih Coal Mining Project, Kerandari Coal Mining Project and Chatti Bariatu Coal Mining Project.
1.3	Avenue plantation shall be instantly started all along the right of way of closed belt conveyor and silos.
1.4	All the recommendations made by the site visit report of the sub-committee held on 20-26th November, 2024 shall be complied with and the compliance status in this regard shall be submitted to concerned Regional Office of MoEF&CC.
1.5	Watershed management plan for Khorra Nallah and Pakwa Nallah exist within the ML area shall be developed and implemented

S. No	EC Conditions
1.6	Carbon emissions need to be assessed and brief plan for carbon emission mitigation shall be submitted by the PP.

Signed by
Sundar Ramanathan
Date: 02-01-2025 10:32:39
Reason: Verified and signed

(अनुलग्नक - 07)

GPS Map Camera
इतिज, झारखंड, India
W5gm+2mq, Road, चिरूडीह, इतिज, झारखंड 825311, India
Lat 23.92423° Long 85.186355°
Monday, 06/04/2026 03:15 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Darikalan, Jharkhand, India
Darikalan, Jharkhand 825311, India, Darikalan, Jharkhand 825311, India
Lat 23.916207° Long 85.211585°
Monday, 06/04/2026 03:06 PM GMT +05:30
Google

GOODS CARRIER
TATA
GPS Map Camera
Arahara, Jharkhand, India
V6vm+mc7, Arahara, Jharkhand 825311, India
Lat 23.894837° Long 85.233997°
Saturday, 04/04/2026 01:28 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Banadag, Jharkhand, India
X7cx+xc5 Siv Mandir, Banadag, Jharkhand 825319, India
Lat 23.971758° Long 85.29942°
Wednesday, 08/04/2026 01:43 PM GMT +05:30
Google

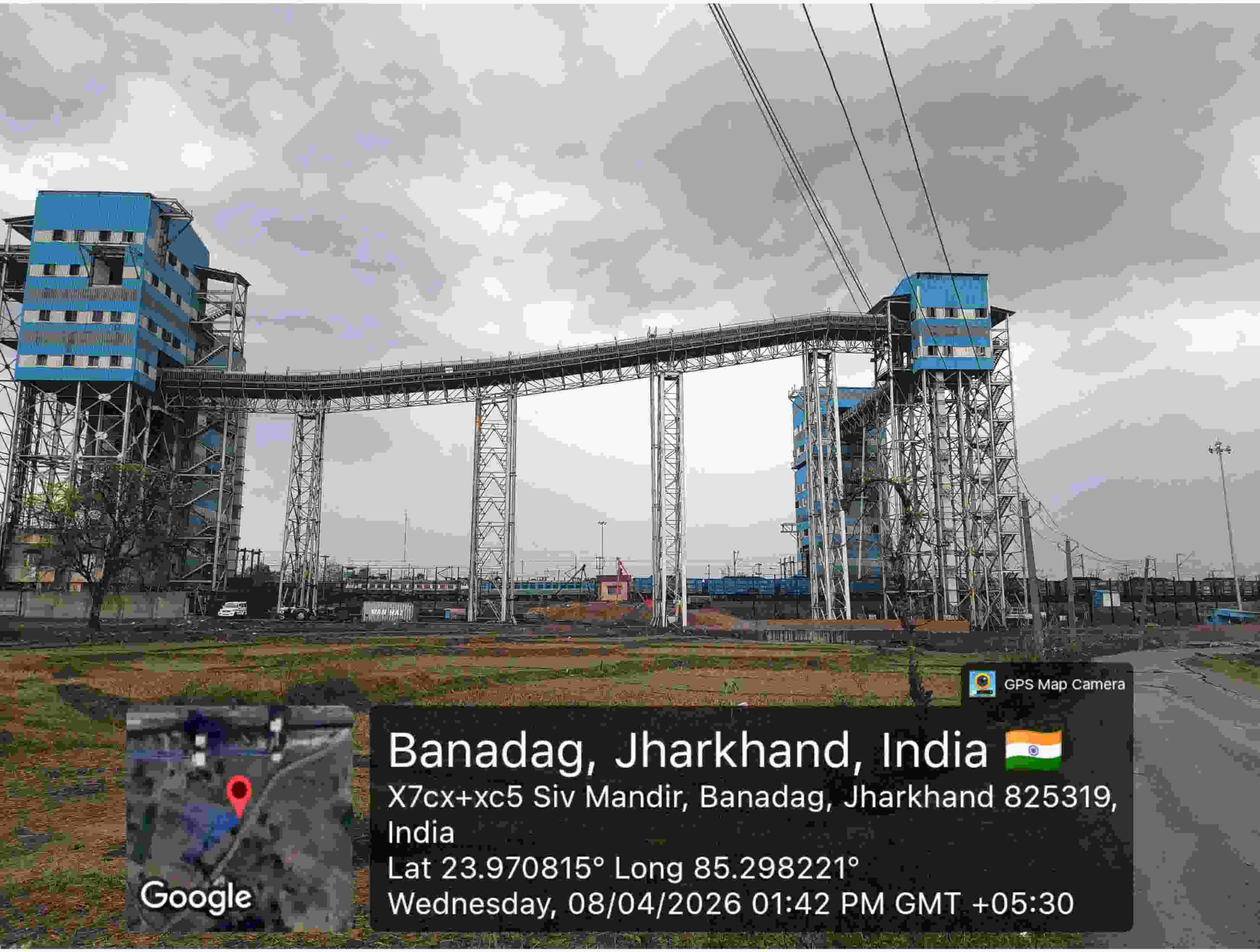
GPS Map Camera
Banadag, Jharkhand, India
X7cx+xc5 Siv Mandir, Banadag, Jharkhand 825319, India
Lat 23.970815° Long 85.298221°
Wednesday, 08/04/2026 01:42 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Banadag, Jharkhand, India
X7cx+xc5 Siv Mandir, Banadag, Jharkhand 825319, India
Lat 23.970761° Long 85.298172°
Wednesday, 08/04/2026 01:41 PM GMT +05:30
Google

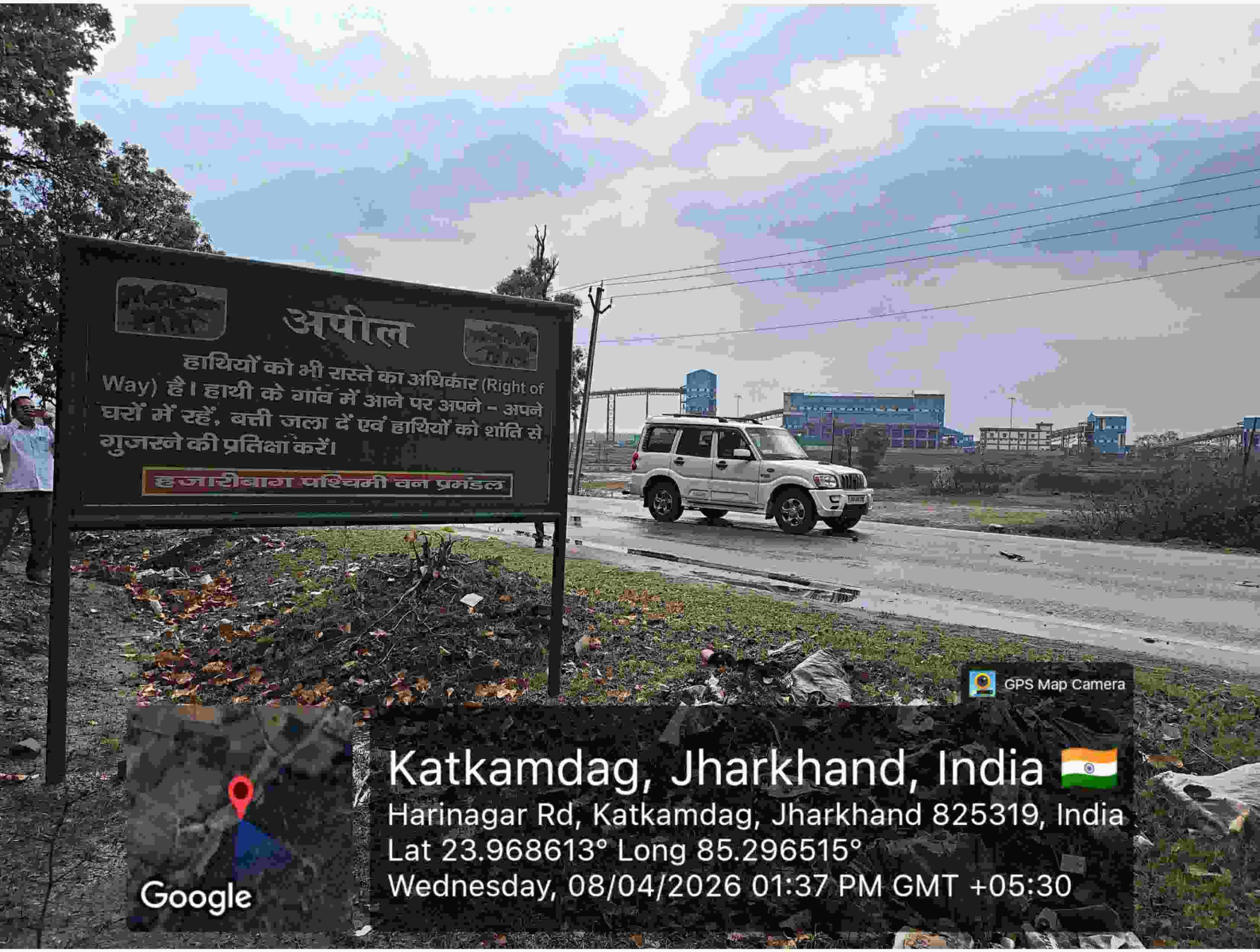
अपील
हाथियों को भी रास्ते का अधिकार (Right of Way) है। हाथी के गांव में आने पर अपने - अपने घरों में रहें, बत्ती जला दें एवं हाथियों को शांति से गुजरने की प्रतिक्षा करें।
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल
GPS Map Camera
Katkamdag, Jharkhand, India
Harinagar Rd, Katkamdag, Jharkhand 825319, India
Lat 23.968613° Long 85.296515°
Wednesday, 08/04/2026 01:37 PM GMT +05:30
Google

जंगली हाथियों से बचने के उपाय
1. हाथी के चारों ओर की सुरक्षा भीड़ न लगाए। हाथियों को छेड़े नहीं, विशेषकर उग्र पर पत्थर, तीर, जलता हुआ टायर पटाखे आदि फेंककर प्रहार न करें। इससे क्षति की संभावना बढ़ सकती है।
2. हाथी से यदि सामना हो जाय तो तुरन्त उसके लिए रास्ता छोड़ें। पहाड़ी स्थानों में सामना होने पर पहाड़ी के ढलान की ओर दौड़ें, सीधे न दौड़कर आड़े-तिरछे दौड़ें, कुछ दूर दौड़ने पर गमछा, टोपी अथवा कोई वस्त्र फेंक दें, ताकि कुछ समय तक हाथी उसमें उलझा रहे और आपको सुरक्षित स्थान पर पहुँचने का मौका मिल जाय।
3. क्षेत्र में जबतक हाथी रहे, तबतक हड़िया या देशी शराब नहीं बनायें। इनका भंडारण भी न करें। हाथी शराब की ओर आकर्षित होते हैं और प्राप्त करने के उद्देश्य से वे घरों को क्षति पहुँचाते हैं।
4. हाथियों की सूंघने की शक्ति अत्याधिक प्रबल होती है। अतः हाथी को भगाने के क्रम में हवा की दिशा का ध्यान रखें।
5. गर्भवती हथिनी अथवा नवजात शिशु के साथ होने पर हथिनी या उसके झुण्ड को भगाने का प्रयास न करें। उसे थोड़ा समय दें।
6. हाथियों के भगाने के क्रम में श्वेत वस्त्र या लाल वस्त्र का प्रयोग नहीं करें। यह रंग उन्हें चिड़चिड़ा बनाता है।
7. हाथी को देखकर पूजा या प्रणाम करने के उद्देश्य से उसके नजदीक न जाए।
GPS Map Camera
Google
Katkamdag, Jharkhand, India
Harinagar Rd, Katkamdag, Jharkhand 825319, India
Lat 23.968502° Long 85.296402°
Wednesday, 08/04/2026 01:36 PM GMT +05:30

दैनिक भास्कर हजारीबाग 09-02-2023

शहर में घुसा झुंड से बिछड़ा हाथी... चार को लिया चपेट में, 3 की मौत, दो घायल

खिरगांव डंपिंग यार्ड के बाद यशवंतनगर पहुंचा हाथी मार्खम कॉलेज से सिरसी तक की सभी दुकानें रहीं बंद

भास्कर न्यूज | हजारीबाग

हजारीबाग शहरी क्षेत्र में हाथी के हमले से घायल हुई युवती रिंकी कुमारी (उम्र करीब 23 साल) फिलहाल शहर के आरोग्यम हॉस्पिटल में इलाजरत है। इसी हाथी के कुचलने से दो लोगों की मौत हो गई है। उनके शवों के पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। रिंकी राशुलीगंज में किराए के मकान पर अपने परिवार संग रहती हैं। इनके पिता का नाम सुरेश पंडित है। घटना को लेकर वन विभाग हजारीबाग के पश्चिमी डीएफओ सवा आलम ने कहा कि हाथी भगाओ दस्ता को बुलाया गया है। शाम ढलते ही हाथी भगाओ दस्ता अपना काम शुरू करेगी और सुरक्षित तरीके से हाथी को गंतव्य जगह तक पहुंचाएगी। उन्होंने इलाजरत घायल हुए युवती की मदद के लिए अस्पताल में अपने विभागीय कर्मी को भेजने की बात कही और कहा कि मृतकों के परिजनों को तत्काल कुछ राशि मुआवजा के रूप में दे दी गई है बाकी मुआवजा भी जल्द दिया जाएगा। इधर यशवंत नगर में मार्खम कॉलेज से सिरसी तक सभी तरह की दुकानें बंद कर दी गई। सड़क सुनसान हो गया। लोग अपने अपने घरों में सिमट गए। खिरगांव डंपिंग यार्ड के बाद हाथी यशवंत नगर पहुंच गया था।

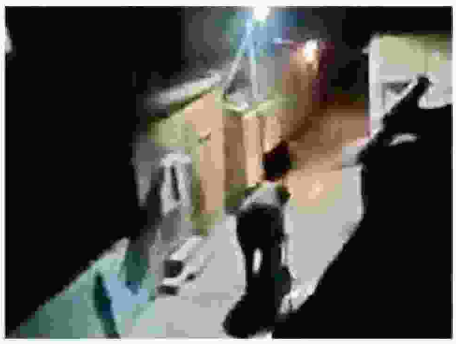

यशवंतनगर कॉलोनी में घूमता हाथी।

हाथी के दहशत के कारण बंद पड़ी दुकानें।

घटना के बाद जुटे अधिकारी व अन्य।

हाथी कब कहां पहुंचा

हजारीबाग शहर में हाथी चरही जंगल की तरफ से सुबह 4:30 बजे हुरहूरू तालाब के पास पहुंचा। 5:05 बजे विवेकानंद स्कूल के गेट के पास पहुंचा। घूमते हुए हाथी 5:30 बजे खिरगांव डंपिंग ग्राउंड के पास खेत में पहुंच गया। दिन भर यहां रहा। शाम में छह बजे वन विभाग की टीम ने खेत से भगाया। 6:15 में यशवंत नगर होते हुए शाम सात बजे सिरसी पहुंच गया। शाम 7.00 बजे सिरसी गांव में हाथी ने एक बच्चे को पटक कर जख्मी कर दिया। यहां से हाथी को डेमोटांड़ जंगल की तरफ भेजने का प्रयास किया जा रहा है।

मृतक के परिजनों को दिया गया तत्काल 25- 25 हजार, बाकी 3.75 लाख रुपए जल्द : डीएफओ

वन विभाग के डीएफओ आलम ने बताया कि मृतक के परिजनों को क्रिया कर्म के लिए तत्काल 25-25 हजार की राशि उपलब्ध करवा दी गयी है। साथ ही प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों मृतकों के परिवार को देय चार लाख में तत्काल दी गयी राशि को घटाकर मुआवजा दिया जाएगा। घायलों के परिजनों को एक लाख मुआवजा मिलता है पर उनकी चोट को देखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा।

यशवंत नगर की तरफ से डेमोटांड़ जंगल भेजा गया

हजारीबाग | हजारीबाग पहुंचे हाथी को शाम 6:00 बजे के बाद पश्चिमी वन प्रमंडल की टीम क्विक रिस्पॉन्स टीम ने दक्षिण की ओर भगाया। शेष तीनों दिशा में आबादी बसी है। हाथी इस ओर आता तो मानव के साथ टकराव हो सकता था। हाथी यशवंत नगर की ओर से डेमोटांड़ की तरफ निकला। वन विभाग की टीम सड़क पर लोगों को सचेत रहने का निर्देश दे रहा था। सबों से घर के भीतर रहने की नसीहत दी जा रही थी।

सुबह 4.30 बजे हुरहुरू तालाब पहुंचा था, 5.30 बजे डंपिंग यार्ड

4:30 बजे हुरहुरु तालाब : हाथी सुबह 4:30 बजे हुरहुरू तालाब के पास पहुंचा था। लोगों ने बाउंड्री तोड़ते देखा। वहां से सड़क से होते हुए पांच बजकर पांच मिनट पर हाथी विवेकानंद स्कूल के गेट के पास पहुंचा था वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में इसका फुटेज देखा गया। 5:30 बजे हाथी डंपिंग यार्ड के पास पहुंच गया था। पश्चिमी वन प्रमंडल के एसबीओ अमन मॉर्निंग वॉक के लिए डंपिंग यार्ड के पास पर पहुंच गए थे। अमन ने बताया कि लोगों को मना करने के बाद भी लोग खेत की ओर गए। दो लोगों के मारे जाने की खबर सुनकर लोग जमा हुए और हजारीबाग चतरा मार्ग को खिरगांव फुल के पास जाम कर दिया। लोग मुआवजा की मांग कर रहे थे। पश्चिमी वन प्रमंडल के एसीएफ एके परमार ने मृतकों को वन विभाग के प्रावधान के अनुसार मुआवजा देने की घोषणा की। इसके बाद वन विभाग के कर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर लाश को उठाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

टस्कर मस्त हो गया है : हजारीबाग शहर पहुंच हाथी युवा नर है। उसका दांत (टस्क) बाहर की ओर निकला हुआ है। वन्य जीवों पर काम करनेवाले जंतु विज्ञानी डॉ सत्यप्रकाश ने कहा कि युवा नर के मस्त होने की स्थिति ज्यादा उग्र हो हो जाता है। विद्रोही हाथी को ग्रुप लीडर अपने समूह से बाहर निकाल देते हैं। ग्रुप से बाहर किया गया हाथी अत्यधिक उग्र हो जाता है और बेवजह लोगों को मार सकता है। उग्र होने के पीछे उसके शरीर में हार्मोन का स्राव है।

दैनिक भास्कर हजारीबाग 09-02-2023

शहर में घुसा झुंड से बिछड़ा हाथी... चार को लिया चपेट में, 3 की मौत, दो घायल

खिरगांव डंपिंग यार्ड के बाद यशवंतनगर पहुंचा हाथी मार्खम कॉलेज से सिरसी तक की सभी दुकानें रहीं बंद

भास्कर न्यूज | हजारीबाग

हजारीबाग शहरी क्षेत्र में हाथी के हमले से घायल हुई युवती रिंकी कुमारी (उम्र करीब 23 साल) फिलहाल शहर के आरोग्यम हॉस्पिटल में इलाजरत है। इसी हाथी के कुचलने से दो लोगों की मौत हो गई है। उनके शवों के पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। रिंकी राशुलीगंज में किराए के मकान पर अपने परिवार संग रहती हैं। इनके पिता का नाम सुरेश पंडित है। घटना को लेकर वन विभाग हजारीबाग के पश्चिमी डीएफओ सबा आलम ने कहा कि हाथी भगाओ दस्ता को बुलाया गया है। शाम ढलते ही हाथी भगाओ दस्ता अपना काम शुरू करेगी और सुरक्षित तरीके से हाथी को गंतव्य जगह तक पहुंचाएगी। उन्होंने इलाजरत घायल हुए युवती की मदद के लिए अस्पताल में अपने विभागीय कर्मी को भेजने की बात कही और कहा कि मृतकों के परिजनों को तत्काल कुछ राशि मुआवजा के रूप में दे दी गई है बाकी मुआवजा भी जल्द दिया जाएगा। इधर यशवंत नगर में मार्खम कॉलेज से सिरसी तक सभी तरह की दुकानें बंद कर दी गई। सड़क सुनसान हो गया। लोग अपने अपने घरों में सिमट गए। खिरगांव डंपिंग यार्ड के बाद हाथी यशवंत नगर पहुंच गया था।

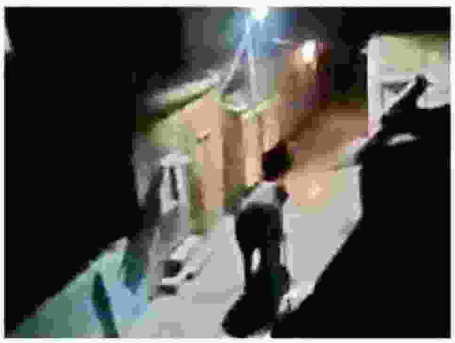

यशवंतनगर कॉलोनी में घूमता हाथी।

हाथी के दहशत के कारण बंद पड़ी दुकानें।

घटना के बाद जुटे अधिकारी व अन्य।

हाथी कब कहां पहुंचा

हजारीबाग शहर में हाथी चरही जंगल की तरफ से सुबह 4:30 बजे हुरहूरू तालाब के पास पहुंचा। 5:05 बजे विवेकानंद स्कूल के गेट के पास पहुंचा। घूमते हुए हाथी 5:30 बजे खिरगांव डंपिंग ग्राउंड के पास खेत में पहुंच गया। दिन भर यहां रहा। शाम में छह बजे वन विभाग की टीम ने खेत से भगाया। 6:15 में यशवंत नगर होते हुए शाम सात बजे सिरसी पहुंच गया। शाम 7.00 बजे सिरसी गांव में हाथी ने एक बच्चे को पटक कर जख्मी कर दिया। यहां से हाथी को डेमोटांड़ जंगल की तरफ भेजने का प्रयास किया जा रहा है।

मृतक के परिजनों को दिया गया तत्काल 25- 25 हजार, बाकी 3.75 लाख रुपए जल्द : डीएफओ

वन विभाग के डीएफओ आलम ने बताया कि मृतक के परिजनों को क्रिया कर्म के लिए तत्काल 25-25 हजार की राशि उपलब्ध करवा दी गयी है। साथ ही प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों मृतकों के परिवार को देय चार लाख में तत्काल दी गयी राशि को घटाकर मुआवजा दिया जाएगा। घायलों के परिजनों को एक लाख मुआवजा मिलता है पर उनकी चोट को देखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा।

यशवंत नगर की तरफ से डेमोटांड़ जंगल भेजा गया

हजारीबाग | हजारीबाग पहुंचे हाथी को शाम 6:00 बजे के बाद पश्चिमी वन प्रमंडल की टीम क्विक रिस्पॉन्स टीम ने दक्षिण की ओर भगाया। शेष तीनों दिशा में आबादी बसी है। हाथी इस ओर आता तो मानव के साथ टकराव हो सकता था। हाथी यशवंत नगर की ओर से डेमोटांड़ की तरफ निकला। वन विभाग की टीम सड़क पर लोगों को सचेत रहने का निर्देश दे रहा था। सबों से घर के भीतर रहने की नसीहत दी जा रही थी।

सुबह 4.30 बजे हुरहूरू तालाब पहुंचा था, 5.30 बजे डंपिंग यार्ड

4:30 बजे हुरहुरु तालाब : हाथी सुबह 4:30 बजे हुरहुरू तालाब के पास पहुंचा था। लोगों ने बाउंड्री तोड़ते देखा। वहां से सड़क से होते हुए पांच बजकर पांच मिनट पर हाथी विवेकानंद स्कूल के गेट के पास पहुंचा था वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में इसका फुटेज देखा गया। 5:30 बजे हाथी डंपिंग यार्ड के पास पहुंच गया था। पश्चिमी वन प्रमंडल के एसबीओ अमन मॉर्निंग वॉक के लिए डंपिंग यार्ड के पास पर पहुंच गए थे। अमन ने बताया कि लोगों को मना करने के बाद भी लोग खेत की ओर गए। दो लोगों के मारे जाने की खबर सुनकर लोग जमा हुए और हजारीबाग चतरा मार्ग को खिरगांव पुल के पास जाम कर दिया। लोग मुआवजा की मांग कर रहे थे। पश्चिमी वन प्रमंडल के एसीएफ एके परमार ने मृतकों को वन विभाग के प्रावधान के अनुसार मुआवजा देने की घोषणा की। इसके बाद वन विभाग के कर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर लाश को उठाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

टस्कर मस्त हो गया है : हजारीबाग शहर पहुंच हाथी युवा नर है। उसका दांत (टस्क) बाहर की ओर निकला हुआ है। वन्य जीवों पर काम करनेवाले जंतु विज्ञानी डॉ सत्यप्रकाश ने कहा कि युवा नर के मस्त होने की स्थिति ज्यादा उग्र हो हो जाता है। विद्रोही हाथी को ग्रुप लीडर अपने समूह से बाहर निकाल देते हैं। ग्रुप से बाहर किया गया हाथी अत्यधिक उग्र हो जाता है और बेवजह लोगों को मार सकता है। उग्र होने के पीछे उसके शरीर में हार्मोन का स्राव है।

दैनिक भास्कर हजारीबाग 10-02-2023

बुधवार की सुबह शहर में घुसा था झुंड से बिछड़ा हाथी, तीन लोगों की ले ली थी जान, दो अब भी इलाजरत

हाथी ने शहर में 15 घंटे तक आतंक मचाया, 5 लोगों को चपेट में लिया, अब बड़कागांव के चेपाकला में महिला को किया घायल

भास्कर न्यूज | हजारीबाग

हजारीबाग शहर में 15 घंटे तक आतंक मचाने और 5 लोगों को चपेट में लेने के बाद हत्यारे हाथी शहर को तो छोड़ दिया है लेकिन सीमा नहीं छोड़ा है। रात भर वन विभाग उसे भगाने के लिए मशक्कत करता रहा। बड़कागांव के जंगलों तक खदेड़ देने की बात कही गई लेकिन अब कहा जा रहा है कि वह शहर के सीमा क्षेत्र डामोडीह कुसुंबा के जंगलों में ही विचरण कर रहा है। कुसुंबा से निकलने के बाद हाथी बड़कागांव पहुंच गया। बड़कागांव के चेपाकला में उसने एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में खाना बना रही महिला को उसने चपेट में लिया। इससे महिला के पैर टूट गए। बुधवार को दिन भर में 3 लोगों की उसने हत्या कर दी जबकि दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। और दूसरे रिंकी कुमारी का इलाज एचजेडबी आरोग्यम में जारी है।

चानो के रास्ते शहर में घुसा, हुरहुरू होते मिशन रोड होते हुए शहर से गुजरा

बुधवार को शहर में हाथी के आतंक से भयभीत होने के बाद लोगों ने जब अपने अपने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो पाया कि वह चुरचू के जंगल से होते हुए चानो के रास्ते शहर में घुसा। हुरहुरु के रास्ते मिशन रोड होते हुए बीच शहर से गुजरा। लेकिन शहर में हाथी के प्रवेश की सूचना जिला प्रशासन वन विभाग और पुलिस तक को नहीं मिली। जब उसने दामोदर साव की हत्या कर दी। तब शहर और प्रशासन को जानकारी हुई। इस घटना ने जिला प्रशासन पुलिस और वन विभाग की पोल खोल कर रख दिया। यह साबित कर दिया कि रात में पुलिस की पेट्रोलिंग शहर में बिल्कुल नहीं होती है। पीसीआर के वाहन भी गश्ती में नहीं होता है। अगर पेट्रोलिंग होती रहती तो रात में ही पुलिस को यह जानकारी अवश्य हो जाती कि शहर में हाथी घूसा हुआ है। प्रशासन और लोग अलर्ट मोड में रहते फिर शायद दामोदर साव धनेश्वर साव एवं ट्विंकल की जान नहीं जाती वहीं रिंकी और प्रमिला जीवन मौत से जूझ नहीं रहे होते। हालांकि अभी भी वन विभाग अलर्ट मोड में है। हाथी के हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। हाथी का तेवर इतना खतरनाक है कि लोग डरे सहमे हुए हैं कि पता नहीं अब वह किसी ओर जाएगा और किन की जान लेगा। लोग दहशत से नहीं उबर पाए हैं। इस घटना के बाद से डीएफओ सबा आलम का मोबाइल साइलेंट मोड में चला गया है। बात करने की लगातार कोशिश हो रही है लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है।

झुंड से बिछड़ा हाथी उग्र है रहें सचेत : सत्यप्रकाश

वन्य जीव विशेषज्ञ सत्य प्रकाश ने कहा कि हाथी काफी उग्र है खतरनाक तेवर में है इसलिए अभी भी खतरा टला नहीं है लोग सचेत रहें। कहा की प्रभावित क्षेत्र के लोग अपने घर के बाहर गोयठे का आग जला लें और उसमें मिर्ची डाल दें। मिर्ची के तीखापन के कारण हाथी अपना रास्ता बदल लेगा। जिससे किसी की भी जानमाल की क्षति नहीं हो पाएगी। हाथी दिखे तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करे।

रविवार
रांची, 04.01.2026
माघ कृष्ण प्रतिपदा संवत 2082
पृष्ठ : 20 (16+4 पेज का सुरभि), मूल्य : ₹ 6
वर्ष : 43, अंक : 04
रजिस्ट्रेशन : आर एन 44208/1984
नगर संस्करण

झारखंड का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक
प्रभात खबर
अखबार नहीं आंदोलन
रांची । पटना । जमशेदपुर । धनबाद । देवघर । कोलकाता । मुजफ्फरपुर । भागलपुर से प्रकाशित

राजपाट — सहायक आचार्यों का सात दिनों में कराना होगा बायोमेट्रिक पंजीयन... 10
बिहार — बुजुर्गों को घर पर ही मिलेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं ...13
prabhatkhabar.com

क्विक बाइट्स

गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी कमांडर तलवार लेकर करेंगे मार्च

नयी दिल्ली. एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने शनिवार को कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित सहायता के लिए एक लाख कैडेट को प्रशिक्षित करने की योजना बना बनायी जा रही है. दिल्ली कैंट में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वत्स ने घोषणा की कि एनसीसी के इतिहास में वर्ष 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में इसके परेड और दल कमांडर तलवार लेकर मार्च करेंगे.

देश-विदेश पेज भी देखें

छत्तीसगढ़ : 14 नक्सली ढेर तेलंगाना में 20 का सरेंडर

सुकमा/हैदराबाद. नक्सलियों के विरुद्ध शनिवार को कड़ी कार्रवाइयां की गयीं. छत्तीसगढ़ के बस्तर में जहां सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को मार गिराया, वहीं तेलंगाना में शीर्ष कमांडर समेत 20 माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुकमा जिले में 12 और बीजापुर में दो नक्सलियों को ढेर किया है. मौके से एके-47 समेत भारी मात्रा में हथियार मिले हैं.

एनसीसी के एक लाख कैडेट बनेंगे युवा आपदा मित्र

नयी दिल्ली. एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने शनिवार को कहा

चिंता. बड़ी त्रासदी में तब्दील हो रहा गजराज और मानव के बीच टकराव

हाथियों के हमले में 25 वर्षों में 1500 से ज्यादा लोगों ने गंवायी जान, रांची जिला सबसे अधिक रहा प्रभावित

खास

मनोज सिंह, रांची

झारखंड में हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ता टकराव अब एक बड़ी त्रासदी का रूप ले चुका है. भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ) के हालिया अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2000 से 2023 के बीच राज्य में हाथियों के हमले की 1740 घटनाएं दर्ज हुई हैं. इनमें 1340 लोगों की मौत हो गयी और 400 लोग घायल हुए हैं. 2023 के बाद अब तक करीब 200 लोगों की जान हाथियों के कारण चली गयी है. इस क्रम में पिछले 25 वर्षों में करीब 1500 से अधिक लोगों की मौत हाथियों के कारण हो चुकी है. जिसे लेकर राज्य सरकार से लेकर विशेषज्ञ तक चिंतित हैं.

डब्ल्यूआइआइ ने अपने शोध में झारखंड के रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम जिले को संघर्ष के लिए सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना है.

बाकी पेज 13 पर

डब्ल्यूआइआइ ने किया अध्ययन

2000 से 2023 के बीच राज्य में हाथियों के हमले की

1740 घटनाएं
1340 की मौत

2023 से अबतक हाथी के कारण करीब
200 की जान गयी

एक सप्ताह पहले ही चुटूपालू घाटी में सड़क पर दिखा था हाथियों का झुंड.

औसतन हर वर्ष 80 से 100 लोगों की मौत

वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में औसतन हर वर्ष 80 से 100 लोगों की मौत हाथी के हमले हो रही है. रांची के बुंडू-तमाड़ क्षेत्र, लोहरदगा, लातेहार और गिरिडीह जैसे जिलों में स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है. हाथियों के झुंड न केवल फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि रात के अंधेरे में गांवों में घुसकर घरों को भी ध्वस्त कर रहे हैं. ग्रामीण अब रातें जागकर बिताने को मजबूर हैं. वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले आठ वर्षों में करीब 60 हाथियों की मौत भी विभिन्न कारणों से हो गयी है. इसमें रेलवे लाइन और बिजली के तार अहम कारण हैं. लोग हाथियों से बचने के लिए अपने खेतों में बिजली का तार लगा देते हैं. जिसकी चपेट में आने से हाथियों की मौत हो जा रही है.

डराते हैं हर वर्ष के आंकड़े

वर्ष	मौत	मृत हाथी
2019-20	84	10
2020-21	74	09
2021-22	133	03
2022-23	96	10
2023-24	87	06
2024-25	81	15
2025-26	30	05

अहम तथ्य

1. वन विभाग के आंकड़े बताते है कि आठ वर्षों में 60 हाथियो की भी मौत हुई
2. हाथियो की मौत मे रेलवे लाइन और बिजली के तार अहम कारण बन रहे
3. रांची में 2023 तक सबसे अधिक 391 मौतें हुई और 194 लोग घायल हुए
4. झारखंड के 480 गांव सीधे प्रभावित है, जिनमें रांची के सर्वाधिक 156 गांव शामिल है.

इसलिए आक्रामक हो रहे गजराज

प्राकृतिक आवास का विनाश : अवैध उत्खनन और शहरीकरण के कारण हाथियो के प्राकृतिक गलियारे बिगड़ गये है. उनके रहने की जगह सिमटती जा रही है

भोजन और पानी की कमी : जंगलों में पर्याप्त भोजन नहीं मिलने से हाथी गांवों की ओर रुख करते हैं, जहां उन्हें खेतों में लहलहाती फसलें और घरों में रखा अनाज आसानी से मिल जाता है

हाथियो के मार्ग में अवरोध : रेलवे लाइनों का बिछना और चौड़ी सड़कों के निर्माण ने हाथियो के पारंपरिक रास्तों को रोक दिया है. जिससे वे भटक कर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं.

आर्थिक नुकसान और मुआवजे की जटिलता : हाथियों का उत्पात केवल जान तक सीमित नहीं है. गरीब किसानों की साल भर की मेहनत यानी उनकी फसलें मिनटों में रौंद दी जाती हैं.

वन विभाग की पहल और चुनौतियां

एलीफेंट विलेज : हाथियों को जंगलों में ही रोकने के लिए चारे के पौधों का रोपण हो

क्विक रिस्पांस टीम : हाथियों को भगाने के लिए प्रशिक्षित टीमों की तैनाती

जागरूकता अभियान : ग्रामीणों को बचाव की जानकारी देना

हाथी को भी उसके मिजाज से जीने दें

हाथी से मौत की अधिकतर घटनाएं लोगों की नादानी के कारण हो रही हैं. लोग हाथियों के पीछे भागने लगते है. हाथी कभी झुंड को नुकसान नहीं करता है. एक-दो को मारता है. इससे बचने के लिए हाथियों के नजदीक जाने से बचना चाहिए. हाथी को भी अपने मिजाज से जीने देना चाहिए. ग्रामीणों की समस्या उनकी संपत्ति की क्षति है. संपत्ति (चल-अचल) का मुआवजा अगर सामान्यजनक होगा, तो ग्रामीण भी हाथियों को भगाने या अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं रहेंगे. हाथियों का अपना नेचर है. वह किसी भी इलाके में एक या दो दिन से ज्यादा नहीं रहता है. विभाग भी नजर रख रहा है.

एके सिंह, पूर्व पीसीसीएफ (वन्य प्राणी)

खलिहान में सोये बालक को हाथी ने कुचला

चाईबासा. पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार की रात में हाथी ने खलिहान में सो रहे बालक को कुचल कर मार डाला. घटना चाईबासा-गोइलकेरा मार्ग पर सेयतवा वन क्षेत्र की है. मृतक की शिनाख्त गोइलकेरा के बाइपी गांव निवासी मंदुरुकामय के 13 वर्षीय पुत्र रेगा कयोम के रूप में हुई.

हाथियों के हमले में 25 वर्षों...

केवल रांची में ही अब तक (2023 तक) सबसे अधिक 391 मौतें और 194 घायल होने के मामले सामने आये हैं. इसके बाद खूंटी (131 मौतें) और पूर्वी सिंहभूम (68 मौतें) का स्थान आता है. आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चला है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों के हताहत होने की संख्या काफी अधिक रही है. झारखंड के लगभग 480 गांव इस समस्या से सीधे प्रभावित हैं. जिनमें रांची के सर्वाधिक 156 गांव शामिल हैं. शोधकर्ताओं ने रमुआ, चटमबारी, गेरापोखर और कोडरमा जैसे उच्च-संघर्ष वाले गांवों में तत्काल सुरक्षा हस्तक्षेप की आवश्यकता जतायी है. अध्ययन में माना गया है कि मॉनसून में खतरा अधिक बढ़ जाता है. संघर्ष के पीछे के मुख्य कारण राज्य में हाथियों के प्राकृतिक आवास (हैबिटेट) का नुकसान पहुंचना भी शामिल है. खनन और शहरीकरण का असर भी है. धनबाद, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में कोयला खनन और औद्योगिक विकास ने हाथियों के पुराने रास्तों (एलीफेंड कॉरिडोर) को बाधित कर दिया है.

झारखंड में ही दो जनवरी को चाईबासा में हाथियों ने तीन लोगों की जान ले ली. दिसंबर माह में रामगढ़ के वेस्ट बोकारो (घाटो) और सिरका वन क्षेत्र में 16 और 17 तारीख को चार लोगों की मौत हाथियों के हमले में हुई. इसमें अमित रजवार, अमूल महतो, सावित्री देवी और पार्वती देवी शामिल थे. इसके कुछ दिनों बाद रामगढ़ के ही कर्मा सुगिया इलाके में लोकनाथ मुंडा नामक एक व्यक्ति की जान चली गयी. दिसंबर में ही रांची के अनगड़ा ब्लॉक के जीदू गांव में शनिचरवा मुंडा नामक व्यक्ति की हाथी के हमले में मौत हो गयी.पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के विभिन्न जिलों, विशेषकर कोल्हान, संताल परगना और पलामू प्रमंडल में हाथियों के हमले में जान गंवाने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. हाथियों से लोगों की मौत के मामले में रांची जिला अव्वल है. यहां सबसे अधिक इंसानों की मौत हाथियों के कारण हो रही है

Sunday, January 4, 2026
Ranchi-City
https://epaper.prabhatkhabar.com/clip/6959725b5fc52a5708628fb6

दैनिक भास्कर हजारीबाग 04-09-2025

हजारीबाग में धारीदार लकड़बग्घा, दुनिया में इनकी अनुमानित संख्या मात्र 10 हजार

मुरारी सिंह | हजारीबाग

पूरी दुनिया में दुर्लभ होता जा रहा वन्य जीव, धारीदार लकड़बग्घा (स्ट्राइप्ड हाइना) हजारीबाग में बचे हुए हैं। लोग इन्हें देख पा रहे हैं। हजारीबाग के दारू प्रखंड के जंगल, वाइल्डलाइफ सेंचुरी और शहरी क्षेत्र से सटे कनहरी पहाड़ी और सीतागढ़ पहाड़ी के पास लकड़बग्घा अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। हजारीबाग के पूर्वी और पश्चिमी वन प्रमंडल क्षेत्र को मिलकर 50 से अधिक लकड़बग्घा हैं। पूरी दुनिया में इनकी अनुमानित संख्या मात्र 10 हजार है। इसी को लेकर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर (आईयूसीएन) ने इसे नियर थ्रीटन्ड बताया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2022 में शेड्यूल वन में संरक्षित किया है। इनको नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान है। कनहरी पहाड़ी की तलहटी निवासी अवकाश प्राप्त प्राध्यापक डॉ. अशोक कुमार मंडल बताते हैं कि पहाड़ी की परिधि में बनी सड़क में मॉर्निंग वॉक के समय रास्ता पार करते दिख जाते हैं। कनहरी रोड निवासी रेस्क्यूअर देव प्रताप सिंह बताते हैं कि पिछले माह वन विभाग को दारू प्रखंड से घायल लकड़बग्घा मिला था। उसका इलाज कराने के बाद पुनः जंगल में छोड़ दिया गया।

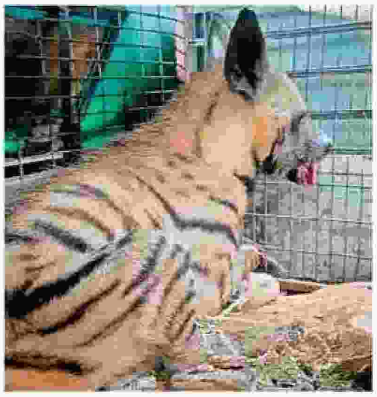

अपमार्जक हैं लकड़बग्घा : विश्व में चार प्रजाति स्पॉटेड हाइना, स्ट्राइप्ड हाइना, आर्डवोल्फ और ब्राउन हाइना मिलते हैं। इनमें से स्ट्राइप्ड हाइना हजारीबाग में बचे हुए हैं। इनका मुख्य भोजन जंगल और आसपास मरे हुए जीव हैं। सड़े गले जीव को हड्डी सहित खा लेते हैं। इसलिए इन्हें जंगल का अपमार्जक कहा गया है। लकड़बग्घा निशाचर होते हैं, इसलिए उनकी गणना दूसरे वन्य जीवों की तरह नहीं होती। इनके आगे के लंबे पैर, शक्तिशाली गर्दन और मजबूत कंधे होते हैं, जिससे वे शिकार को चीर-फाड़ कर ले जा सकते हैं। दृष्टि, श्रवण और गंध सूंघने के मामले में दूसरे जीवों से कहीं आगे हैं।

क्यों घट रही संख्या : स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्ड, झारखंड के सदस्य डॉ. सत्य प्रकाश बताते हैं कि धारीदार लकड़बग्घा को हड्डी और बोन मैरो बहुत पसंद है। मृत पालतू पशुओं को जमीन में गाड़ने का प्रचलन बढ़ा है, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हुआ है और जंगली सूअर मारने के लिए लगाए जाने वाले बम से भी उनकी मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश से आनेवाले घुमंतू जनजाति स्थानीय लोगों को उक्त बम उपलब्ध कराते हैं।

हजारीबाग के कनहरी जंगल, टाटीझरिया जंगल, सीतागढ़ पहाड़ी क्षेत्र में इनको लगातार देखा जा रहा है। मैंने स्वयं भी इन्हें टाटीझरिया में देखा है। कनहरी पहाड़ी में इनके मांद भी हैं।
विकास कुमार उज्ज्वल, डीएफओ पूर्वी वन प्रमंडल हजारीबाग।

दैनिक भास्कर
हजारीबाग 27-08-2025

परेशानी • हाथियों के आतंक से लोगों में डर, बन्हें, कोल्हू और मायापुर में उत्पात जारी... मुआवजे की मांग

हाथियों ने मचाया उत्पात, कई मकान तोड़े और फसलें रौंदी

बसंत नारायण | दारु

तीन दल में विभक्त हाथियों का झुंड टाटीझरिया प्रखंड क्षेत्र के तीन छोरों पर डेरा जमाए हुए है। उच्चाबेडा-झरपो जंगल में 24 हाथियों का झुंड पहुंच चुका है। एक हाथी खैरा जंगल में है। इधर, सात हाथियों का झुंड बन्हें, कोल्हू और मायापुर में जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने बन्हें के पूरनापानी के राजेश भुइयां के घर को तहस-नहस कर दिया। दो खिडकियां और एक दरवाजे को तोड़ दिया। उसके घर के सामने चहारदीवारी को तोड़ दिया। इसके बाद हाथियों का झुंड सिझू पहुंचकर अजय कुमार का स्कूल वैन का शीशा तोड़ दिया। उसके खेत में लगे मकई की फसल को रौंद डाला, चहारदीवारी को पांच स्थानों पर ध्वस्त कर दिया। वहीं लखन महतो और छोटी महतो के खेत में लगे मकई की फसल को नष्ट कर दिया।

हाथी द्वारा नष्ट मकान और नष्ट फसल।

कमरे में ड्राम में रखे चावल को खा गए

चहारदीवारी को चार स्थानों पर तोड़ दिया। खिड़की तोड़कर सिलाई मशीन को पटक दिया। केले की फसल को बर्बाद कर दिया। छोटन सिंह के घर में लगे खिड़कियों को तोड़ दिया और कमरे में ड्राम में रखे चावल को खा गए। सरसो, बाल्टी, मिक्सर को तोड़ दिया। खिड़की के बगल में चौकी लगा हुआ था। जिस पर घर मालिक सोए हुए थे, उसको खींचने लगे। घर मालिक किसी तरह जान बचाकर भागा। उसके बाद हाथियों का झुंड कोल्हू में विकास प्रसाद का चहारदीवारी ध्वस्त कर मकई, हल्दी तथा केले के पौधों को नष्ट कर दिया। दशरथ प्रसाद के खिड़की को तोड़ दिया। वहां से निकलकर हाथियों के झुंड खेत में लगे धान के पौधों को रौंदते हुए मायापुर पहुंचे। जहां मसोमात पनवा पति चंदर भुइयां के घर को पांच स्थानों पर क्षतिग्रस्त कर दिया। जिससे उसके पास निवास की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि वन विभाग के कर्मी इस दौरान हाथियों को खदेड़ते जा रहे थे। प्रमुख संतोष मंडल, पंकज मंडल, कृष्णा साव ने किसानों, मजदूरों और असहायों को हाथियों से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग प्रखंड, जिला और वन विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों से किया है।

दैनिक भास्कर हजारीबाग 28-07-2022

हिंसक हो रहे हाथी ▪ 246 लोगों की 5 साल में ली जान ▪ 46 जान इस साल ले चुके अब तक ▪ 1744 घर 5 साल में ढहाए

हमारी गलतियों से हाथी हुए हमलावर | जंगल काटे जा रहे, जिस रास्ते से आना-जाना वहां बसती जा रही आबादी; भूख मिटाने के लिए गांवों में नुकसान पहुंचा रहे हाथी

भास्कर पड़ताल... भास्कर टीम ने 11 प्रभावित जिलों का जाना हाल, गांवों में देसी शराब बनने से भी गंध से मदहोश हो उग्र हो रहे हाथी

उमेश राणा/संजय तिवारी | हजारीबाग/पलामू

हाथी अब क्रूर हो गए हैं। खूंटी के कर्रा में शनिवार को एक वनरक्षी को कुचलकर मार डाला। इस साल के 6 महीनों में 46 लोगों की जान ले ली है। हाथियों के हमले में 58 लोग अबतक घायल हुए हैं। इस अवधि में 160 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों से प्रभावित गांवों की संख्या 125 हो गई है।

हाथियों की क्रूरता की वजह क्या है? **भास्कर टीम ने 11 जिलों में पड़ताल की तो पता चला कि हमारी गलतियों के कारण ही हाथी हिंसक हो रहे हैं।** दिनों-दिन जंगल कटते जा रहे हैं। जिस रास्ते से हाथी वर्षों से आना-जाना करते हैं, वहां आबादी बसती जा रही है। भूख मिटाने के लिए हाथी गांवों का रुख करने लगे हैं और वहां इंसान और हाथियों का टकराव होने लगा है। एक और बड़ी वजह यह है कि गांव-गांव में देसी शराब बनने लगी है। शराब की गंध से मदहोश होकर हाथी गांवों में घुस रहे हैं। जान-माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाल के दिनों में घाटशिला क्षेत्र में 70 हाथियों का झुंड कई दिनों तक डेरा जमाए रहा। खेतों में लगी फसल को रौंद डाला। दहशत में ग्रामीण रतजगा कर रहे थे। प. बंगाल से हाथियों को भगाने वाले ग्रुप को बुलाना पड़ा था।

इस साल सबसे ज्यादा हजारीबाग में 12 ग्रामीणों को मार डाला

5 साल का आंकड़ा देखें तो हाथियों के गुस्से के शिकार हुए लोगों में 246 की जान चली गई। इस अवधि में हाथियों के हमले से 304 लोग घायल हुए। 1744 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं, प्रभावित गांवों की संख्या 836 रही। इस साल जून तक सबसे ज्यादा हजारीबाग में 12 ग्रामीणों को हाथियों ने मार डाला। 5 साल में खूंटी में सबसे ज्यादा 51 ग्रामीणों को हाथियों की क्रूरता का शिकार होकर जान गंवानी पड़ी। यहां सबसे ज्यादा 77 ग्रामीण घायल हुए। हजारीबाग में 49 और गुमला में 47 लोगों को पटककर मार डाला। गुमला में 62 ग्रामीणों को हाथियों ने घायल कर दिया।

5 साल में सबसे ज्यादा खूंटी में 51 ग्रामीणों की गई जान

जिला	2018	2019	2020	2021	2022	कुल
हजारीबाग	07	05	09	16	12	49
कोडरमा	00	01	00	01	00	02
पलामू	01	02	01	01	00	05
बोकारो	02	03	04	02	03	14
जामताड़ा	03	07	00	05	03	18
गुमला	12	15	06	11	03	47
खूंटी	11	17	07	13	03	51
लातेहार	01	03	05	05	08	22
गिरिडीह	03	02	03	02	09	19
गढ़वा	00	03	05	04	01	13
चतरा	00	00	01	03	02	06
कुल	40	58	41	63	46	246

ऐसे समझें... कब कितना नुकसान

कितने घायल हुए
2018 : 36
2019 : 58
2020 : 81
2021 : 71
2022 : 58 (जून तक)

कितने घर गिराए
2018 : 401
2019 : 457
2020 : 306
2021 : 420
2022 : 160 (जून तक)

प्रभावित गांव
2018 : 185
2019 : 182
2020 : 193
2021 : 151
2022 : 125 (जून तक)

सोर्स : वन विभाग

वन विभाग के पास फंड का घोर अभाव

हाथियों से बचाव या उसे खदेड़ने के लिए प्रभावित गांवों के लोगों में टॉर्च, पटाखे और रोशनी के लिए मशाल बांटे जाते हैं। वनकर्मियों की पेट्रोलिंग के लिए वाहन और डीजल का इंतजाम किया जाता है, लेकिन झारखंड में वन विभाग के पास फंड नहीं है कि वे ग्रामीणों को साधन मुहैया करा सकें। पटाखे, डीजल की कीमत कई गुना बढ़ गई है। स्थानीय लोग भी जिम्मेदार हैं। गांवों में महुआ शराब बनाने का धंधा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। कई ग्रामीणों ने इसे रोजगार का साधन बना लिया है।

एक्सपर्ट से जानें हाथी क्यों हो रहे हैं क्रूर

जंगली हाथी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं। जंगल सिमट रहे हैं। जिस रास्ते से हाथी आते-जाते हैं, वहां आबादी बसती जा रही है। हाथियों का गुण है कि हमेशा उस रास्ते का प्रयोग करते हैं, जिससे पूर्वज आते-जाते रहे हैं। रास्ता बंद होने और जंगल कटने से हाथी गांवों में घुस रहे हैं। हाथियों को महुआ पसंद है। इसके गंध से गांवों में नुकसान पहुंचा रहे हैं।

मुकेश कुमार, *उप निदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व*

दैनिक भास्कर
हजारीबाग 07-11-2022

25 हाथियों का झुंड बड़कागांव के सेहदा जंगल में 15 दिनों से जमे हैं

भास्कर न्यूज | बड़कागांव

प्रखंड में हाथियों के द्वारा गांव में घुसकर ग्रामीणों का नुकसान पहुंचाने का लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगलों की लगातार कटाई के कारण हाथी गांव की ओर कूच कर रहे हैं। बड़कागांव वन परिक्षेत्र के ग्राम पसेरीया, इंद्रा और इसको में लगभग 25 हाथियों का दल पिछले 15 दिनों से डेरा डाले हुए है। क्षेत्र में कम बरसात होने के बाद भी ग्रामीणों ने किसी तरह धान की फसल लगाई है और अब फसल जैसे-जैसे तैयार हो रहा रहा है हाथी उसे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों का झुंड जिधर भी जा रहा है धान के साथ साथ सब्जियों के खेती को भी पैरों तले रौंद कर नष्ट कर दे रहे हैं। पिछले हफ्ते पसेरीय गांव में हाथियों ने 6 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। लगभग 23 हाथियों का दल पिछले 15 दिनों में कई एकड़ में लगे फसलों को नुकसान पहुंचा है।

शनिवार को हाथियों के झुंड को ग्राम इसको और सेहदा के बीच तिलैया जंगल में देखा गया है। हाथियों के गांव के करीब आने से ग्रामीण रतजगा करने को मजबूर हैं। ग्राम सेहदा के ग्रामीण हाथियों के झुंड की खबर से दहशत में हैं। सेहदा निवासी सीनोद कुमार ने कहा के ग्रामीण रात भर जाग कर गुजार रहे हैं। मशाल बना कर रखे हैं ताकि अगर हाथियों ने गांव में आक्रमण किया तो दूर से मशाल जला कर हाथियों को गांव से दूर रखने का प्रयास कर सकें।

दैनिक भास्कर हजारीबाग 15-01-2024

हाथियों का कहर जारी... 35 हाथियों का झुंड चरही, चुरचू और दारू वन क्षेत्र में चार दिनों से पहुंचा रहा क्षति, टीम ने एनएच पार कराया

भास्कर न्यूज | चरही

इन दिनों पैंतीस हाथियों का झुंड चरही, चुरचू और दारू वन क्षेत्र के समीप वर्ती गावों में घुसकर लगातार चार दिनों से क्षति पहुंचा रहे हैं। झुंड को उनके गंतव्य कॉरिडोर तक पहुंचाने के लिए हाथी भगाने वाला दस्ता शनिवार को पूरी रात लगी रही। इसके बावजूद उनके मार्ग में आने वाले घरों को चपेट में लेते रहे। बीते रात कजरी में 4 घरों को क्षति पहुंचाए और तीन लोगों के घरों में सामग्री बरबाद किए। झुंड के पीछे पीछे दस्ता रात भर लगा रहा।

निकलने के क्रम में चनारो पंचायत भवन के पास एक घर को तोड़ते हुए पुनः पुरनापानी में एक घर को तोड़ा। रविवार की सुबह लगभग 6 बजे एनएच के चरही घाटी को पार करते हुए सडबाहा जंगल में प्रवेश किए। इस बीच झुंड को हाईवे को पार कराने में लगभग आधे घंटे लग गए। हाईवे

को वन कर्मियों और दस्ता टीम ने दोनों ओर से वाहनों को रोके रखा। हाथियों की पूरी झुंड सड़क को पार कर लेने के बाद वाहनों का आवागमन शुरू कराया जा सका।

सुबह हो जाने के कारण झुंड आगे नहीं बढ़ी। पूरी दिन बदुरलतवा जंगल में डालियों को खाकर विश्राम करते रहे। दस्ता टीम के साथ प्रभारी युवा वनपाल शैलेंद्र कुमार और वनरक्षी विकास उरांव लगे रहे। रविवार रात को भी हाथी भगाने वाला दस्ता बेस रेशाम की जंगल की ओर उनके कॉरिडोर में भेजने का प्रयास करेगी। इसके बावजूद डर बना हुआ है कि समीप के गांव दलदलिया और दहुदाग में पहुंच गए, तो फिर नुकसान की गुंजाइश हो सकती है।

आस-पास क्षेत्र के ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा अलर्ट करा दिया जा रहा है। बहेरा मुखिया ने लिया हाथी पीडितों का जायजा: बहेरा पंचायत के मुखिया देवकी महतो ने अपने पंचायत क्षेत्र के कजरी में नुकसान का जायजा लिया। वन विभाग से लोगों की क्षतिपूर्ति शीघ्र दिलाने की मांग की है। जिनके मकान ध्वस्त हुए हैं, उनमें पानपती देवी, फागू मरांडी, विनय मरांडी, बड़की देवी हैं। जबकि सामग्री जिनकी क्षति हुई है उनमें बसंती देवी, तालो मरांडी, जीतन मरांडी शामिल हैं। झुंड ने पानी टंकी के समीप बाउंड्री को क्षति पहुंचाए हैं।

दैनिक भास्कर रांची 28-11-2023

DainikBhaskar.com रांची, मंगलवार 28 नवंबर, 2023 कृष्ण पक्ष-प्रतिपदा, 2080 12 राज्य | 61 संस्करण

भास्कर पड़ताल • सड़क एलाइनमेंट, सुपर एलिवेशन में गड़बड़ी और स्पीड रडार गन की पेंच में फंसा चुटूपालू घाटी के सुधार का काम

चुटूपालू के 5 किमी दायरे में 8 साल में 90 से ज्यादा मौतें, हादसे रोकने की बजाय डीटीओ और एचएचएआई में आरोप-प्रत्यारोप

दुर्घटना रोकने को अल्पकालिक उपाय तो किए गए, पर स्थायी समाधान के प्रयास अब तक नहीं

निवेश ओझा | रांची

रामगढ़-रांची फोरलेन मार्ग स्थित चुटूपालू घाटी (लालकी घाटी के नाम से विख्यात) दो संस्थानों के आरोप-प्रत्यारोप के कारण मौत की घाटी बन गई है। पांच किमी लंबी घाटी में पिछले 21 नवंबर को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए।

शायद ही ऐसा कोई महीना गुजरा हो, जब चुटूपालू घाटी में किसी की मौत नहीं हुई हो। जनवरी 2023 से लेकर अब तक घाटी में मौत का आंकड़ा 16 पहुंच चुका है। वहीं, पिछले आठ सालों में घाटी में 90 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। यहां सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अल्पकालीन उपाय तो हुए हैं, पर दीर्घकालीन उपाय क्या हो, इसे लेकर फोरलेन बनाने वाली एनएचएआई और रामगढ़ जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रामगढ़ जिला परिवहन कार्यालय का कहना है कि घाटी में दुर्घटना का मुख्य कारण सड़क की एलाइनमेंट में गड़बड़ी और सुपर एलिवेशन का होना है। सड़क संरचना में फॉल्ट के कारण रांची से रामगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों की गति तेज होने के कारण अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं।

वहीं, एनएचएआई परिवहन कार्यालय के तर्क को खारिज तो नहीं करता है। पर उसका कहना है कि घाटी में चलने वाले वाहन निर्धारित गति (40 किमी प्रति घंटा) का पालन नहीं करते हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि स्पीड रडार गन की मदद से वाहनों की गति पर नजर रखें और दोषी चालकों पर जुर्माना लगाएं।

2023 में सड़क दुर्घटना में हुई मौतें

24 फरवरी	01	1 जून	01
25 फरवरी	03	31 अगस्त	02
25 अप्रैल	03	19 अक्टूबर	02
21 मई	01	21 नवंबर	03

भास्कर एक्सपर्ट: रांची से रामगढ़ की ओर ढलान होने से अधिकतर दुर्घटनाएं बाएं तरफ हो रहीं

मुझे नहीं लगता है कि यहां सुपर एलिवेशन का इश्यू है। रांची से रामगढ़ जाने के दौरान चुटूपालू घाटी में अधिकतर दुर्घटनाएं बाएं तरफ ही होती है। तीव्र मोड़ के साथ घाटी में काफी ढलान है। ड्राइवर जब तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण स्पीड और बढ़ जाती है। ड्राइवर सोचता है कि तीखे मोड़ पर वह गाड़ी कंट्रोल कर लेगा, लेकिन इनर्शिया (जब आप किसी को स्पीड देते हैं, तो वह अपने दिशा में जाना चाहता है, वह इनर्शिया कहलाता है) के चलते वह ऐसा नहीं कर पाता। इससे दुर्घटना हो जाती है। सबसे जरूरी है कि घाटी में स्पीड कंट्रोल। **-मदन कुमार,** सेवानिवृत्त प्रभारी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग

क्या कहते हैं जिम्मेवार

एनएचएआई को सड़क संरचना सुधारने को कहा

जिला परिवहन कार्यालय ने एनएचएआई को पत्र लिखकर घाटी खंड में बने सड़क संरचना पर सुधार की बात की है। लेकिन एनएचएआई का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। **-दिवाकर प्रसाद,** डीटीओ, रामगढ़

स्पीड रडार गन पर प्रशासन का ध्यान नहीं

एनएचएआई पर दोष लगाया जा रहा है। स्पीड रडार गन से वाहनों की गति नियंत्रण कर हादसों को रोका जा सकता है, पर प्रशासन का ध्यान नहीं है। एलाइनमेंट व सुपर एलिवेशन में सुधार के लिए रांची कार्यालय को प्रस्ताव भेजा है। **-विजय कुमार,** एनएचएआई, रांची

दैनिक भास्कर
हजारीबाग 16-07-2025

बड़कागांव में हाथियों का आतंक • 22 दिन में 390 किसानों की फसलों को रौंदा और 60 मकान क्षतिग्रस्त किया, एसीएफ बोले-

एसीएफ को मिले अबतक 5 आवेदन, किसी को नहीं मिला मुआवजा

दीपक सिन्हा | बड़कागांव

15 वर्षों के दौरान हाथियों के द्वारा इस प्रकार के उत्पात कभी नहीं देखा गया था। विगत 22 दिनों के अंदर हाथियों की झुंड ने अब तक 390 किसानों की फसलों को खा गया या रौंद कर बर्बाद कर दिया। वहीं लगभग 60 से 65 ग्रामीणों के मकान को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की टीम रोजाना प्रयास तो कर रही है, परंतु बड़कागांव से हाथी भागने का नाम नहीं ले रहा है। 25 जून को हाथियों के झुंड का जोराकाठ आया था इसी दरमियान दो दिनों के बाद एक हथिनी ने बच्चे को जन्म दी थी, वहीं चार दिनों के बाद दूसरे हथिनी ने भी बच्चे को जन्म दी। जिसके कारण झुंड आगे बढ़ नहीं पाये और आसपास में मक्के की खेती को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। हाथियों ने अब तक जोराकाठ, गोंदलपूरा, रावतपारा, बरबनिया, गंगादोहर, हरली, महुदी, कांडतरी, पंडरिया, सांड़, बरवाडीह, लकुरा, चंदनपुर, सोकरी आदि गांव में भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों के द्वारा वन विभाग से नुकसान हुए फसलों एवं घरों को लेकर मुआवजा की मांग कर रहे हैं।

खेतों में पहुंचा हाथियों का झुंड।

वन विभाग से मुआवजा लेने की प्रक्रिया : जागरूकता के कमी के कारण कई किसान मुआवजा से वंचित हो जाते है, उन्हें यह जानना और समझना अत्यंत जरूरी है। हाथी के द्वारा खेती या मकान की नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित को सर्वप्रथम वन विभाग द्वारा प्राप्त प्रपत्र में मुखिया से अनुशंसा कराना पड़ता है। प्रपत्र को अंचल कार्यालय में जमा होने के बाद कर्मचारी और वनपाल के द्वारा स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट अंचलाधिकारी और वनक्षेत्र पदाधिकारी को सुपुर्द किया जाता है और दोनों के संयुक्त निरीक्षण के बाद मुआवजा के लिए रिपोर्ट वन कार्यालय हजारीबाग भेज प्रक्रिया पूरी की जाती है।

जल्द से जल्द हाथियों को भगाने की मांग की है

विगत कई सप्ताह से हाथी का झुंड बड़कागांव वन क्षेत्र में डटे रहने व हो रहे किसानों को नुकसान को लेकर बड़कागांव पूर्व विधायक लोकनाथ महतो ने हजारीबाग डीएफओ मौन प्रकाश से मुलाकात कर निरंतर किसानों को हो रहे नुकसान तथा वस्तु स्थिति से अवगत कराया एवं जल्द से जल्द हाथियों को भगाने की मांग की है। लोकनाथ महतो ने कहा कि हाथी ने कई किसानों के मक्के की खेती को बर्बाद तो कर ही दिया है , धान की तैयार हो रहे बिचड़े को भी नष्ट कर दिया है अब दोबारा बीहन लगाने के लिए अब समय भी नहीं है। कई किसानों के पास अब भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। किसानों को बीहन लगाने से लेकर धान के पैदावार तक का मुआवजा मिलना चाहिए।

छोटे हाथी बाहर नहीं जा पा रहे हैं : एसीएफ

मामले को लेकर सहायक मुख्य वन संरक्षक एके परमार ने बताया कि मुआवजा के लिए अब तक मात्र 4 से 5 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। प्रक्रिया जारी है जल्द ग्रामीणों को दिया जाएगा मुआवजा। हाथी को भगाने के लिए वन विभाग के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, परंतु नवजात बच्चों के कारण हाथी का झुंड बाहर नहीं जा पा रहे हैं।

दैनिक भास्कर
हजारीबाग 08-07-2025

बड़कागांव में हाथियों का आंतक लगातार जारी है, ग्रामीणों में भय का माहौल है

हाथियों के झुंड ने घर को तोड़ा, फसल किया बर्बाद

भास्कर न्यूज | बड़कागांव

बड़कागांव प्रखंड के जोराकाठ गांव से शुरू हुआ 27 हाथियों की झुंड विगत 13 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं,भागने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान हाथी खेतों में लगी मक्के की फसल को विशेष रूप से निशाना बना रहे हैं। जिसमें रविवार की रात को पंडरिया व कांडतरी गांव में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, तकरीबन 25 किसानों के फसल को खा गया व नष्ट कर दिया। इसके अलावा खेतों में तैयार हो रहे धान की बीचड़ा को बर्बाद कर दिया। जिसमें पंडरिया गांव के किसान बालेश्वर महतो, राजेंद्र महतो, कारीनाथ महतो, अजय महतो, बालो महतो, महेन्द्र महतो, तालों महतो, अशोक महतो, फुलेश्वर महतो, प्रदीप ठाकुर, बिनोद महतो,

राजेंद्र महतो, मिथलेश महतो, विकास महतो, टहलू महतो, भवानी महतो, के अलावा कांडतरी गांव में विनोद महतो, सिद्धेश्वर महतो, प्रकाश महतो लोचन महतो, गौतम कुमार व अन्य का फसल को बर्बाद एवं नंदकिशोर महतो के चिमनी भट्ठा में स्टोर रूम, कार्तिक महतो के घर का दरवाजा को हाथियों ने तोड़ दिया। वही मितर महतो के सौर्य प्लेट को क्षतिग्रस्त कर दिया।

बुढ़वा महादेव में उमड़ेगी भीड़ पिछले 5 दिनों से बुढ़वा महादेव मंदिर के आधा किलोमीटर सीमाना के अंदर हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। 2 दिन बाद 11 जून से सावन पड़ रहा है पूजा अर्चना जलाभिषेक के लिए काफी भीड़ उमड़ेगी, जिसे लेकर श्रद्धालु काफी भयभीत एवं चिंतित हैं। वन विभाग से हाथियों को बाहर खदेड़ने की मांग की।

बड़कागांव प्रखंड में 13 दिनों से हाथियों ने ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें अब तक 58 मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया एवं 268 किसानों के खेतों में लगी फसलों को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया है। जंगलों के समीप रहने वाले गांव के ग्रामीण काफी भयभीत व दहशत में है। हालांकि वन विभाग के कर्मियों के द्वारा हाथियों को भागने का प्रयास निरंतर जारी है।

दैनिक भास्कर

हजारीबाग 05-07-2025

हजारीबाग में हाथियों का आतंक लगातार जारी ... शौच करने व दातुन तोड़ने गए थे तीन, हाथियों के उत्पात से दहशत

तीन युवकों पर हाथी ने किया हमला, एक की मौत, दो घायल

भास्कर न्यूज | चाट

शौच करने व दातुन तोड़ने गए तीन युवकों पर जंगली हाथी ने शुक्रवार की सुबह हमला कर दिया। इस घटना में बेहरी निवासी जमुना राम 32 वर्ष को हाथी ने कुचल दिया। जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई। दो अन्य युवक रामस्वरूप राम 31 वर्ष और मिथलेश राम घायल है। घायल बेहरी गांव के रहनेवाले हैं। दोनों युवक हाथी से किसी तरह जान बचाकर जंगल से भाग निकले। घटना की सूचना घायल युवकों ने ग्रामीणों को दिया। ग्रामीण पटाखा व ढोल लेकर हाथी को भगाया है। वन विभाग ने मृतक परिजनों को तत्काल 50 हजार देकर आर्थिक सहयोग किया। घायल रामस्वरूप राम ने बताया कि शुक्रवार की सुबह 5.00 बजे बुढ़वा स्थित टीटीआइ जंगल में शौच करने व दातुन तोड़ने गए थे। हमलोगों को जंगल में हाथी होने का आभास नहीं था। सड़क से करीब 50 मीटर अंदर जंगल घुसे ही थे, अचानक एक जंगली हाथी हमलोगों पर हमला कर दिया। जंगल में सबसे आगे जमुना राम चल रहा था। इसके पीछे मिथिलेश और सबसे पीछे मैं चल रहा था। जंगली हाथी ने सबसे पहले पीछे से मेरे ऊपर हमला किया। हम किसी तरह से बच निकले। इसके बाद मेरे आगे चल रहे मिथिलेश की ओर जंगली हाथी दौड़ा। मिथिलेश भी जंगली हाथी से बच गया। हमलोग हमलावर हाथी को देखकर हल्ला करने लगे। इसी बीच जमुना को जंगली हाथी ने अपनी चपेट में ले लिया और पैर से कुचल दिया।

हाथी को भगाने के लिए ग्रामीणों ने पटाखा फोड़ा और डुगडुगी बजाई

घटना की सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह, बहेरी मुखिया पवन कुमार यादव, सखिया मुखिया इम्तियाज आलम व ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। हाथी को भगाने के लिए ग्रामीणों ने पटाखा और डुगडुगी बजाया। वन विभाग के कर्मी भी घटनास्थल पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। मुखिया पवन कुमार और कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने वन विभाग से पीड़ित के आश्रित के लिए नौकरी की मांग किया है। गुड़वा टीटीआइ स्कूल जंगल में नहीं जाने के लिए वन विभाग ने अपील किया है। वन विभाग की ओर से बहेरी, सखिया, गुरहेत, पौता पंचायतों में लॉडिस्पिकर से सूचित कर रहे हैं। जंगल में ग्रामीण नहीं जांय। पिछले दो दिनों से जंगली हाथी गुडवा व आसपास के जंगलों में है। तीन जुलाई को जंगली हाथी ने गुडवा के कटहल के पेड को नुकसान पहुंचाया था।

इधर, हाथियों के झुंड ने कब्रिस्तान की बाउंड्री तोड़ा

बड़कागांव | पिछले 10 दिनों से बड़कागांव प्रखंड में हाथियों का उत्पात जारी है। गुरुवार रात्रि 9:30 बजे हाथी की झुंड ने महुदी गांव के कब्रिस्तान के दो जगह पुराने एवं एक जगह नए बाउंड्री को क्षतिग्रस्त कर दिया।अब तक 240 किसानों को फसल का नुकसान एवं 55 ग्रामीणों का घर क्षतिग्रस्त हुआ है। हाथी का झुंड महुदी गांव पहुंचा और महुदी पहाड़ डूमारो नदी के आसपास जंगल में देर शाम तक विचरण कर रहा है।विगत 10 दिनों से हाथियों का विचरण बड़कागांव प्रखंड जंगलों में हो रहा है। हाथी को भगाने के लिए वन विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ग्रामीणों को भय मुक्त किया जा सके।

दैनिक भास्कर
हजारीबाग 03-07-2025

अब तक 7 दिनों में 55 लोगों का मकान क्षतिग्रस्त व 225 किसानों के खेतों को किया बर्बाद

हाथियों के झुंड ने गंगा दोहर व हरली गांव के 85 किसानों के खेतों को रौंदा

भास्कर न्यूज | बड़कागांव

बड़कागांव प्रखंड में हाथियों का उत्पात निरंतर बढ़ता जा रहा है। बुधवार की सुबह 27 की संख्या में हाथियों की झुंड ने गंगा दोहर और हरली में जमकर तबाही मचाई है। गंगा दोहर गांव में लगभग 50 व हरली गांव के 35 किसानों के खेतों में लगी फसलों को खा गया और बुरी तरह से रौंद दिया। प्रखंड में पिछले 7 दिनों में 55 ग्रामीणों के मकान को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया और लगभग 225 किसानों की खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया। नुकसान माने तो लगभग 25 लाख रुपया की खेती का नुकसान किसानों को हुआ है। हाथी बुधवार शाम 6:00 बजे तक गंगा दोहर के बडी सिमर बाग़ी में डेरा जमाए हुए थे। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। परंतु हाथी के दो बच्चों ने हाथियों के आगे बढ़ने की गति को बिल्कुल रोक कर रखा है। कारण यह है कि 5 -6 रोज पूर्व हथिनियों ने दो नवजात को जन्म दिया है। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद हाथी के बच्चे तुरंत थक जा रहे हैं, जिसके कारण हाथी का झुंड आगे बढ़ नहीं पा रहा है। दोनों नवजात हाथी को वयस्क हाथी चारों तरफ से घेरे रहते हैं, ताकि बच्चे को किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हो। पूरे प्रखंड में हाथियों का आतंक बड़कागांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाथी के बच्चे को देखने के लिए ग्रामीण जान जोखिम में डालकर हाथी के करीब पहुंच जा रहे हैं। जबकि वन विभाग के द्वारा ग्रामीणों को हाथी के करीब जाने एवं उन्हें छेड़ने की मनाही की गई है।

गांव में हाथियों का झुंड।

किसानों को भारी नुकसान

हाथियों के द्वारा 85 किसानों के खेतों को बुरी तरह से रौंद दिया गया। गंगा दोहर गांव के किसान देवनारायण महतो, दशरथ महतो, आनन्द कुमार, टुकेश्वर महतो, भादो महतो, गोपाल महतो, बालमुकुंद प्रसाद, भुनेश्वर नारायण महतो, जितेन्द्र प्रसाद, संतोष महतो, प्रेम महतो, मोहित महतो, संजय महतो, मिथिलेश महतो, दशरथ प्रसाद, सेवक महतो, रंजीत कुमार, पंचम महतो, नंदलाल महतो, राजू कुमार मेहता, अजीत कुमार आदि, वहीं हरली गांव के त्रिवेणी महतो, सहेश्वर महतो, के अलावा अन्य किसानों के खेतों को हाथियों ने भारी नुकसान पहुंचाया है।

दहशत. हाथियों के हमले के बाद अफरा-तफरी, ग्रामीणों में नाराजगी, दिया धरना

हजारीबाग : हाथियों के झुंड ने बरपाया कहर, दो बच्चों समेत सात ने गंवायी जान

प्रतिनिधि, चुरचू (हजारीबाग)

चुरचू प्रखंड में हाथियों के हमले में सात लोगों की मौत हो गयी. चुरचू प्रखंड की आंगो पंचायत स्थित गोंदवार भुइयां टोली में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और सात घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया. इस क्रम में हाथियों ने दो बच्चों समेत छह लोगों की जान ले ली. इसमें मौके पर पांच लोगों की मौत ही गयी, जबकि एक बच्ची की मौत शेख भिखारी मेडिकल कालेज में हुई. मृतकों में बड़कागांव के ग्राम गाली निवासी बसंत कुमार की पत्नी सुमन (31), चुरचू के ग्राम गोंदवार भुइयां टोली की सबिता (22), संजना (4), अनुराग (आठ माह), धनेश्वर राम (44) और सूरज राम (50) शामिल हैं. घटना गुरुवार-शुक्रवार की रात दो बजे की है. इधर, चुरचू की बहेरा पंचायत के कजरी टोली की फूलमनी (50) की भी हाथी के हमले में मौत हो गयी. बाकी पेज 13 पर

गोंदवार भुइयां टोली में हाथियों ने मचाया उत्पात, सात घरों को किया क्षतिग्रस्त

मृतका सबिता देवी के पति दीपक कुमार के नहीं रुक रहे हैं आंसू.

करगी जंगल में जमा है हाथियों का झुंड

अपनी नानी के साथ मृतका सुमन कुमारी का आठ माह का बच्चा.

इधर, मांगों को लेकर ग्रामीणों ने दिया धरना

इधर मांगों को लेकर ग्रामीणों ने घटनास्थल में धरना दिया. ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि जब तक उनके मांगें पूरी नहीं की जायेगी, धरना जारी रहेगा. ग्रामीणों ने घटना का कारण वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को बताया. ग्रामीणों ने कहा कि अगर वन विभाग के अधिकारियों ने हाथियों के आने की सूचना दी होती, तो यह घटना नहीं घटती. बाद में अधिकारियों के सकारात्मक आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया.

प्रभात खबर
Saturday, February 14, 2026
Hazaribagh
https://epaper.prabhatkhabar.com/clip/698f7fe7a84846166d987aac

प्रभात खबर

रामगढ़

रांची, शनिवार
20.12.2025 | 12

हाथियों के हमले से गांवों में दहशत, प्रभावितों के परिजनों को सौंपे चेक

प्रतिनिधि, कुजू

ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं. हाथियों ने शुक्रवार सुबह करमा परियोजना के समीप कैंटीन के पीछे जलावन का कोयला लाने गये सुगिया निवासी लोकनाथ मुंडा (40 वर्ष) को पटक कर जान ले ली. घटना की जानकारी जैसे ही परिजन एवं ग्रामीणों को मिली, वैसे ही थोड़ी देर के लिए अफरा -तफरी का माहौल बन गया. परिजन व ग्रामीण वन विभाग से आश्रित परिवार के लिए मुआवजा राशि की मांग करने लगे. विभाग के आदेश पर वनरक्षी नीतेश मुंडा ने करमा दक्षिणी पंचायत के मुखिया खागेश्वर महतो, झामुमो नेता मोहरलाल महतो समेत अन्य लोगों की मौजूदगी में 25 हजार का चेक दिया. शेष बचे तीन लाख 75 हजार की राशि सरकारी प्रक्रिया के तहत देने के आश्वासन के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव उठाने दिया. हालांकि, देर रात बोंगाबार क्षेत्र से निकलने के साथ हाथियों के झुंड ने दिगवार, पोचरा, सुगिया समेत अन्य स्थानों पर किसानों के घरों को तोड़ दिया. फसलों व अनाजों को बर्बाद कर दिया. इनमें राजेंद्र यादव, ननकु यादव, नागेश्वर कुशवाहा, द्वारिका महतो, लालधारी महतो समेत दर्जनों लोग शामिल हैं. लोकनाथ मुंडा की पत्नी के साथ चार बच्चे हैं.

बंद स्कूल.

चैनपुर साइडिंग में घुसा हाथी, अफरा-तफरी

चैनपुर. वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल चैनपुर साइडिंग में गुरुवार की रात 12 बजे हाथी पहुंच गया. इसके कारण साइडिंग मे अफरा-तफरी मच गयी. इस संबध में होमगार्ड के जवानों ने बताया कि हाथी हमलोगों के कमरे के पास पहुंच गया. हाथी को देखते ही रूम का दरवाजा बंद कर लिया. ड्यूटी पर होमगार्ड के जवान तैनात थे, उसे भी सतर्क रहने को कहा गया. हमलोग छह होमगार्ड लगभग एक घंटे तक कमरे में चुपचाप पड़े रहे. लगभग एक घंटे बाद जब हाथी जंगल की ओर गया, तो हमलोगों ने राहत की सांस ली. इस घटना के बाद साइडिंग के बगल में स्थित भदवा, सिरका, भुइयांडीह आदि गांव के ग्रामीणों के बीच दहशत है.

साइडिंग मे घुसते हाथी.

सुगिया में हाथियों ने एक और व्यक्ति की ले ली है जान

विद्यालय में बच्चों की संख्या हो गयी है कम

आश्वासन के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव उठाने दिया

कहीं स्कूल बंद, तो कहीं बच्चों की संख्या रही कम

यह मामला राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय सुगिया एवं धनबेड़वा की है. यहां हाथियों के आतंक के कारण विद्यालय प्रबंधन ने पूरी तरह विद्यालय को बंद रखा. नव प्राथमिक विद्यालय नावटांड, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कच्चाड़ाडी, नव प्राथमिक विद्यालय, ऊखरबेड़वा खुले रहे. डर से बच्चे अधिक नहीं आये.

एलईडी लगी हुई है

लाइट हाथियों के आतंक से लोग डर गये हैं. अब वह सावधानी बरतने के साथ अपने -अपने खेतों में एलइडी लाइट लगा रहे है. इस संबंध में बोंगाबार निवासी विश्वामित्र महतो ने कहा कि हाथियों के आतंक के कारण अब लोग रात में रतजगा कर रहे हैं.

नगर परिषद क्षेत्र गोबरदरहा में घुसे हाथी, दहशत

रामगढ़. नगर परिषद क्षेत्र रामगढ़ के गोबरदरहा में बीती रात हाथियों का झुंड आया. हाथियों ने धान की बोरियों को खाया और इस -उधर भी फैला दिया. हाथियों के झुंड के गोबरदरहा आने की जानकारी के बाद कैथा, कोठार, हुहुआ, छत्तर आदि क्षेत्रों मे दहशत फैल गयी. शुक्रवार को दिन भर शहर व गांवों में हाथियों की आने की चर्चा होती रही. देर शाम हाथियों के झुंड के लोधमा पहुंचने की चर्चा है. ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग व जिला प्रशासन को दी है. वन विभाग की टीम सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए लोधवा पहुंची. वन विभाग के कर्मियों ने ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने को कहा है.

हाथी के साथ सेल्फी लेने का प्रयास नहीं करें : जिला प्रशासन ने कहा है कि रामगढ़ वन्य प्रमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों का एक बड़ा झुंड कई उप समूहों मे बंट कर अलग-अलग क्षेत्रों में भटक गया है. हाथियों का झुंड तीस से अधिक का था. सभी हाथी एक साथ क्षेत्र मे चलने के बाद बिछड़ गये हैं. जिला प्रशासन के अनुसार, सात क्षेत्रों में हाथी छोटे-छोटे झुंड में घूम रहे हैं. इससे इलाके में दहशत है. हाथी का फोटो नहीं बनाने को कहा है. हाथी के सामने नहीं जाने, हाथी के साथ सेल्फी लेने का प्रयास नहीं करने, हाथी को देखकर दूरी बनाने और सुरक्षित स्थानों पर जाने का प्रयास करने को कहा है.

धान की बोरियों से धान खाता हाथियों का झुंड

त्रिपक्षीय वार्ता के बाद उठाया गया शव, दो लाख मुआवजे का आश्वासन

कुजू/चैनपुर. डाड़ी निवासी अमूल कुमार महतो की मौत हाथी के हमले में हो गयी थी. परिजन 17 दिसंबर की शाम दो बजे से पीओ ऑफिस के मेन गेट के सामने शव रख कर मुआवजे की मांग कर रहे थे. शुक्रवार को हुई त्रिपक्षीय वार्ता मे मृतक के परिजनों को आर्थिक रूप से दो लाख मुआवजे का आश्वासन दिया गया. इसके बाद परिजनों ने शव को अंतिम संस्कार के लिए उठाया. अमूल कुमार महतो कृष्णा इफ्रा में पोकलेन ऑपरेटर था. बेस कैंप जाने के दौरान रास्ते में हाथी के हमले का शिकार हो गया था.

अमित के निधन पर परियोजना में शोक, हाथियों के रहने से लोगों में दहशत

आरा चार नंबर में हाथी ने सीसीएल सुरक्षाकर्मी को पटक कर मार डाला

प्रतिनिधि, चैनपुर

वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के आरा चार नंबर फिटर ब्रेकर के समीप मंगलवार की देर शाम हाथी ने सीसीएल सुरक्षाकर्मी अमित कुमार रजवार (32 वर्ष), पिता स्व बुधन रजवार को पटक कर मार दिया. मृतक इचाकडीह गांव का रहने वाला था. वह सीसीएल सारूबेड़ा परियोजना में सुरक्षाकर्मी के पद पर कार्यरत था. बताया जाता है कि अमित अपनी बाइक (जेएच 24 एफ 9590) से आरा कॉलोनी की ओर से घर की ओर लौट रहा था.

इस दौरान, कुछ लोग फिटर ब्रेकर के पास सड़क से उतर कर हाथी देख रहे थे. इसी बीच, अमित भी बाइक सड़क किनारे रख कर सड़क से नीचे उतर कर हाथी देखने के लिए चला गया. इसी दौरान, हाथी ने लोगों को दौड़ाया. इसी बीच, अमित कुमार रजवार गिर गया. हाथी ने उसे पटक कर मार दिया. इस घटना को लेकर सारूबेड़ा परियोजना के सुरक्षा प्रभारी मुन्ना चौहान ने बताया कि अमित की रात्रि पाली में ड्यूटी थी. अमित के निधन पर परियोजना में शोक है. लगभग 20 की संख्या में हाथियों का झुंड फिटर ब्रेकर के आसपास जंगल में मौजूद है. इससे लोगों में दहशत है.

युवक के पास मौजूद हाथी.

चैनपुर में हाथियों ने किसानों की फसलों को किया बर्बाद

चैनपुर. मांडू प्रखंड अंतर्गत बड़गांव पंचायत के भुइयांडीह गांव व नावाडीह पंचायत के चैनपुर गांव में सोमवार की रात हाथियों ने उत्पात मचाया. हाथियों का झुंड चैनपुर गांव के पास पहुंचा. यहां रामलोचन प्रसाद की बाड़ी की चहारदीवारी तोड़ कर फसलों को नष्ट कर दिया. पास के काली मंदिर का दरवाजा क्षतिग्रस्त कर दिया. राजकुमार प्रसाद के घर का दरवाजा तोड़ दिया. भुइयांडीह गांव के पास किसानों की फसलों को भी नष्ट कर दिया. किसानों ने बताया कि हाथियों ने फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है. हाथी चैनपुर रेलवे स्टेशन की ओर जाने के दौरान मालगाड़ी की हेडलाइट व सीटी की आवाज सुनकर जनता प्लस हाई स्कूल, चैनपुर की ओर चले गये. वनकर्मियों ने हाथियों को बोकारो नदी की ओर भगा दिया. फिलहाल, हाथी सिरका जंगल में जमे हैं.

क्विक बाइट्स

सम्राट को मिली रेलवे में नौकरी, हर्ष व्यक्त

भुरकुंडा. एस्पायर कोचिंग सेंटर भुरकुंडा के छात्र सम्राट प्रताप सिंह ने टेक्निशियन ग्रेड श्री में सफलता पायी है. चुंबा निवासी रतन लाल सिंह के सम्राट की सफलता पर कोचिंग परिवार में भी हर्ष है. मंगलवार को समार कोचिंग के निदेशक रत्नेश कुमार ने सम्राट को सम्मानित किया. उन्होंने कि छात्रों की सफलता ही संस्था का मुख्य उद्देश्य रहा है. मौके पर नितेश राकेश कुमार, नीतीश मिश्रा, राहुल कुमार, सुमित कुमार, संदीप कुमार राहुल, नीरज, लव, कुश, ब्रजेश उपस्थित थे.

कोयला से लदा हाइवा पलटा, चालक व उप चालक

गिद्दी. कोयला से लदा हाइवा वाहन सोमवार की रात रैलीगढ़ा पुल के नज अनियंत्रित होकर पलट गया. हालांकि, हाइवा चालक व उप चालक बाल-बच गये और वहां से फरार हो गये. जानकारी के अनुसार, रात नौ बजे ह अनियंत्रित हो गया और पुल के पास पलट गया. इससे वाहन में लदे क सड़क पर बिखर गये. घटना की सूचना मिलने पर गिद्दी पुलिस वहां प हाइवा के कागजात की जानकारी ली और लौट गयी. सड़क पर जो क बिखरा हुआ था, उसे रात में ही उठा लिया गया. रात में हाइवा को भी व गायब कर दिया गया. इस मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चा हो रही है

कुजू पुलिस ने फरार वारंटी को भेजा जेल

कुजू. गिद्दी थाना के फरार वारंटी को कुजू पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने

गोला प्रखंड हाथियों के कॉरिडोर के रूप में चिह्नत, ग्रामीणों में दहशत

प्रतिनिधि, गोला

गोला वन क्षेत्र जंगली हाथियों के कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है. वन विभाग के अनुसार, यह इलाका हाथियों के प्राकृतिक आवागमन मार्ग में आता है. इसके कारण हाथी सालों भर यहां विचरण करते रहते हैं. हाथियों की मौजूदगी के कारण अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है. हजारों किसानों की फसलें भी नष्ट हो चुकी हैं. हाल के दिनों में हाथियों का झुंड रजरप्पा, हेसापोड़ा, रकुवा, लिपिया सहित आसपास के गांवों के जंगलों में डेरा जमाये हुए था. शाम ढलते ही हाथी जंगल से निकल कर गांव की ओर रुख कर लेते थे और ग्रामीणों के मकानों व खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे. इससे क्षेत्र में भय माहौल बना हुआ था. हालांकि, वन विभाग ने हाथियों को गांवों से दूर रखने के लिए हाथी भगाओ दल बनाया है. हाथियों के गांव में पहुंचने की सूचना मिलते ही यह दल मौके पर पहुंच कर उन्हें सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर खदेड़ने का काम करता है. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल जंगली हाथियों का झुंड गोला वन क्षेत्र से मांडू वन क्षेत्र की ओर चला गया है. अधिकारियों ने बताया कि हाथियों से हुए जान-माल व फसल नुकसान की स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा देने का प्रावधान है. वन विभाग हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तत्पर है.

हाथियों के खौफ से रामगढ़-बोकारो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग सहमे

प्रतिनिधि, घाटोटांड

रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड व सीमावर्ती बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का आतंक है. 16 दिसंबर को वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के आरा चार नंबर, सारुबेड़ा में हाथी ने कुछ लोगों को कुचल कर मार दिया है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है. घटना के बाद स्थिति यह है कि जंगल से सटे गांवों के लोग अब दिन के उजाले में भी घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का झुंड लगातार जंगल से सटे गांव व आस-पास विचरण कर रहा है. इससे हर वक्त जान का खतरा बना हुआ है. महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सहमे हैं.

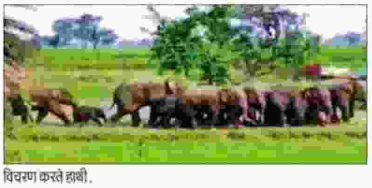

खेतों में कामकाज लगभग बंद हो गया है. हाथियों की मौजूदगी का सबसे ज्यादा असर आवागमन पर पड़ा है. घाटो से सारुबेड़ा जंगल होते हुए चैनपुर जाने वाला टाटा स्टील द्वारा बना शॉर्ट मार्ग घटना के बाद पूरी तरह सुनसान हो गया है. पहले लोग इस रास्ते से बाइक और अन्य दोपहिया वाहनों से आसानी से चैनपुर आना-जाना करते थे. इसी जंगल क्षेत्र में हाथियों के सक्रिय होने की सूचना के बाद लोग इस मार्ग का उपयोग करने से बच रहे हैं. वन विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाये हुए है. हाथियों के गांव के आस पास के जंगल अथवा सड़क के किनारे के इलाकों में विचरण करने के कारण खतरा बना हुआ है.

विचरण करते हाथी.

लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में दहशत

इस घटना से करीब एक पखवारा पूर्व गोमिया प्रखंड के तिलैया में हाथियों द्वारा दो लोगों को कुचल कर मार दिया गया था. लगातार हो रही घटनाओं और हाथियों की मौजूदगी की खबरों से पूरे क्षेत्र में भय है. ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से हाथियों को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर खदेड़ने के लिए ठोस व्यवस्था करने की मांग की है. हाथी कॉरिडोर को चिन्हित कर इलाके को सुरक्षित किया जाए. तथा प्रभावित गांवों में सुरक्षा के स्थायी व्यवस्था विकसित की जाए. साथ ही जान–माल के नुकसान की भरपाई और पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत देने की भी मांग उठ रही है.

प्रभात खबर
Thursday, December 18, 2025
Ramgarh
https://epaper.prabhatkhabar.com/clip/69430133d546e29693e17207

झारखंड का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक

प्रभात खबर

अखबार नहीं आंदोलन

रांची | पटना | जमशेदपुर | धनबाद | देवघर | कोलकाता | मुजफ्फरपुर | भागलपुर से प्रकाशित

रांची, मंगलवार
26.08.2025
भादपद शुक्ल 03 संवत 2082
पृष्ठ : 18, मूल्य : ₹ 6
नगर संस्करण
वर्ष : 42, अंक : 233
रजिस्ट्रेशन : आर एन 44208/1984

prabhatkhabar.com

स्पोर्ट्स | 14

यूएस ओपन : चार वर्ष बाद राडुकानू ने जीता पहला मैच

देश-विदेश | 13

दबाव बढ़ सकता है, मगर हम इसे सहन कर लेंगे : मोदी

राजपाट | 04

मंईयां योजना से राज्य की महिलाओं का हो रहा उत्थान

झारखंड में कम हुए जंगल और वन्य जीव, विलुप्ति के कगार पर पहुंचा बाघ

विधानसभा में पेश की गयी महालेखाकार की रिपोर्ट

प्रमुख संवाददाता, रांची

झारखंड के वृक्षों वाले वन क्षेत्र (फॉरेस्ट लैंड) और वन्य जीव (वाइल्ड एनिमल) की संख्या में कमी दर्ज की गयी है. विधानसभा में पेश की गयी महालेखाकार की रिपोर्ट में वर्ष 2017 से 2021 के बीच फॉरेस्ट लैंड में कमी होने के तथ्यों को उजागर किया गया है. कहा है कि झारखंड में वन और वन्य जीव संरक्षण की योजनाओं में गंभीर लापरवाही हुई है, यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाये गये, तो वन्य जीवन और विशेषकर बाघों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जायेगी.

खाली पड़ी वन भूमि में हुई वृद्धि : रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2021 में वृक्षों वाले वन क्षेत्र में 2.60 प्रतिशत की कमी पायी गयी है. जबकि खाली पड़े फॉरेस्ट लैंड में 13.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. वन क्षेत्र में कमी की वजह फॉरेस्ट लैंड जैसे पारिस्थितिकी व संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्रीय मास्टर प्लान के तहत काम नहीं होना, सुरक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था और संरक्षण के उपायों पर काम नहीं करना है. इसके साथ ही विभाग में कर्मचारियों की कमी, फंड का उचित खर्च नहीं होना, समय पर काम पूरा नहीं किये जाने समेत अन्य वजहों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है. एजी ने हर पहलू की रिपोर्ट सौंपी है.

2017 से 2021 के बीच वन क्षेत्र 2.60 प्रतिशत घटा

- वन और वन्य जीव संरक्षण की योजनाओं में बरती गयी लापरवाही
- जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण नहीं किया गया

पीटीआर में पाया गया केवल एक बाघ

सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक, पीटीआर में बाघों की आबादी विलुप्त होने के कगार पर है. वर्ष 2000 से 2005 के बीच पलामू टाइगर प्रक्षेत्र (पीटीआर) में 34 से 46 बाघ थे. जो लगातार कम होते चले गये. वर्ष 2022 में पीटीआर में केवल एक बाघ पाया गया. बताया गया है कि बाघों की संख्या में कमी का अनुमान शिकार के आधार पर लगाया गया है. वर्ष 2012-13 के दौरान पीटीआर में अनुमानित शिकार की संख्या 85,666 थी, जो वर्ष 2022-23 में कम होकर केवल 4,411 हो गयी. रिपोर्ट में बाघों की संख्या में आयी कमी की मुख्य वजह इसे ही बताया गया है.

जानवरों की गिनती करने में लापरवाह है वन विभाग

महालेखाकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि संरक्षित वन क्षेत्रों में वन्य जीवों की आबादी में कोई सुधार नहीं हुआ है. राज्य में जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण नहीं किया गया. मांसाहारी जानवरों के शिकार में कमी और शाकाहारी जानवरों के लिए पर्याप्त चारागाह की व्यवस्था नहीं होने की वजह से भी वन्य जीवों की संख्या में कमी आयी है. आंकड़े के मुताबिक, वर्ष 2017-18 में राज्य के अंदर वन्य जीवों की कुल संख्या 20,028 थी, जो वर्ष 2020-21 में घटकर 19,882 हो गयी. वर्ष 2018-19 में जंगली जानवरों की संख्या में 7,660 की कमी पायी गयी थी. यह कमी कुल जंगली जानवरों का 38 प्रतिशत थी. हालांकि, वर्ष 2020-21 में जंगली जानवरों की संख्या में 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी. यानी, राज्य के जंगली जानवरों की संख्या 7,778 बढ़ गयी. सीएजी ने कहा है कि आंकड़ों में बड़े पैमाने का यह अंतर बताता है कि जानवरों की गिनती करने में विभाग लापरवाह है.

देखें राजपाट पेज भी

प्रभात खबर
Tuesday, August 26, 2025
Ranchi-City
https://epaper.prabhatkhabar.com/clip/0acbe1dc54d230a78aa050e

विष्णुगढ़ में जंगली हाथियों का उत्पात चौथे दिन भी जारी, रतजगा करने को विवश ग्रामीण

नागी में हाथियों के झुंड ने दो घरों को किया ध्वस्त, अनाज चट किया

22 अगस्त की रात हाथियों ने घरेलू सामान को भी पहुंचाया नुकसान

- सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोनार फीडर की बिजली आपूर्ति बंद की गई
- घंटों मशक्कत करने के बाद लोगों ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा

विष्णुगढ़, प्रतिनिधि। विष्णुगढ़ इलाके में पहुंचे जंगली हाथियों के झुंड ने लगातार चौथे दिन भारी उत्पात मचाया। शुक्रवार की रात को झुंड नागी पंचायत के ढोठवा टोला में प्रदीप मुर्मू तथा अजय मुर्मू के घर को निशाना बनाया। दोनों के घरों की दीवार को ध्वस्त करते हुए कमरे में रखे हुए चावल, आलू, दाल, गेहूं आदि को चट कर गए। घर की दीवार ध्वस्त होने से कमरे में रखे हुए कई घरेलू सामानों को भी भारी क्षति पहुंची।

हाथियों के डर से लोग पूरी रात रतजगा करने को मजबूर रहे। ग्रामीणों ने बताया कि शाम ढलते ही हाथियों का झुंड टोले में आ धमका और चिंघाड़ते हुए घर की दीवार को गिराने का प्रयास करने लगा। जिससे देख परिजन डर गए और इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान पूरे गांव में काफी अफरा-तफरी का माहौल रहा। इस दौरान हाथियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोनार फीडर की बिजली आपूर्ति भी बनासो सबस्टेशन बंद कर दी गई।

एक ओर हाथियों का जानलेवा उत्पात तथा दूसरी ओर बिजली बंद होने से ग्रामीणों के समक्ष मुसीबत बढ़ गई। टोले के कई युवा ढोल बजाकर तथा मशाल से हाथियों को भगाने का प्रयास करते रहे। काफी मशक्कत से घंटों बाद हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ा जा सका। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग हाथियों को भगाने में असफल साबित हो रही है। जिसका नतीजा आये दिन ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। वन विभाग द्वारा टॉर्च, पटाखे या अन्य सुरक्षात्मक कोई भी साधन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

वहीं, पीड़ित परिवारों के समक्ष खाने-पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिससे लोगों में वन विभाग के प्रति खासा आक्रोश है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा तथा आवास मुहैया कराने की मांग की है।

विष्णुगढ़ के ढोठवा टोला में शनिवार को हाथियों द्वारा ध्वस्त घर को दिखाता भुक्तभोगी परिवार व दारू में हाथियों द्वारा रौंदी गई फसल।

दारू के सोनडीहा में हाथियों के झुंड का कहर जारी

दारू। दारू प्रखंड के सोनडीहा में शुक्रवार की रात को हाथियों की झुंड ने एक बार फिर उत्पात मचाया। बीती रात को सोनडीहा में गणेश महतो के चाहरदिवारी को तोड़ा, बिनोद महतो के पंद्रह कट्ठा में लगे गन्ना, धान, संतोष प्रसाद, महेश प्रसाद, जगदीश महतो, बालेश्वर महतो, अरुण प्रसाद और वरुण प्रसाद के खेत में लगे गन्ना और धान के फसल को रौंद डाला। भुक्तभोगियों ने बताया कि इससे हमें लाखों का नुकसान हुआ है।

दैनिक भास्कर
हजारीबाग 04-07-2025

केरेडारी के पांडू में ग्रामीणों ने पकड़े हिरन वन विभाग ने नेशनल पार्क भेज दिया

केरेडारी| केरेडारी के केडी कोल परियोजना क्षेत्र अंतर्गत पाण्डु में गुरुवार दोपहर में मनातू जंगल से एक हिरन आ गया जिसे गांव के कुत्ते उसे दौड़ाने लगे तब ग्रामीणों ने सुरक्षित पकड़ कर पगार ओपी प्रभारी विक्की ठकुर को सूचना दिया गया। देर शाम थाना प्रभारी द्वारा वन विभाग को सौप कर नेशनल पार्क स्थित अभ्यारण्य में भेज दिया गया है।

90 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि अंबेडकर एवं बैंक के संस्थापक एम. सी. टी. एम. चिदंबरम चेट्टियार में खाता खोलकर अपने भविष्य को सुरक्षित और सुदृढ़ बैंक कर्मियों से जनता के साथ बेहतर व्यवहार बनाए रखने और चौधरी, शाखा प्रबंधक संजय सिंह, दिनेश सिन्हा, सोहनलाल मेहता, मनोज दांगी, सूरज कुमार, रंजीत पंडित सहित दर्जनों गणमान्य लोग एवं शुभारंभ से क्षेत्रवासियों को मिला। में खासा उत्साह देखने

केरेडारी के नवाखाप में जंगली हिरण पर कुत्तों का हमला, ग्रामीणों की तत्परता से बची जान

संध्या प्रहरी : केरेडारी

केरेडारी प्रखंड के नवाखाप जंगल से भटककर एक जंगली हिरण नवाखाप कुरकुटिया टांड़ पहुंच गई, जहां गांव के देशी कुत्तों के झुंड ने उसे अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। कुत्तों के हमले में हिरण गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गई। घटना के दौरान स्थानीय ग्रामीण राजू गोस्वामी की नजर हिरण पर पड़ते ही उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर साहस दिखाते हुए हिरण को कुत्तों के झुंड से बचाया और उसे सुरक्षित अपने घर पर रखा।

इसके बाद मामले की सूचना तुरंत टंडवा वन क्षेत्र के पदाधिकारी को दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल हिरण को अपने संरक्षण में लेकर प्राथमिक उपचार के बाद अपने साथ ले

गया। ग्रामीणों की इस मानवीय पहल की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। वहीं, लगातार जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आवास सिमटने के कारण जंगली जानवरों के भटककर रिहायशी इलाकों में पहुंचने की घटनाएं बढ़ने पर भी सवाल उठने लगे हैं।

MAGZTER
Clipped from - SANDHYA PRAHARI HAZARIBAG - 10/02/2026
Read it digitally on the Magzter app